खण्ड-237, अंक-6
मंगलवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(11 दिसम्बर, 1962 ई0)

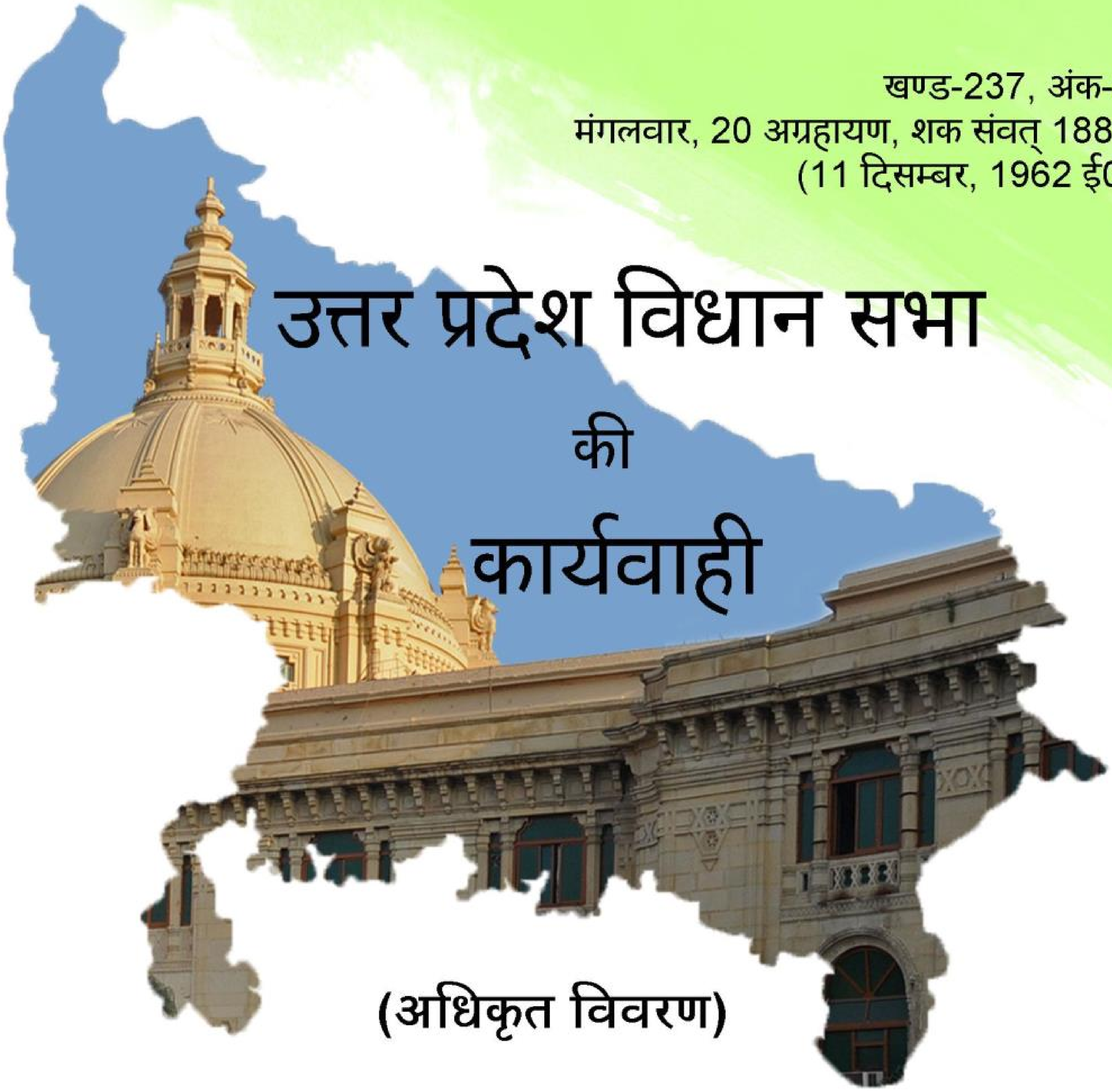

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४९–६५३
प्रश्नोत्तर	६५३–६९७
प्रश्नों के गलत उत्तर मिलने पर आपत्ति	६९७
उन्नाव जिलान्तर्गत जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६९८–६९९
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	६९९
गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में बाढ़ पीड़ितों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (स्थगित) ..	६९९–७००
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार—जारी) ..	७००–७४०
सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में तथा कथित गलत कागजात तैयार कराने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद	७४०–७४६
नत्थियां	७४७–७६३

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वकन)
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिलराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविव सी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य मन्त्री सुरक्षा कोष का धन

**१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो गया है और इस कोष में एकत्र सभी धन केन्द्र को चला जायगा? यदि हां, तो क्या सरकार अपने प्रदेश में किसी और फंड की योजना बना रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां, जी हां, जी नहीं ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा कोष के लिये किन-किन माध्यमों से रुपया वसूल किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रत्येक उस व्यक्ति के द्वारा जो कि इस लड़ाई के अवसर पर लड़ाई के प्रत्येक कार्य में सहायता देने के लिये अभिलाषी और उद्यत है ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब अपने प्रदेश में प्रधान मंत्री सुरक्षाकोष था तो फिर मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष खोलने का क्या उद्देश्य था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ही मुख्य मंत्री कोष का निर्माण किया था । २४ तारीख को जब हम विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर रहे थे उस समय हमने यह निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्य मंत्री कोष हो उसके द्वारा हम उन वीरों की सहायता करना चाहते थे जो लड़ाई के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गये थे तथा लड़ाई के संबंध में और भी जो सहायता हम दे सकते थे उसके लिये हमने यह कोष स्थापित किया था । २८/२९ तारीख को जब मैं बार्डर एरिया पर ही था तो मैंने रेडियो पर यह घोषणा सुनी कि प्रधान मंत्री जी ने भी अपना एक कोष स्थापित किया है । जब मैं यहां लौट कर आया और दिल्ली से यह विदित हुआ कि अन्य मुख्य मंत्रियों ने भी अपने-अपने प्रदेशों में ऐसे कोष कायम किये हैं तो यह मुनासिब समझा गया कि हमारा कोष तो कायम रहे, लेकिन वह कोष अन्य मुख्य मंत्रियों के कोष की भांति ही प्रधान मंत्री कोष का एक सब्सीडियरी एकाउन्ट मान कर ही रखा जाय । इसलिये भी मुख्य मंत्री कोष को अपने प्रदेश में जारी रखा कि उससे हम जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमने अपने प्रदेश में इस दिशा में कार्य किया है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब यहां पर मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री कोष दोनों चालू हैं तो दोनों में अलग-अलग कितना रुपया इकट्ठा हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रधान मंत्री कोष में बहुत से लोगों ने सीधा दिल्ली को रुपया भेजा है, अभी उस रुपये के बारे में कुछ महीने में ही पता लग सकता है क्योंकि वह उस कोष में पड़ गया है जिसमें हमारे देश और अन्तर्राष्ट्रीय जगत से जो जो सहायता मिली है । उसका तो तब पता चलेगा जब ब्योरेवार उनका हिसाब लगाया जायगा । लेकिन प्रधान मंत्री कोष में स्टेट बैंक में जो रुपया जमा हुआ है वह करीब ४५-५० लाख के है । कई जगहों से अभी सूचना भी नहीं आयी है और ८-१० रोज का हिसाब भी इसमें शामिल नहीं है । सिर्फ ३२ जिलों से सूचना आयी है उस हिसाब से कुल १ करोड़ ८५ लाख रुपया जमा हुआ है । जिसमें से ४५-५० लाख रुपया प्रधान मंत्री कोष में और शेष मुख्य मंत्री कोष में है । सूचनायें संकलित की जा रही हैं, आने पर ही बताया जा सकेगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उपलब्ध सूचना के आधार पर यह बता सकेंगे कि कौन-कौन से जिले इस कार्य में सबसे अधिक सहयोग दे रहे हैं, और सबसे अधिक धन इकट्ठा कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी पूरा एकाउन्ट व्यौरे के साथ संकलित नहीं हुआ है, किया जा रहा है । उसके बाद ही यह सूचना दी जा सकेगी । एक यह भी कारण था कि किस जिले से कितना इकट्ठा हुआ है, यह जानने के लिये भी हमने यह मुख्य मंत्री कोष जारी रखा था वरना कोई जरूरत उस समय नहीं रह गयी थी जबकि प्रधान मंत्री कोष जारी हो गया था । जब हमारी जिलेवार और ब्योरेवार सूची बन जायगी तभी इस सूचना को हम दे सकेंगे । अभी तो यह सूची संकलित की जा रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर रोशनी डालेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने जिलाधीशों को इस तरह का कोई आदेश जारी किया है कि वे जिले में जितना भी रुपया इकट्ठा करें उसे प्रांतीय फंड में जमा किया जाय, न कि केन्द्रीय फंड में ? क्योंकि ऐसा हो गया है कि जिले के अन्दर जो लोग सीधे केन्द्रीय फंड में रुपया देना चाहते थे, उन लोगों के अन्दर ढील सी आ गयी है । जिले के अधिकारी लोगों को इस बात के लिये प्रेरित करते हैं कि वे वहां रुपये भेजने के बजाय प्रान्तीय फंड में ही उन्हें जमा करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा कोई आदेश नहीं है । जैसा कि सब को विदित है हर आदमी जो डाइरेक्टली रुपया देना चाहता है वह हर जिले के स्टेट बैंक के ब्रांच में जमा कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि प्रदेश में इस सिलसिले में कितना उद्योग हुआ और किस जिले ने कितना पैसा इकट्ठा किया है, इस बात की जानकारी के लिये यह एक मुनासिब चीज थी कि मुख्य मंत्री कोष में ही यह रुपया जमा हो ताकि ब्योरेवार जल्दी यह सूचना मिल सके कि हर जिले ने इस वार एपर्ट में कितनी मदद दी और सहायता पहुंचायी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा हुआ है, उसे राज्य सरकार सुरक्षा हेतु खर्च कर सकती है या नहीं ? यदि खर्च कर सकती है, तो किन मदों में खर्च कर सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सारा कोष उस बड़े कोष का एक हिस्सा है जो प्रधान मंत्री कोष के नाम से प्रख्यात है और उसके खर्च के विषय में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मुख्य मंत्री भी एक सदस्य हैं और उस कमेटी की आज्ञानुसार और उसके आदेशों का पालन करते हुये हम उस कोष से रुपया पा सकते हैं । अभी तक जो आदेश है वह तो यही है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में ए एकाउन्ट है और एक बी एकाउन्ट है । ए एकाउन्ट में जितना रुपया प्रदेश से आयेगा वह सब जमा हो जायगा । बी एकाउन्ट से १ लाख रुपया मुख्य मंत्री को उन कामों के लिये जिनका संबंध चन्दा इकट्ठा करने से है, और अब यह दूसरा अधिकार दो ही तीन दिन हुए मिला है कि सिपाहियों के घर वालों की सहायता करने के लिये भी १ लाख रुपया एक समय में स्टेट बैंक में बी एकाउन्ट से निकाला जा सकता है । अभी तक इतना ही अधिकार प्रान्तीय सरकार को या मुख्य मंत्री को धन व्यय करने के लिये दिया गया है और मुख्य मंत्री कोष उसी कोष का एक हिस्सा रहेगा जिसे प्रधान मंत्री कोष या राष्ट्रीय सुरक्षा कोष कहते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा कोष के लिये जो धन इकट्ठा हो रहा है वह सरकारी रसीदों के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की रसीदों से भी इकट्ठा हो रहा है, तो क्या ऐसी रसीदों की सहमति सरकार से मिली हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारा आदेश इस संबंध में बिल्कुल साफ था और वह यह था कि रुपया एक ही रसीद पर इकट्ठा हो । और इसी प्रकार का आदेश हमने सारे जिले में दिया है, कांग्रेस संगठन को भी दिया है तथा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को दिया है कि जिलाधीशों द्वारा छपवाई हुई रसीदों से ही रुपया इकट्ठा हो । हमारे आदेशानुसार जिलाधीश स्वतः इन रसीदों को संस्थाओं को देंगे, दल के नेताओं या कार्यकर्ताओं को देंगे और सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को देंगे । और जो रुपया इकट्ठा होता रहेगा उसका हफ्तेवार हिसाब वे बराबर समय-समय पर जिले में देते रहेंगे कि इतना चन्दा इस कोष में इकट्ठा हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उनकी ओर से जिलाधीश को आदेश गये हैं रसीद छपाने और वसूली आदि के विषय में, लेकिन वहां आजमगढ़ जिले में तहसीलदार, परगना हाकिम और ब्लाक के बी० डी० ओ० तक ही यह काम सीमित है और उसका नतीजा यह है कि गांव सभाओं में लेखपाल बिना रसीद के और कानूनगो भी पैसा मांग रहे हैं और गांव सभाओं के लोग भी मांगते हैं ? इसके फलस्वरूप वहां लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है और वसूली में जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिये उसमें भी कमी आ रही है । अतः क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो गैरसरकारी संस्थायें हैं या यहां के और संसद के सदस्य हैं उनको भी यह वसूली की बहियां प्राप्त हो सकें, हर क्षेत्र में या ब्लाक में, ताकि और अभी चन्दा इकट्ठा हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकारी आदेश जो लेखपालों या अन्य नान-गजटेड स्टाफ के विषय में है उसमें बिल्कुल साफ है कि सिवा गजटेड स्टाफ के और कोई व्यक्ति चन्दे की वसूली नहीं कर सकता और रसीद भी केवल गजटेड अफसर ही देंगे । जहां तक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, सदस्यों तथा संसद सदस्यों या राजनैतिक कार्यकर्ताओं का संबंध है उनके संबंध में जिलाधीश को अधिकार है कि वह जिसको समझे उचित है, उसको वसूली की रसीद बहियां दे । हम इस संबंध में आंकड़े संकलित कर रहे हैं कि विभिन्न दलों के कितने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों में कितना रुपया इकट्ठा किया । वह आंकड़े आ जायेंगे तो प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---जो जिला अधिकारी या दूसरे लोग मुख्य मंत्री कोष में पैसा जमा करने के लिये जिले का दौरा करने में खर्च कर रहे हैं वह उसको मुख्य मंत्री कोष में डाल रहे हैं या उसका अलग एकाउन्ट है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो खर्च पड़ेगा वह बी-एकाउन्ट जो है जिससे कि मैं १ लाख रुपया निकाल सकता हूं वह उससे लिया जायगा । इसके लिये कोई दूसरी मद नहीं है । अभी वित्त विभाग ने हर जिलाधीश को ढाई-ढाई सौ रुपया भेजा था, कुछ जगह से और मांग आई है, तो जो बी-एकाउन्ट का रुपया है उसमें से उनको रुपया दिया जायगा खर्च के लिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इस कोष के खर्च के लिये समिति बनी है तो क्या उसने कोई ऐसा निर्णय किया है कि यह कोष आडिटर जनरल आफ इंडिया के मातहत रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सारा कोष उनके मातहत रहेगा और यहां का मुख्य मंत्री कोष एकाउन्टेंट जनरल के मातहत रहेगा और वह उसकी जांच करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि बलिया में और जैसा कि अखबारों से ज्ञात हुआ पच्छिम के कुछ जिलों में गांव सभाओं को जो वसूली के लिये बहियां भेजी हैं, उस पर पैसा वसूल किया जाता है और उस रुपये की पक्की रसीद गांव सभा से चन्दा देने वालों को दी जाती है और कुल रुपया जो गांव सभा का प्रधान इकट्ठा करता है वह बी० डी० ओ० को दे कर पक्की रसीद लेता है चीफ मिनिस्टर फंड की और गांव सभा के लेजर में लगा देता है जिससे बहुत सहूलियत है ? तो क्या इस तरह की व्यवस्था अन्य जिलों में करेंगे जिससे अधिक संख्या में रुपया एकत्रित हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब जिलाधीश ने अगर ये तरीका अख्तियार किया है कि कोई स्टेट्यूटरी बाडी जैसे क्षेत्र समिति या गांव सभा है, वह अपनी रसीद दे कर फिर से जिलाधीश की रसीद से रुपया इकट्ठा किया गया है..

श्री अध्यक्ष---वह तो सहूलियत के लिये कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो जिलाधीश के ऊपर छोड़ रखा है। अगर वह सहूलियत समझते हैं तो एक स्टेट्यूटरी बाडी के तहत में रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह यही है उस बाडी को वही रसीदें काटी जानी चाहिये जो जिलाधीश ने सारे व्यक्तियों को दी हैं। दो, दो रसीदों के हिसाब जांचने में दिक्कत पड़ सकती है।

[११ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विधायकों के लिए फ्री बस पास व्यवस्था की मांग

*१—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री नरोत्तमसिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग के भूतपूर्व मन्त्री डाक्टर सीताराम जी ने विधायकों को फ्री बस पास देने के लिये विधायकों से उनके फोटो जमा कराये थे, और उसी वक्त महामहिम राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि विधायकों को फ्री बस पास की व्यवस्था की जा रही है, वह फ्री बस पास विधायकों को कब तक दिये जावेंगे ?

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है तो क्या भविष्य में इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इस समय भविष्य में विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मन्त्री जी, सदस्यों से जो फोटो लिये गये थे, वह वापस करने पर विचार करेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो फोटो माननीय वित्त मन्त्री ने वापस करने को सदन को आश्वास्त किया था कि हम फोटो वापस कर देंगे, वह अब तक विधायकों के फोटो क्यों नहीं वापस किये गये, सब लोग अपने कमरे में लगाना चाहते हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, परिवहन मन्त्री महोदय विधायकों के फोटो रखने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मिनिस्टर साहब, इसलिये उनके सब फोटो रख लिये हैं, कि विधायक तो अपनी शक्ल शीशे में देख ही लेते हैं, मन्त्री जी उनके फोटो देखा करेंगे और खुश हुआ करेंगे।

रोडवेज रीजनल वर्कशाप, गोरखपुर में गाड़ियों की मरम्मत

*२—**श्री उग्रसेन**—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर के रीजनल वर्कशाप में १ फरवरी, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६२ तक किन-किन डिपो से कितनी गाड़ियां मरम्मत के लिये आईं तथा कितनी गाड़ियां किन-किन डिपो को कब-कब वापस भेजी गईं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४७–७४८ पर)

*३—**श्री उग्रसेन**—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के वर्डघाट डिपो की बस नं० २७२८ और २७२७ को १६ फरवरी, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६२ तक किन-किन ड्राइवरों ने चलाया और उन गाड़ियों का कुल माइलेज उपरोक्त दिनों में कितना हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—गाड़ी संख्या २७२८ को केवल श्री भगवती ने चलाया और गाड़ी संख्या २७२७ को सर्वश्री विश्वनाथ, कन्हैया, रामजीत, राम चन्दर, राम हरख, बेनी माधो, भगवती, राम देव, शिव शरन, झगरू और श्याम चरन ने चलाया। गाड़ी संख्या २७२८ का माइलेज ९४४ मील तथा गाड़ी संख्या २७२७ का माइलेज ६८९८ मील हुआ।

*४—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के बांसी बस स्टेशन की चहार दीवारी गत जुलाई या अगस्त, १९६१ में गिर कर पूर्णतया बर्बाद हो गई ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—ऐसा नहीं हुआ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो डिपो से गाड़ियां, बस्ती, आजमगढ़, बलरामपुर और दूसरी जगहों से आयीं, और काफी दिनों तक यहां रहीं तो उस समय वहां यहां से गाड़ियां गयीं, रीजनल वर्कशाप से या सर्विस जहां चलती थी, वह सर्विस बन्द रही ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सवाल में तो यह सूचना मांगी गई थी कि इस वर्कशाप में कहां कहां से आयीं। वह जवाब दे दिया गया है। अब जब गाड़ियां मरम्मत के लिये जाती हैं तो जो इन्तजाम होता होगा उनकी जगह पर वह हुआ होगा, इस सवाल से तो उसका कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह गाड़ियां डिपो में कब आयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—तारीखें तो इस सवाल में ही बता दी गई हैं। इन तारीखों के अन्दर जो गाड़ियां आयी हैं उन सबकी सूची दे दी गई है।

श्री उग्रसेन—कब वापस हुईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—वापसी की तारीख भी तो दे दी गई है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा प्रश्न मन्त्री जी समझे नहीं। गाड़ियां आयीं और बाद में वापस कर दी गईं। तो वह कब आयीं, किसी एक गाड़ी का बता दें ?

श्री अध्यक्ष—अब वह तो कह रहे हैं हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ४ के सम्बन्ध में कि यह चहारदिवारी कब बनी थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—यह १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में बनी थी और श्रीमन्, यह गिरी नहीं थी, बल्कि ऐसा था कि ७२७ फुट चहार दिवारी बनी थी जिसमें से ३५ फुट गिरी थी जिसको ठेकेदार ने स्वयं ही ठीक कर दिया और सरकार का कोई पैसा नहीं लगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जब ३५ फुट गिरी थी तो सरकार ने यह कैसे जवाब दिया कि गिरी नहीं ?

श्री अध्यक्ष—पूरी नहीं गिरी थी।

श्री उग्रसेन—प्रश्न यह है कि गिर कर पूर्णतया बर्बाद हो गई .... तो उत्तर में यह क्यों कहा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—पूर्णतया नहीं गिरी थी।

गोरखपुर जिले में गांव ऊंचा करने की योजना

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में २६ मई, १९६२ के जिला बाढ़ समिति के प्रस्तावों के अनुसार कितने गांव ऊंचे करने की योजना तहसीलवार है, उसमें कितने पर काम शुरू हो गया तथा कितने बाकी हैं ?

*६—क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में दौलतपुर सोरहा बांध तथा रेगुलेटर पर काम कब तक शुरू हो जायेगा और यह योजना कितने दिनों से सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, इसमें सूचना एकत्रित करने में देरी का क्या कारण है, माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, सूचना कुछ तो आयी, लेकिन चूंकि ब्योरेवार नहीं थी इसलिये उसको नहीं दिया। जो आयी है वह मैं बतला दूं। १०० गांव ऊंचे किये जा रहे हैं जिनमें ३० गांव तो पूरे हो चुके हैं, ५३ में काम जारी है और १७ में अभी जारी नहीं हुआ है। जहां तक छठे सवाल का जवाब है एक स्कीम ६ लाख १२ हजार रुपये की कीमत से बनी और १७ फरवरी, सन् १९६२ को जो टेक्निकल कमेटी है फ्लड बोर्ड की उसके सामने वह पेश हुई। लेकिन चूंकि सब-कमेटी ने उस पर कुछ एतराजात कर दिये तो वह रिकास्ट करने के लिये फिर वापस कर दी गई। अभी तक चूंकि वह बन कर नहीं आयी है, इसलिये पेश नहीं की जा सकी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि दौलतपुर और सेवराह बांध बहुत ही जरूरी बांध हैं और इसको देखते हुये वह स्कीम बनाई गई थी ? वह स्कीम चार पांच साल हुये अब तक पूरी नहीं हुई है, तो कब तक मन्त्री जी उम्मीद करते हैं कि उस पर कार्य हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि फरवरी, सन् १९६२ इसी साल की बात है कि जब वह स्कीम पेश हुई थी। उस वक्त उस पर टेक्निकल कमेटी ने एतराजात किये और उन्होंने कहा कि फिर रिकास्ट करो। तो अभी वह रिकास्ट होकर प्राप्त नहीं हुई है इसलिये मैंने आपके सामने नहीं रखा।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३० गांव ऊंचे किये गये हैं उनमें कितने बांसगांव तहसील के गांव हैं ?

श्री राममूर्ति---ऐसा है, सदर में तो हैं ७० गांव, फरेंदा में १८, बांसगांव में ९ और महराजगंज में ३, फिलहाल जो स्कीम है वह यह है।

श्री उग्रसेन---माननीय मन्त्री जी स्वयं जानते हैं और सिंचाई विभाग स्वयं जानता है कि बांसी तहसील सब से अधिक बाढ़पीड़ित तहसील है जहां पर प्रतिवर्ष कम से कम एक हजार गांव बाढ़ पीड़ित होते हैं, तो उसमें ९ गांव ही क्यों ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---पहले जिला मजिस्ट्रेट ने १०० गांव पूरे जिले की स्कीम में ऊंचे करने के लिये बतलाये थे, अब चूंकि बांसगांव की तरफ आपका ज्यादा जोर है तो हम उनको फिर लिखेंगे कि वह और ज्यादा गांव लें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सिंचाई मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले में मिट्टी के लिये दो रेट दिये गये हैं। एक ७ रुपये हजार घन फुट मिट्टी का और दूसरा ९ हजार रुपये घन फुट मिट्टी का तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---९ रुपये हजार मिट्टी का दाम शुरू में दिया गया था लेकिन जब यह रूरल मैन पावर स्कीम हमारे सामने आई तब रुपया ब्लाक डेवलेपमेंट कमेटी को दे दिया गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सिपुर्द कर दिया गया तो ७ रुपये रेट के ऊपर काम कराया गया। मैं यह भी बतला दूं कि कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो इस रेट पर काम करने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन जो हिदायत प्लानिंग कमिश्नर के यहां से गई वह इस तरह की है कि जो काम कराया जाय वह ७ रुपये के रेट पर कराया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि ७ रुपये के हिसाब से बांस गांव में काम हुआ और ९ रुपये हजार के हिसाब से फरेंदा में काम हुआ, तो इसका क्या कारण है ? क्या यही कारण है कि बांसी तहसील में जो ९ गांव हैं वह भी ऊंचे नहीं किये जा सके ?

श्री राममूर्ति---मैं इस वक्त पूरी बात नहीं बतला सकता कि क्या वजह हो गई । उसकी जानकारी मैं करूंगा और अपने मित्र माननीय सदस्य को बाद में प्राइवेट तरीके से बतलाऊंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मन्त्री जी ने बतलाया कि १०० गांव ऊंचा करने के लिये जिले में स्कीम है । तो क्या वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने गांव ऊंचे करने के सम्बन्ध में मैन पावर स्कीम में लिये गये हैं ? और मैंने पावर स्कीम की मारफत जो रुपया दिया जाता है उसमें कितने विलेज लिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---इसीलिये मैंने अर्ज किया था कि पांडेय जी ब्यौरेवार पूछना चाहते हैं तो उसका ज्यादा ब्यौरा नहीं आया इसलिये सूचना एकत्रित करने की बात कही गई थी । जितनी बात मेरे सामने आई वह मैंने बता दी ।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील में जिन गांवों को ऊंचा करने की बात है वह कौन कौन से गांव हैं और अब किस स्थिति में हैं ?

श्री अध्यक्ष---अभी फेहरिस्त नहीं आई है ।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब सिंचाई विभाग की ट्यूबवेल की नालियां बनाई जाती हैं तो १२ से १६ रुपये हजार मिट्टी कटती है । जब पी० डब्ल्यू० डी० काम कराती है तो १६ रुपये हजार मिट्टी कटती है और जब माता टीला बांध की मिट्टी काटी गई तो वह ८६ से १०२ रुपये हजार तक मिट्टी काटी गई । तो क्या वजह है कि बांस गांव में जब गांव ऊंचे किये जाते हैं तो केवल ७ रुपये हजार मिट्टी काटने का रेट दिया गया ?

श्री राममूर्ति---दुनियां में बहुत वजह होती हैं । हर काम का अलग अलग रेट हुआ करता है और अलग-अलग किस्म के काम करने का रेट भी अलग-अलग होता है ।

रोडवेज कन्डक्टरों का वेतन तथा ड्राइवरों का भत्ता

*७---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार मैट्रिक तथा नान-मैट्रिक रोडवेज कन्डक्टरों के वेतन में जो असमानता है उसे कार्य की समानता को देखते हुये समान करने पर विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी नहीं ।

*८---**श्री ऊदल**---क्या सरकार को पता है कि रोडवेज विभाग में सन् १९५० से पहले जो ड्राइवर कार्य कर रहे हैं उन्हें पौन पाई तथा जो ५० के बाद हैं उन्हें डेढ़ पाई फी मील माइलेज एलाउन्स दिया जाता है और शहरों में पुरानों को दो पाई नया ५० के बाद वालों को ५ पाई दिया जाता है जब कि तनख्वाह दोनों की बराबर है और होती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषमता को दूर कर एकरूपता लाने पर विचार करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---माइलेज की दरें इसी प्रकार हैं । पहले नियुक्त हुये ड्राइवरों को आरम्भ में वेतन कम मिलता था इसलिये उनका माइलेज अलाउन्स कम रखा गया जिसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो पहले कन्डक्टर रखे गये थे उनकी तनख्वाह ४५ रुपये है और जो नान मैट्रिक और मैट्रिक बाद में लिये गये उनकी तनख्वाह महंगाई मिलाकर १०३ रुपये हैं, तो दोनों में यह जो अन्तर है उसको एक करने पर सरकार को क्या कठिनाई है और यह जो 'जी नहीं' उत्तर दिया है इसका क्या आधार है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---फाइनेंस की कठिनाई तो सरकार के सामने है ही।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी, जैसा कि प्रश्न ८ के उत्तर में स्वीकार किया गया है कि वहां दो तरह के वेतनग्रेड हैं, एक में माइलेज कम है और दूसरे में ज्यादा। जब वे लोग काम एक ही प्रकार का करते हैं, तो क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों में एकरूपता लाने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---अभी तक तो इस पर कोई विचार नहीं हुआ है।

श्री ऊदल---आप श्रीमन्, स्वयं सोचें कि हमारी मजबूरी क्या है। मैं चाहता हूं कि माननीय परिवहन मन्त्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें और यह दो प्रकार की तनख्वाह और दो प्रकार का माइलेज एक ही किस्म के काम के लिये समाप्त करके एक प्रकार का कर दें ?

श्री मुजफ्फर हसन---दोनों की तनख्वाहों में काफी फर्क है और इसीलिये माइलेज का फर्क रखा गया है जिससे कि उसकी खाना पूरी हो जाय। वह ज्यादा दिन के ड्राइवर हैं और आहिस्ता आहिस्ता वे खत्म हो रहे हैं। थोड़े दिन में एक ही स्केल के लोग रह जायेंगे।

श्री रामायणराय---मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी प्रश्न संख्या ७ की गंभीरता महसूस करते होंगे। हमारे संविधान में कहा गया है कि समान काम करने वालों को समान पुरस्कार दिया जायगा। फिर इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुये क्या परिवहन मन्त्री इस विभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनमें असंतोष बढ़ रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---दिक्कत यह है कि जिनको ज्यादा तनख्वाह पर रखा गया था उनकी तनख्वाह घटाई नहीं जा सकती और जिनको कम तनख्वाह पर रखा गया है उनको अगर ज्यादा तनख्वाह दी जाय तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा माली भार पड़ेगा। इसीलिये यह व्यवस्था रखी गयी है और माइलेज में फर्क कर दिया गया है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि १९४७ में जब विभाग नया नया था तो उस समय ड्राइवरों को परिकिन नाम की छोटी गाड़ी चलानी पड़ती थी तो उस समय ज्यादा तनख्वाह मिलती थी उनको और उसके बाद जब मरसीडीज की बड़ी गाड़ी उनको चलाने को दी गयी उस समय कम तनख्वाह दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जिस समय नया नया विभाग खुला था उस समय हमको आदमी कम मिलते थे, दिक्कत से मिलते थे इसलिये यह रखा गया था। अब कमी नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय परिवहन मन्त्री बतलायेंगे कि सन् १९५० से पहले के ड्राइवरों का वेतन ग्रेड क्या है और उसके बाद के ड्राइवरों का वेतन ग्रेड क्या है और इस प्रकार दो ग्रेड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---सन् १९५० के पहले जो वेतन ग्रेड था वह था ४५-८० रुपये का और वे शुरू में ६० रुपये पर एप्वाइंट किये गये। अब ग्रेड उनका ४५-८० का ही है लेकिन वे ४५ पर एप्वाइंट किये जाते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब रोड ट्रेंज विभाग चालू किया गया था तो कन्डक्टरों की योग्यता के क्या आदेश थे कि किस योग्यता के कन्डक्टर भरती किये जायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--जब यह डिपार्टमेंट चला था तो बहुत पाबन्दियां नहीं थीं, आहिस्ता आहिस्ता पाबन्दी हुई। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जो नान-मैट्रिक में उनको जो कन्डक्टर की जगहें खाली होती हैं उनमें २० फीसदी जगहों में स्थान दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पहले जब रोडवेज विभाग खुला था और चालू किया गया था तो उसमें नान-मैट्रिक, मिडिल पास रखे गये थे। फिर बहुत दिनों के बाद में हाई स्कूल पास लिये जाने लगे और उनकी नियुक्ति ज्यों की त्यों बनी रही। तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो वेतन-क्रम पहले निर्धारित किया गया था, जिसमें मिडिल पास रखे गये थे, तो एक ही काम के लिये दो प्रकार की योग्यता वाले आदमी क्यों रखे गये और यह विषमता क्यों है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने बता तो दिया कि पहले कोई पाबंदियां नहीं थीं और बाद में इस पर विचार किया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, यह तो ज्यादती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि ग्रेड में बहुत फर्क है और वह दो प्रकार के हैं, तो कोई ग्रेडेशन कमेटी बनाने की कृपा करेंगे जो कि पूरे ग्रेड को सुधारने में सरकार की मदद करे?

श्री अध्यक्ष--वह तो कह रहे हैं कि हम धीरे-धीरे ला रहे हैं।

श्री मुजफ्फर हसन--श्रीमन्, जो हर साल जगह खाली होती हैं उनमें पुराने नान मैट्रिक के लिये २० फीसदी रिजर्व हैं और वह आहिस्ता आहिस्ता एब्जार्व हो रहे हैं।

कठवा ताल को घुरहा नाला से मिलाने की योजना

*९--**श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मिर्जापुर की चुनार तहसील में तथा वाराणसी की चन्दौली तहसील में जो कठवा ताल पड़ता है उससे नहर निकाल कर घुरहा नाला रामनगर में मिलाने के सम्बन्ध में सर्वे सन् १९६० व १९६१ में हो चुका था? यदि हां, तो अब तक नाला न खोदे जाने का कारण क्या है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--जी हां। प्राविधिक (Technical) कठिनाइयों तथा सम्बन्धित काश्तकारों के घोर विरोध के कारण नाला न खोदा जा सका। अब एक Alternative Scheme बनाई जा रही है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दूसरी स्कीम बनाई जा रही है, वह कबतक पूरी हो जायगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--श्रीमन्, इसे जल्दी ही समाप्त किया जायगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि जब १९६०-६१ में इस नाले का सर्वे किया गया था, उस वक्त बहुत से किसानों की जमीन इस नाले में पड़ती थी और उसका मुआवजा भी सिंचाई विभाग की तरफ से दे दिया गया था? क्या यह सही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--श्रीमन्, इसमें किसानों के एक दूसरे झगड़े की बात थी और वहां पर रेलवे की एक पुलिया भी पड़ती थी और उन लोगों ने ज्यादा पानी लेने से इन्कार कर दिया। यह चूंकि वाटर शेड में बहुत गहरा पड़ता है इसलिये बहुत गहरा खोदना पड़ेगा तथा उसके रख-रखाव में भी काफी खर्च पड़ता है इसलिये उसको पहले न लेकर बाद वाले को ले रहे हैं। अब उसको जल्दी ही समाप्त किया जायगा।

बाढ़ एवं कटाव निरोधक योजनायें

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ एवं कटाव निरोधक योजनाओं के लिये कितने रुपये का मास्टर प्लान बना है तथा इसमें कितनी धनराशि के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की गई थी और मांग का कितना प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ एवं कटाव निरोधक योजनाओं के लिये ५७५ लाख रुपये की ceiling निर्धारित की गई है। यह सभी धनराशि केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, अर्थात् १९६१–६२, में ८० लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय सरकार से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त हो चुकी है। नियम यह है कि हर वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्रीय सरकार ऋण का रुपया अनुमानित व्यय के आधार पर प्रदेशीय सरकार को दे देती है। इस प्रकार ऋण का कुल रुपया अर्थात् ५७५ लाख रुपये तृतीय योजना काल के अन्त तक यानी १९६५–६६ तक मिल जायगा बशर्ते कि इतना ही धन प्रदेशीय सरकार व्यय कर ले।

*११—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सही है कि उक्त बाढ़ निरोधक योजनाओं में सर्वाधिक धन अब तक लखनऊ शहर पर खर्च किया गया है और उक्त धनराशि जो लखनऊ पर खर्च की गई है केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का कितने प्रतिशत है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, लखनऊ बचाव योजना पर १९६१–६२ में ४,८०,००० रु० व्यय हुआ और यह धनराशि जो उस वर्ष केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ उसका केवल ६ प्रतिशत है।

*१२—श्री कल्पनार्थसिंह—प्रदेश में अन्य स्थानों पर बाढ़ एवं कटाव के भीषण महत्वों को देखते हुए लखनऊ शहर का उसमें कौन-सा स्थान है और लखनऊ शहर पर उक्त धनराशि खर्च की गई, जो प्राथमिकता दी गई, वह किस आधार पर है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रदेश में जितने भी शहर तथा स्थान हैं सभी को आवश्यकतानुसार महत्व दिया जाता है। लखनऊ में १९६० की भीषण बाढ़ को देखते हुए तथा जन-धन की सुरक्षा के लिये राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने यह आवश्यक समझा कि इस का बचाव तुरन्त किया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मेरे १० वें प्रश्न का जो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया वह नहीं होता है। मैंने यह पूछा था कि कितने रुपये का मास्टर प्लान बना है, उसमें कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार से मांगी गई थी और मांग का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ था। यह माननीय मन्त्री जी की ओर से नहीं बताया गया ? क्या इसको मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह कई दफा बताया जा चुका है कि बाढ़ सम्बन्धी इस स्टेट के लिये ६७ करोड़ रुपये की प्लान बनी है, फ्लड की। अब यह योजना जैसी कि हमारी पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना बनी है उस तरह की नहीं बनी है। एक पूरी योजना बना कर हमने प्लानिंग कमीशन को भेज दी है। उसमें से कितने की प्लानिंग कमीशन मंजूर करता है कितने की नहीं, उनकी बात है। ५ करोड़ ७५ लाख रुपया प्लानिंग कमीशन ने अब तक मंजूर किया है इसमें से ८२ लाख खर्च हो चुका है। इस साल के लिये ९८ लाख मंजूर हुआ था, लेकिन हमने इस बात की कोशिश की है कि वह १ करोड़ १० लाख रुपया दें और उतना हम खर्च करने की उम्मीद करते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ बचाव योजना में कुल कितने रुपये खर्च होंगे ?

श्री राममूर्ति—कुल योजना ३ करोड़ ४ लाख की है और उसमें से अभी तक १६ लाख के करीब खर्च हुआ है। चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० का कहना है कि अगर रुपया उपलब्ध हो तो ढाई करोड़ रुपया तक तीसरी प्लान में खर्च हो सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—इस १६ लाख रुपये में लखनऊ के अन्दर कौन-कौन से मोटे-मोटे कार्य अब तक सम्पन्न हो पाये हैं ?

श्री राममूर्ति—एक तो जो बांध टूट गया था उसको अब नये तरीके से शुरू से आखिर तक बनाया गया है। दूसरे दरिया को चौड़ा भी किया जा रहा है। जो पुल सकरे बने हुए थे उनको फिर से बनाकर चौड़ा किया जा रहा है।

श्री मैनेजरसिंह—बलिया जिले में सर्वाधिक कटाव हुआ है। बलिया बांध तक को उससे खतरा हो गया है। तो क्या उस क्षेत्र की कोई योजना इस रुपये में से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले की सुरक्षा के लिये अभी तक करीब ९–१० लाख रुपया खर्च किया जा चुका है और जो उसके पास के गांव हैं उनकी सुरक्षा के लिये भी करीब १६ लाख रुपये के व्यय हुआ है। बलिया और आजमगढ़ के बीच जो गांव हैं उनकी सुरक्षा के लिये काफी रुपया खर्च हुआ है।

श्री मैनेजरसिंह—बलिया नगर में तो खर्च हुआ है, पर बलिया के पूर्व में बलिया बेरिया बांध से कुछ दूर जो दरिया का कटाव हुआ है और जिससे कि इस बांध को भी खतरा पैदा हो गया है, वहां के लिये कोई योजना है क्या ?

श्री राममूर्ति—जो बलिया बेरिया और बलिया संसादपुर बांध हैं उसके लिये बिहार सरकार की तरफ से कुछ एतराज हुआ था और उसके कारण वहां का काम अभी रुका हुआ है। जब वह मसला तय हो जायेगा तो उसको किया जायेगा। उस पर विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक गलती अभी फिगर्स बताने में हो गयी है। जो फिगर्स मैंने अभी बतायी थीं, लाखों में, वह हजारों में है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गोरखपुर और देवरिया में जो प्रलयकारी बाढ़ आई उस ओर केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ था, तो जो १ करोड़ रुपया इस वर्ष इस स्कीम के लिये मिला है उसमें प्राथमिकता राप्ती और गन्डक के काम को दी जायगी ?

श्री राममूर्ति—नेपाल की सरकार ने २, ४ रोज के अन्दर एक तारीख लगा दी है जिसमें हमारे और उनके चीफ इंजीनियर मुआइना करेंगे। चूंकि ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, शायद उसकी इजाजत मिल जाय। हमने सामान जमा कर लिया है और इजाजत हो गई तो यह कोशिश होगी कि बरसात से पहले ही दरिया नारायणी को ट्रेन कर लें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—जालौन जिले में १० यों साल से हजारों एकड़ जमीन पानी भर कर बरबाद रहती है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—हर गांव और जिले का तो मैं अलाऊ नहीं कर सकता। पहला यह है कि कितनी धनराशि मिली, दूसरा और तीसरा लखनऊ शहर के सम्बन्ध में है। विशेष स्थानों का अलग से सवाल हो सकता है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—गंगा जी अपना कोर्स बदल रही हैं, खासकर कानपुर में। तो क्या इसकी कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री राममूर्ति—गंगाजी की यह बेहूदा आदत हजारों साल से पड़ी हुई है। जहां तक हम ठीक समझते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—यह हमारे सेन्टीमेन्ट के लिये बड़ा आक्षेप है जो माननीय मन्त्री जी ने गंगाजी को बेहूदा कहा।

श्री अध्यक्ष—चंचल कहें या बेहूदा कहें, एक ही बात है।

श्री मैनेजरसिंह—बलिया-बैरिया, बलिया-संसारटोला नहीं, वह अलग है, बलिया-बैरिया के लिये मन्त्री जी ने कहा था कि वहां भी ठोकर की योजना है तो क्या इस स्कीम की स्थिति बताने की मन्त्री जी कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—गोरखपुर और देवरिया में दोनों जिलों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने सर्वेक्षण करके, वह हमें मिले भी थे, रिपोर्ट ऊपर भेजी है कि घाघरा अपना रास्ता काफी छोड़ चुकी है और उसे बड़हलगंज के पास ट्रेन कर दिया जाय, तो उस पर कुछ कार्यवाही होने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—यह डिटेल की बात आप अलग से पूछें।

श्री उग्रसेन—इसे नोट करा दें। मन्त्री जी इसे देख लें।

श्री अध्यक्ष—नोट तो वह कर ही रहे हैं, देख लेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—२१ तारीख को हमने प्रश्न पूछा था कि बनारस जिले में गंगा की २ धाराओं के बीच में १०, ११ वर्ग मील की दूरी में बहुत तेजी से दोनों धारायें कटाव कर रही हैं और चौथाई जमीन कट गई है, तो उत्तर में कहा गया कि उसके लिये कोई स्कीम नहीं है। इस १२वें प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सारे उत्तर प्रदेश की योजना है। तो बनारस में वह क्यों नहीं है?

श्री राममूर्ति—बनारस के लोगों को तो शिकायत का मौका होना नहीं चाहिये क्योंकि करीब सवा करोड़ रुपया वहां खर्च हो गया है और बाकी योजनायें चल रही हैं।

श्री रामायणराय—जो हम चाहते हैं वह इच्छा नारायणी की जहां अब कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे पूरी नहीं होगी। नारायणी नदी जहां से निकलती है वह हिस्सा नैपाल राज्य में है। अगर वहां कोई हेड बनाया जाय तो देवरिया को बचाया जा सकता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने चीफ इंजीनियर को आदेश देंगे कि इस दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाय?

श्री राममूर्ति—यह प्रसन्नता की बात है कि नैपाल राज्य राजी हो गया है। सर्वेक्षण दोनों नजरियों से किया जा रहा है। यदि नैपाल राज्य यह कह दे कि हम इस काम को नहीं होने देंगे तो आल्टरनेटिव स्कीम भी सोची जा रही है।

पूर्वी यमुना नहर का पुनर्निर्माण तथा यमुना के पानी का बटवारा

*१३—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि पूर्वी यमुना नहर का सरकार ने पुनर्निर्माण आरम्भ किया था? यदि हां, तो किस प्रकार से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां। धान की बढ़ती हुई सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिये नहर के ताजेवाला हेडवर्क्स पर उसका डिस्चार्ज २,००० क्यूसेक्स से ४,००० क्यूसेक्स तक बढ़ाने के विचार से उसके पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

*१४—**श्री विजयपालसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी के पानी के बटवाने का समझौता उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सरकार के बीच कब और किन-किन बातों का हुआ था? उनको किस सीमा तक पूरा किया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—१९५४ में पंजाब व उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता किया गया था जिसकी मुख्य बातें संलग्न सूची में दी हुई हैं। उसके अन्तर्गत जो शर्तें व नियम हैं वे माने जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण का कार्य कितना हो गया है और बाकी कब तक हो जायगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसका डिसचार्ज बढ़ा दिया गया है और बाकी काम भी करीब-करीब पूरे हो रहे हैं।

*१५—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—[हटा दिया गया।]

चुनाव दफ्तरों के कर्मचारी

*१६—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—क्या यह सही है कि सरकार चुनाव दफ्तरों से अक्तूबर-नवम्बर, १९६२ में कई सौ कर्मचारियों को हटा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को दूसरे विभाग में स्थान देगी?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री लखीसिंह—जी नहीं से क्या मतलब है? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को मुस्तकिल करने पर विचार करेगी जो १९५७ से काम कर रहे हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जवाब तो दिया, जी नहीं। मैं समझा नहीं यह सवाल।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं उनको परमानेंट कर रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री लखीसिंह—यह तो उत्तर दे दिया कि निकाले नहीं जायेंगे लेकिन वह अस्थायी रहेंगे या स्थायी किये जायंगे?

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि वे क्लर्क्स अस्थायी रहेंगे या उनको स्थायी करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—जब चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अन्दर निहित है और कानून के अन्तर्गत है, पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन ऐक्ट भी है तो यह विभाग अभी तक अस्थायी है या स्थायी है? अगर अस्थायी है तो कब तक स्थायी हो जायगा?

श्री सैयद अली जहीर---इस विभाग का तो एक स्केल्टन स्टाफ रहता है और बाकी स्टाफ जैसे-जैसे जरूरत होती है चुनाव के समय बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। कोई काम होता है तो लोग रख लिये जाते हैं। परमानेन्ट बेसिस पर थोड़ा स्टाफ है बाकी सब टेम्पोरेरी हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---चुनाव कार्यालय में कुछ पोस्टें स्थायी रखी गई हैं, लेकिन उन पर काम करने वाले कर्मचारी अस्थायी हैं। तो उनको उन जगहों पर स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अब मुझे इसकी तफसील नहीं मालूम। वैसे जो जगहें मुस्तकिल हैं तो वहां मुस्तकिल एम्प्लाई होने चाहिये, कहीं पर नहीं हैं ३ वर्ष से कम हुए हैं या कोई और वजह हो तो मुझे ज्ञात नहीं।

*१७-१८---**श्री रघुनार्थसिंह**---[१९वें गुरुवार के लिये प्रश्न १२३-१२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विधायक निवास मोटरखानों में किरायेदार

*१९---**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की को कृपा करेगी कि विधायक निवास भवन बी० ब्लाक में जो मोटरखाने हैं उसमें आदमी रख लिये जाते हैं और उनसे किराया वसूल किया जाता है ?

श्री राममूर्ति---विधायक निवास नं० २ (बी० ब्लाक) में २४ गैरजों में ९ गैरजों में सदस्यों ने आदमियों को रख छोड़ा है। इन आदमियों से किसी प्रकार का किराया वसूल किया जाता है या नहीं इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

*२०---**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने उन आदमियों मोटर गैरेज एलाट कर दिया है जिनके पास मोटर नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक उन लोगों से गैरेज वापस लेकर उन आदमियों को दे दी जायगी जिनके पास मोटर हैं ?

श्री राममूर्ति---केवल उन्हीं सदस्यों को गैरेज अलाट किये गये हैं जिन्होंने अपनी मोटर रखने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे। किसी सदस्य से यह गैरेज खाली कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नाव जिले में ड्रेन निर्माण योजना

*२१---**श्री श्रीराम तिवारी** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड की भादिन व गुरांवा आदि झीलों, नवाबगंज विकास खंड में बसहा एवं अन्य झीलों तथा सफीपुर व उन्नाव तहसील के अन्तर्गत महना झील का पानी निकालने के लिये किसी ड्रेन के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ड्रेन का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायगा और उसका क्या अनुमानित व्यय है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जी हां, उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड में भादिन व गुरावां आदि झीलों का पानी निकालने के लिये १५ मी० ६ फ० की सरवन नाला बनाने की योजना है जिसकी अनुमानित लागत १,७२,००० रुपये है इसमें से ५६,७५६ रुपये विकास खंड से मिले हैं जिससे कि हेड से ८ मील दूरी तक इस ड्रेन का निर्माण हो रहा है। शेष कार्य (७ मील० ६ फ०) जिसकी अनुमानित लागत १,१५,२४४रुपये है,राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वीकृत हो जाने पर तथा धन उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

नोट:---तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नवाबगंज विकास खंड के अन्तर्गत बसहा तथा अन्य झीलों का पानी निकालने के लिये कुसुम्भी भीतर पार नाला बनाने की योजना है। इसकी अनुमानित लागत २१,८१० रुपये है। यह योजना अभी विचाराधीन है।

सफीपुर व उन्नाव तहसील के अन्तर्गत महना झील का पानी निकालने के लिये एक महान ताल नाला बनाने की योजना है इसलिये कि यह पांच मील से कम है। इस सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी को शीघ्र कार्य श्रमदान प्रारम्भ कराने के लिये कहा जा रहा है।

कृषि विद्यालयों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी

*२२—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की उत्तर प्रदेश के कृषि विद्यालयों में अलग-अलग १९६०-६१ में कितने-कितने विद्यार्थी लिये गये, उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—तीन राजकीय तथा पांच प्राइवेट कृषि एवं प्रसार परीक्षा के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बन्धित सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी हुई है। शेष दो प्राइवेट विद्यालयों, अर्थात् कृषि विद्यालय, धौलाना (मेरठ) और कृषि विद्यालय, राजघाट (वाराणसी) से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५० पर)

गोंडा जिले के बांध

*२३—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार गोंडा जिले के बांधों को फिर से चालू करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक तथा कौन-कौन बांध?

श्री राममूर्ति—मामले पर अभी विचार किया जा रहा है, अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया जा सका है।

शारदा नहर, सब-डिवीजन सुल्तानपुर के ओवरसियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप की जांच

*२४—श्री बलवानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर व बरौंसा क्षेत्र के लोगों ने शारदा नहर, डिवीजन फैजाबाद के पंचम उप-विभाग सुल्तानपुर के सहायक अभियन्ता और ओवरसियरों के खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के पांच प्रार्थना-पत्र कुछ समय पूर्व सरकार को भेजे हैं?

श्री राममूर्ति—जी हां, केवल एक प्रार्थना-पत्र कुछ ओवरसियरों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है।

*२५—श्री बलवानसिंह—क्या यह सच है कि सरकार ने उन गम्भीर भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिये उन्हीं सहायक अभियन्ता और ओवरसियरों के पास भेज दिया है? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की जांच अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, फैजाबाद द्वारा हो रही है।

*२६—श्री बलवानसिंह—क्या सरकार उसकी जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में उल्लिखित परिस्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता।

*२७--श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले में रिजर्वायर बनाने की योजना

*२८--श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मातहत बस्ती जिला के अन्तर्गत बढ़नी बाजार के पास चरगरवां नाले के (जो नैपाल से आती है) बाढ़ को रोकने के लिये तथा रबी की फसल को पानी देने के लिये कोई रिजर्वायर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

*२९--श्री सोहनलाल धुसिया--क्या सरकार से इस संबन्ध में नैपाल राज्य से भी लिखा पढ़ी हुई थी और दोनों देशों के इंजीनियरों ने आपस में कोई परामर्श भी किया था और इस स्कीम पर आखिरी निर्णय क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति--जी हां, नैपाल सरकार से इस संबंध में पत्र-व्यहहार हो रहा है । दोनों देशों के इंजीनियरों ने आपस में अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया है । इस संबंध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

नागला फार्म

*३०--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नागला (किचा के समीप) सरकारी फार्म कब चालू हुआ था और तब से अब तक उसमें :

(१) कितना रुपया खर्च हुआ ?
(२) कितने रुपये का (अ) अनाज, (आ) शुगरकेन (गन्ना) बिका ?
(३) कितना लाभ वा हानि सारे फार्म में खर्चा काट कर तब से अब तक हुआ ?

श्री चरणसिंह--नागला (किचा के समीप) सरकारी फार्म (अब पन्तनगर फार्म) सन् १९५०-५१ में चालू हुआ था और तब से ३१ मई, १९६१ तक उसमें (१),४,९२,५९,५८६ रु० खर्च हुआ ।

(२) (अ) अनाज इत्यादि १,३८,६३,७९३ रु० । (आ) गन्ना १,८०,८८,१६१ रु० का बिका ।

(३) २०,३९,३६४ रु० का लाभ हुआ ।

*३१--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--फार्म का कितना भाग--

(१) गन्ने की पैदावार के लिये,
(२) कितना अनाज के लिये,
(३) कितना फल उत्पादन के लिये रखा गया है ?

श्री चरणसिंह--३१ मई, १९६१ को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष में पन्तनगर फार्म में--

(१) गन्ने की पैदावार के लिये ३,८४४.८५ एकड़ ।
(२) अनाज के लिये ९,६४१.९० एकड़ ।
(३) फल उत्पादन के लिये ९१९ एकड़ रक्खा गया था ।

*३२—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—सारे फार्म में १५० रु० से अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं और उनका सब मिलाकर कितना वेतन प्रतिमाह होता है और कितने फार्म लेबरर हैं और उनका सब वेतन प्रतिमास कितना होता है ?

श्री चरणसिंह—मार्च, १९६१ में पन्तनगर फार्म में १५० रु० से अधिक वेतन पाने वाले ३३ कर्मचारी नान-गजटेड रहे और उनका वेतन एक माह का ७,५३९ रु० हुआ तथा ४७९ फार्म लेबरर रहे और उनकी एक माह की मजदूरी (Wages) २८,५८७ रु० ७१ न० पै० हुई।

फर्रुखाबाद जिले में ट्यूबवेल्स की बोरिंग

*३३—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर), श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को पता है कि जिला फर्रुखाबाद में १९६२ में ट्यूबवेल्स नं० १२५ फर्रुखाबाद ट्यूबवेल्स नं० २१, २३, २५, २६ कन्नौज ग्रुप्स नं० ३७, छिबरामऊ तथा १०,८ बिल्लौर ग्रुप्स का बोरिंग किया गया है ? जो एक दम टेढ़े बोर किये गये हैं जिसके कारण उनके जल्दी ही खराब हो जाने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कुओं की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति—इन कूपों का निरीक्षण किया गया और ज्ञात हुआ कि नलकूप नं० २१, २३, २५ व २६ कन्नौज ग्रुप अक्तूबर, १९६२ में चालू किये गये हैं। शेष चार नलकूप अभी चालू नहीं किये गये हैं। निर्माण के समय इन नलकूपों के Housing pipes कुछ टेढ़े हो गये थे जो कभी कभी कूपों के विकास (Development) के समय में हो जाया करता है। चूंकि इन कूपों का टेढ़ापन सुरक्षा सीमा (Permissible limit) के अन्दर है और इन पर पम्पिंग सेट आवश्यक सुधार करके फिट कर लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ उपर्युक्त चार चालू नलकूप सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं, अतः किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३४—श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर—क्या सरकार को यह भी पता है कि ट्यूबवेल्स नं० २१ २३, २५, २६ का सीमेन्ट वर्क इतना खराब है कि ट्यूबवेल्स की नालियां अभी से खराब होनी शुरू हो गई हैं और बिल्डिंग्स भी फटी खड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राममूर्ति—अभी तक केवल कूप नं० २१, २३ व २५ पर गूलें बनाई गई हैं और वे सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं। कूप नं० २६ कन्नौज ग्रुप पर अभी पक्की गूल निर्मित नहीं हुई है। इन कूपों पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। केवल पम्प घर (Pumping Housc) बने हैं जो बिलकुल ठीक दशा में हैं।

सिंचाई डिवीजन इटावा का हेडक्वार्टर

*३५—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा डिवीजन के एस० डी० ओ० व जिलेदार साहब का हेडक्वार्टर भोगनीपुर डिवीजन में शिकोहाबाद पर है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, सहायक अभियन्ता, पंचम व जिलेदार पंचम, इटावा डिवीजन, लोअर, गंगा कैनाल, इटावा का हेडक्वार्टर शिकोहाबाद में है, क्योंकि शिकोहाबाद रेलवे का हेड तथा तहसील का हेडक्वार्टर है।

*३६—श्री बलवीरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी इमारत एस० डी० ओ० व जिलेदार के रहने के लिये शिकोहाबाद में बन रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—शिकोहाबाद में जिलेदार के लिये कोई इमारत नहीं बन रही है। एस० डी० ओ० के रहने के लिये इमारत बनाई जा रही है क्योंकि शहर में इमारत का मिलना कठिन है ।

दिबियापुर–बाबरपुर रोड पर प्राइवेट बस सर्विस

*३७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या परिवहन मंत्री को पता है कि कानपुर रीजन की दिबियापुर–बाबरपुर रोड के राष्ट्रीयकरण की स्कीम गजट हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उस रोड पर प्राइवेट बस चलाने के नये परमिट दिये जा रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ (सी) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है ।

'बिड़ला बांध'

*३८—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बिड़ला बांध जिला बलिया के टूटने के कारण कितने गांव प्रभावित हुए और कितने की कुल क्षति हुई है ?

श्री राममूर्ति—बांध के उस मार्ग के टूट जाने के कारण जिसे ग्रामीणों ने मेड़ के रूप में बढ़ाया था ४ गांव प्रभावित हुए और लगभग १ लाख रु० के फसल की क्षति हुई ।

*३९—श्री मैनेजरसिंह—क्या यह सही है कि उक्त बांध की मरम्मत श्रमदान द्वारा इस वर्ष की गई थी और उसे सुरक्षित और मजबूत करने के लिये जन प्रतिनिधियों की मांग पर राजस्व मंत्री ने सिंचाई मंत्री से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उसे क्यों नहीं मरम्मत किया गया ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग —जी हां ।

द्वितीय भाग—राजस्व मंत्री का नहीं बल्कि एक पत्र इस संबंध में नियोजन मंत्री का दिनांक १०–८–६२ का माननीय सिंचाई मंत्री के नाम लिखा हुआ इस विभाग में प्राप्त हुआ था जिसमें बिड़ला बांध में ग्राम बहुआरा और ग्राम श्रीपालपुर के बीच एक स्थान पर टूटे हुए भाग की मरम्मत करने के बारे में लिखा था ।

प्रश्न का तृतीय भाग—इस भाग की मरम्मत ग्रामीणों ने श्रमदान द्वारा कर ली थी पर गंगा में बाढ़ आने पर इस स्थान पर बांध फिर टूट गया ।

'गोविन्द सागर बांध'

*४०—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सत्य है कि गोविन्द सागर बांध जो ललितपुर जिला झांसी में है कब बना व उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—यह बांध सन् १९५२ में बना तथा इस पर अक्तूबर, १९६२ तक होने वाले व्यय की सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४१—श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध में अनेक जगह दरारें पड़ गई हैं जिनके कारण वहां के आस-पास के व ललितपुर की जनता का धन-जन खतरे में है ? यदि हां, तो बांध में दरारें पड़ने का क्या कारण है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति——प्रथम भाग—जी नहीं । द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है ।

फर्रुखाबाद रोडवेज स्टेशन के कर्मचारी

*४२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद रोडवेज स्टेशन पर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले सात-आठ साल से लगातार daily wages पर कार्य करते चले आ रहे हैं और वह regular cadre में नहीं लिये गये हैं तथा उसके कारण क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४३—श्री दयाराम शाक्य—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश संख्या ३०६८—Rest—१०-आर-ई० एस० टी० -६१, दिनांक ४ जुलाई, १९६१ के अन्तर्गत किस-किस को किन-किन पदों के लिये पदोन्नत किया गया तथा उसके आधार क्या थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्रित की जा रही है

घोसी बस स्टेशन की इमारत

*४४—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि घोसी, जिला आजमगढ़ के बस स्टेशन की बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्राप्त भूमि पर सरकार का कब्जा हुआ कि नहीं ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जमीन पर कब्जा मिल गया है ।

मूसाखाण्ड बांध के विस्थापितों को भूमि

*४५—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मूसाखान्ड बांध जिला वाराणसी के अन्तर्गत कुल कितनी एकड़ जमीन काश्तकारों की ली गयी है तथा उस बांध के विस्थापितों को बसने तथा काश्त करने को अब तक कितनी एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है ?

श्री राममूर्ति—१६२ एकड़ । विस्थापितों को बसाने हेतु ग्राम मूसाखान्ड आबादी से ४ फर्लांग के फासले पर वन विभाग की १३८ एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है और उसके वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की २४ एकड़ भूमि साफ की जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*४६—श्री रामलखन वकील—क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग ने उन विस्थापितों को लिखित आश्वासन दिया था कि उनको जमीन दे दी जायेगी और उस जमीन की सीमा को निर्धारित करके किसानों को दिखा भी दिया गया था ? यदि हां, तो अब विभाग उस निर्धारित जमीन को न देकर वहां से ३ मील दूर जमीन देने की योजना क्यों बना रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, बाद को उन्होंने जमीन के ऊंची नीची होने के कारण स्वयं उसको नापसन्द कर दिया।

लखनऊ-बाराबंकी-फतेहपुर रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी

*४७—**श्री रामआसरे** (जिला बाराबंकी)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, बाराबंकी तथा फतेहपुर रोड पर जो जो रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं उनके कन्डक्टरों व ड्राइवरों तथा इस रोड के बुकिंग क्लर्कों व स्टेशन मास्टरों को साढ़े छः बजे सुबह से साढ़े आठ बजे शाम तक अपने-अपने काम पर ड्यूटी देनी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—कन्डक्टरों, ड्राइवरों और बुकिंग क्लर्कों से इस प्रकार ड्यूटी ली जाती है कि वह लगातार आठ घन्टे स्प्रेडोवर (spreadover) १२ घंटे से अधिक नहीं होती। स्टेशन इंचार्ज के ड्यूटी के घंटे निश्चित नहीं किये जाते।

*४८—**श्री रामआसरे**—क्या आठ घंटों से ज्यादा ड्यूटी की गई तो कितने दिनों तक? क्या वह चार्ज दिया जायगा?

श्री मुजफ्फर हसन—कुछ कर्मचारियों से हर महीने ८ घंटों से अधिक ड्यूटी ली जाती है। उसके लिए ओवर टाइम (over time) अलाउन्स दिया जाता है। यह अलाउन्स स्टेशन इंचार्ज को नहीं दिया जाता।

*४९-५१—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—[१७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४९-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५२—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[७ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ११२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इमलिया नाला की रिमार्डलिंग

*५३—**श्री नैनसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फ्लड डिवीजन, मुजफ्फरनगर में इमलिया नाले की सफाई व सीधा करने का प्रोग्राम पिछले ४ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है परन्तु उस कार्य की पूर्ति न होने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जी हां। इसका काम १९५७ में आरम्भ किया गया। चूंकि नाले का रिमार्डलिंग (Re-modeling) होना है, अतः यह काम अभी पूरा नहीं हुआ। आशा की जाती है कि मार्च, १९६३ तक पूरा हो जायेगा।

*५४—**श्री नैनसिंह** तथा **श्री रियासत हुसैन**—उसकी सफाई न होने से प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है? क्या सरकार इस नाले की सफाई कराने का कष्ट करेगी?

श्री राममूर्ति—इसकी समय-समय पर सफाई होती रही है और पिछले चार वर्षों में फसल को कोई हानि नहीं हुई है। अतः नाले की सफाई न होने का प्रश्न नहीं उठता।

*५५-५६—**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)—[१७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अतर्रा ड्रेन की सफाई

*५७—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि टाउन अतर्रा, तहसील नरैनी, जिला बांदा में नहर विभाग ने एक ड्रेन भराव के पानी को निकालने के वास्ते कुछ दूर नहर के किनारे-किनारे फिर गुठिल्ला के पुरवा से होती हुई नाले में डाल दिया गया ह उसकी सालाना रेग सफाई आदि कब से नहीं हुई ? अगर हुई, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—संबंधित ड्रेन की सफाई आवश्यकतानुसार कराई जाती है। सन् १९६१ में पूरे नाले की सफाई कराई जा चुकी है।

ए० जी० एम० रोडवेज, इटावा के विरुद्ध शिकायत

*५८—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० टी० आई० मिस्टर सरोही व ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट डब्लू० एन० शर्मा का हेड क्वार्टर इटावा है फिर वह फर्रुखाबाद क्यों रहा करते हैं ? ए० जी० एम० इटावा ने अब तक कोई उनके खिलाफ कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५९—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्डक्टर विश्रामसिंह व आसा राम व जे० पी० शर्मा व रामचन्द्र राजपूत कन्डक्टर फर्रुखाबाद इनके खिलाफ तीन वर्ष में कितनी शिकायतें आई हैं और इन पर क्या कार्यवाही की है ? इन लोगों की ड्यूटी लास्ट बस की दी जाती है और यह अपनी ड्यूटी में ए० जी० एम० इटावा को सामान ला कर देते हैं और ए० जी० एम० इटावा उन पर खास मेहरबान हैं, ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*६०—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में फोरमैन, इटावा रोडवेज से ए० जी० एम० इटावा से इस बात पर झगड़ा हुआ था कि जी० एम० उस फोरमैन के द्वारा ६ कुर्सी पाइप की बनवा ली थीं और इसी तरह की और कुर्सी बनवाना चाहते थे जो उसने मना कर दी ? क्या सरकार वर्कशाप का तत्काल चेकिंग कराने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

आर० टी० ओ० लखनऊ का दफ्तर

*६१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ आर० टी० ओ० दफ्तर के स्थानान्तरण का विचार है ? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा किस मासिक किराये पर बिल्डिंग ली जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में रोडवेज कार्यालय में श्री दीपचन्द वैश्य के विरुद्ध शिकायतें

*६२—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद रोडवेज के जनरल मैनेजर के कार्यालय में दीपचन्द वैश्य क्लर्क के ऊपर कितनी शिकायतें चल रही हैं ? उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

पूर्वी जिलों में सिंचाई व्यवस्था

*६३—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)— क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती आदि पूर्वी जिलों में इधर कुछ दिनों से वर्षा न होने के कारण बिल्कुल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस दृष्टि से सिंचाई आदि की कुछ व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—बस्ती तथा अन्य पूर्वी जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

मत्स्य मण्डियों के लिए शीतागार

*६४—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९५६ ई० की मई में सरकार ने मछली की तिजारत को बढ़ावा देने के लिये और उन्हें सड़ने से बचाने के लिये प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज योजना बनाने में कुल कितना धन व्यय किया ? इनमें से कितने कोल्ड स्टोरेज चलते हैं और कितने नहीं ?

श्री चरणसिंह—मई, १९५६ में द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत प्रदेश को चार प्रमुख मत्स्य मंडियों में मत्स्य उत्पादकों को शीतागार सम्बन्धी सुविधायें देने की व्यवस्था की योजना स्वीकृत हो गयी थी । १९५६–५७ में इस योजना पर कोई व्यय नहीं हुआ । प्रथम शीतागार इलाहाबाद में जनवरी, १९५९ में स्थापित हुआ । १९५९–६० में आगरा, वाराणसी तथा गोंडा में छोटे आकार के शीत प्रकोष्ठ लगाये गये । योजना पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया है । इलाहाबाद के शीतागार को छोड़कर अन्य तीनों शीत प्रकोष्ठ प्रयोग में आते हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

*६५—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना के मुताबिक सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री चरणसिंह—इलाहाबाद के शीतागार तथा आगरा, वाराणसी और गोंडा में लगाये गये शीत प्रकोष्ठों को केवल विभागीय मछलियां रखने के लिये प्रयोग में लाया जा सका क्योंकि निजी मत्स्यपालकों ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया । अतएव आय का प्रश्न नहीं उठता ।

पी० डब्लू० डी० इम्प्लाईज यूनियन, आगरा का स्मृति-पत्र

*६६—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी०, पी० डब्लू० डी० इम्प्लाईज यूनियन, आगरा ब्रांच की ओर से प्रेषित स्मृति-पत्र, दिनांक ५ मई, १९६२ , २८ जून, १९६२ और ११ सितम्बर, १९६२ सरकार को प्राप्त हुये हैं जिनमें आगरा सर्किल के रोडवेज वर्कशाप के काम को सुधारने के लिये सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त स्मृति-पत्रों का पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । इन स्मृति-पत्रों पर सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यवाही कर रहा है, क्योंकि इनका सम्बन्ध रोडवेज वर्कशाप, आगरा से नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*६७—श्री सन्तसिंह यूसूफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज आगरा सर्किल में बहुत से इञ्जन, मिक्सर मशीनें तथा पम्पिंग सेट बिना देखभाल तथा मरम्मत के पड़े हुये हैं जिनको थोड़ी मरम्मत के बाद ठीक किया जा सकता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, ऐसा नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण योजना में हानि

*६८—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कुछ जिलों में तीस लाख रुपये की अनुमानित व्यय पर ८,००० एकड़ alkaline land तथा २,००० एकड़ eroded land का पुनरुद्धार (reclamation and cultivation) योजना १९४९ में शुरू की गई थी और जिससे २ लाख रुपये प्रतिवर्ष राजस्व आय का अनुमान था उस पर ३९.१४ लाख रुपयों के व्यय होने के बावजूद १९६०—६१ तक १६.१४ लाख रुपयों की हानि होने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—योजना में हानि होने के कारण नीचे दिये जाते हैं :—

(१) सन् १९४९ में इस प्रदेश में भूमि संरक्षण का विचार ही एक नया विचार था जिसका किसी को कोई अनुभव नहीं था। वह केवल एक प्रयोगात्मक प्रयास था और उसमें अनुमानित आय-व्यय एवं परिणाम का ब्योरा केवल कार्य की रूपरेखा मात्र को दर्शाने हेतु था।

(२) योजना में हर आवश्यकता जो इन दशाओं में सोची जा सकती थी उसके लिये स्थान था तथापि कार्यान्वित होने पर परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने पड़े।

इस योजना में ३० लाख रु० का अनावर्तक व्यय उस स्थिति में रखा गया था कि रिक्लेमेशन डिविजन रिक्लेमेशन तथा उसके बाद की जुताई बुवाई एवं समस्त सम्बन्धित यांत्रिक क्रियायें, अपने साधनों (मशीनों) द्वारा करेगा और उन क्रियाओं का मूल्य एक निश्चित दर से उसको अदा कर दिया जायगा। परन्तु बाद में हुआ यह कि रिक्लेमेशन डिविजन टूट गया और जो कार्य इस योजना के अन्तर्गत निहित नहीं था वह भी इसमें आ गया और खर्चा बढ़ गया।

(४) सिंचाई के हेतु पानी का अभाव एवं अनिश्चितता रही। ११ नलकूपों में से केवल ६ नलकूप एक समय में चल सकते हैं और वह भी ८ घंटे प्रतिदिन (छुट्टी के दिनों को छोड़कर)।

(५) सन् १९५४–५५ में प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर यह आदेश मिला कि और अधिक भूमि पर खेती न बढ़ाई जाय और विभाग प्रयत्न करे कि उपज बढ़े और आर्थिक दशा में उन्नति हो और जब तक किताबी लाभ आरम्भ न हो रिक्लेमेशन का कार्य आगे न बढ़ाया जाय।

(६) सन् १९५५–५६ में ३०० एकड़ खेती योग्य बनाई जा चुकी भूमि उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकान्स्ट्रक्शन फंड ट्रस्ट को स्थानान्तर कर दी गई।

(७) खेती योग्य बनाई जा चुकी भूमि की कीमत हमारी किताबों में केवल २८७.१५ रुपया प्रति एकड़ दिखाई गई है, जब कि ऐसी भूमि का आज कल बाजार मूल्य ८५० रु० प्रति एकड़ है।

*६९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न ६८ के उत्तर के बताई परिस्थिति में हानि का होना प्राकृतिक है जिसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

*७०—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जिले से राजनीतिक पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*७१—**श्री देवेन्द्रसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के किन-किन व्यक्तियों से राजनैतिक पेन्शन पाने के लिये प्रार्थना-पत्र क्रमशः १९६०, ६१, ६२ (अगस्त तक) में आये हैं और उनमें से किस-किस व्यक्ति को पेन्शन दी गयी है और कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ?

*७२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कितने प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्नों में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुए लाभदायक न होगा। सदस्य महोदय यदि किसी विशेष व्यक्ति के वित्तीय सहायतार्थ आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कार्यालय से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

देवरिया जिले के लिए नलकूप

७३—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री वर्तमान सत्र ग्यारहवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ९० के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जो ३५ नलकूप लगने के लिये प्रस्तावित हैं उनमें कोई नलकूप मोतीचक और सुकरौली ब्लाक में नहीं लगेगा इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि यह क्षेत्र प्रस्तावित गंडक कैनाल से निकाली जाने वाली नहरों द्वारा सींचा जाएगा अतः यहां पर कोई नलकूप बनाने का विचार नहीं है।

*७४—**श्री बांकेलाल**—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि मोतीचक और सुकरौली ब्लाक में असिंचित भूमि को सिंचित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में बताया गया, यह क्षेत्र गंडक कैनाल से निकाली जाने वाली नहरों द्वारा सींचा जायेगा।

*७५—**श्री बांकेलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के किन-किन ब्लाकों में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप अब तक लगाये जा चुके हैं तथा उपरोक्त ३४ नलकूपों में से किन-किन ब्लाक में कितने-कितने नलकूप लगाये जायंगे ?

श्री राममूर्ति—प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो नलकूप निर्माण किये गये उनकी तालिका संलग्न है। तृतीय योजना में लगने वाले नलकूपों की सूची बाद में प्रस्तुत की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५२ पर)

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में कन्डक्टरों की जमानत

*७६—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकारी रोडवेज बसों में कंडक्टरों को तब तक काम नहीं दिया जा सकता जब तक उनकी सिक्युरिटी जमा न हो जाये ? यदि हां, तो कानपुर रीजन में अब्दुल मतीन और अब्दुल लतीफ को कैसे कंडक्टर का काम मिला जब उनकी सिक्युरिटी जमा नहीं थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७७—श्री देवदत्त मिश्र—क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि जी०ओ० नं० 2020/XXX—200-T-53, बतारीख १५ जुलाई, १९५५ के अनुसार गुड कंडक्ट के सम्बन्ध में देय मासिक सात रुपये कंडक्टरों की बुनियादी वेतन में शामिल कर दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा नहीं है।

*७८—श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि अभी तक इस सर्कुलर के अनुसार कतिपय कंडक्टर इस सुविधा से वंचित रखे गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर पर यह प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद के कर्मचारियों का भत्ता

*७९—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद रीजन के रोडवेज विभाग में असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेटरों तथा अन्य कर्मचारियों को छः मास से टी० ए०, डी० ए०, ओवर टाइम के बिल का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो न भुगतान होने का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो के कर्मचारियों का भत्ता

*८०—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में अप्रैल, सन् १९६२ से सितम्बर, ६२ तक का ओवर टाइम एलाउन्स अभी तक क्यों नहीं वितरित किया गया ? इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों पर जो इस देर के जिम्मेदार हैं, क्या कार्यवाही की गई ?

*८१—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में गुड कंडक्ट माइलेज तथा नाइट एलाउन्स जुलाई, सन् १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक का इस समय तक वितरित क्यों नहीं हुआ ? क्या सम्बन्धित अधिकारी एवं लिपिक पर जो इस देर के जिम्मेदार हैं कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फरहसन—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

रोडवेज कर्मचारियों का स्थायीकरण

*८२—श्री चन्दनसिंह (जिला जालौन) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० रोडवेज विभाग में सन् १९५५ व ५६ के जितने कर्मचारी थे वे एक ही आदेश द्वारा स्थायी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इलाहाबाद रीजन को छोड़कर प्रदेश के सारे रीजनों में उन्हें पेन्शन पाने का हक हो गया है, तो इलाहाबाद रीजनों में इसे क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, उनका स्थायीकरण विभिन्न आदेशों द्वारा हुआ है। विभिन्न पदों को पेन्शनेबिल, नान-पेन्शनेबिल घोषित करने वाला राज्यादेश समस्त रोडवेज रीजनों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है।

*८३—श्री चन्दनसिंह तथा श्री ऊदल—क्या इलाहाबाद रीजन को छोड़कर और रीजनों में उन कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड सन् १९५५ व १९५६ से कटता है और इलाहाबाद रीजन में अक्तूबर, सन् १९६० से कट रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रारम्भ में अन्य रीजनों के कुछ स्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों पर महालेखापाल, यू० पी० ने एकाउन्ट नम्बर १९५५ में ही एलाट कर दिया था। इससे उनका प्राविडेन्ट फंड इसी वर्ष से कट रहा है। दूसरे कर्मचारियों द्वारा बाद में भेजे गये आवेदन-पत्रों पर उक्त अधिकारी ने यह आब्जेक्शन लगा कर लौटा दिया था कि वह लोग पेन्शनेबिल नहीं घोषित किये गये थे। चूंकि कर्मचारियों को पेन्शनेबिल घोषित करने का आदेश अक्तूबर, ६० में जारी हुआ, इसलिये बाकी सभी कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड उक्त माह से कट रहा है।

*८४—**श्री चन्दनसिंह तथा श्री ऊदल**—क्या यह भी सत्य है कि १९५५-५६ के कर्मचारियों को जो एक ही आदेश से स्थायी किये गये हैं उन में कुछ को पेन्शन का हकदार ५-६ वर्ष बाद बनाया गया और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जिन कर्मचारियों को श्रम कानूनों के मातहत ओवर टाइम इत्यादि की सुविधायें प्राप्त हैं उनको पेन्शन का हकदार नहीं बनाया गया है।

रोडवेज कर्मचारियों को फेमिली पास न मिलना

*८५—**श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से रेलवे कर्मचारियों को रेल यात्रा के लिये फैमिली पास मिलता है उसी तरह से क्या रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को बस-यात्रा के लिये फैमिली पास दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

बहराइच-कैसरगंज बस दुर्घटना में मृत सन्तू

*८६—**चौधरी अब्दुल हसीब खां** (जिला बहराइच)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से कैसरगंज जाने वाली बसों में से रोडवेज की किसी एक बस से दिनांक २ अक्तूबर, १९६२ को ऐक्सीडेन्ट हो गया था, जिसमें दो आदमियों को चोट आयी और सन्तू ब्राह्मण, निवासी जोगिनपुरवा, दाखली ग्राम सिंगाही, मर गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*८७—**चौधरी अब्दुल हसीब खां**—अगर यह सच है कि तो क्या सरकार बतायेगी कि सन्तू मृतक के दो बेवा स्त्रियों और दो छोटे बच्चों को क्या सहायता प्रदान की गई, जो साइकिल मोटर के पहिये से दब कर टूट गई थी वह क्या हुई और सन्तू मृतक के साथी जो घायल हो गये थे उनका क्या हाल हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। इस संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है और उनकी रिपोर्ट मिलने पर मृतक के आश्रितों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने के बारे में सरकार विचार करेगी।

साइकिल फखरपुर पुलिस स्टेशन में जमा है। मृतक श्री संतू के साथी को अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई।

*८८—**चौधरी अब्दुल हसीब खां**—Third Party Risk Insurance के मातहत अभी तक कुल कितना रुपया दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—रोडवेज की गाड़ियाँ Third Party Risk के लिये Insure नहीं की जातीं।

कृषि अधिकारी, बाराबंकी के खिलाफ शिकायत

*८९—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के खिलाफ कोई शिकायत उनको तथा कृषि अधिकारियों को प्राप्त हुई है कि उक्त कृषि अधिकारी गत ८ जुलाई को कुछ बोरे गेहूं रामनगर सरकारी फार्म से राजकीय कृषि भंडार, बाराबंकी के लिये स्वयं अपने साथ एक ट्रक पर ले गये और वह गेहूं उक्त कृषि भंडार पर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

वाराणसी जिले में वरुणा नदी पर पुल व रेगुलेटर निर्माण व्यय

*९०—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलईपुर-सारनाथ रोड जिला वाराणसी में बरुणा नदी पर जो पुल सिंचाई विभाग ने बनाया है उसमें बरुणा नदी का पानी रोकने के लिये रेगुलेटर भी लगाया है ? यदि हां, तो उस पुल तथा रेगुलेटर के फाटक को बनवाने में अलग-अलग कितना रुपया व्यय हुआ है और रेगुलेटर कब बन कर तैयार हो गया ?

श्री राममूर्ति—जी हां, पुल के निर्माण पर ६,८५,७०० रु० व्यय हुआ जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ । रेगुलेटर के निर्माण पर ११,९४,६०० रु० व्यय हुआ और यह धन प्रदेशीय सरकार के बजट से खर्च हुआ । रेगुलेटर १९५९ में बन कर तैयार हुआ ।

*९१—श्री गिरधारीलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेगुलेटर तैयार होने के बाद कभी बरुणा नदी का पानी रोका गया या नहीं ? यदि हां, तो किस साल और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इसके उपयोग की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी ।

*९२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विधायक निवास के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सुविधायें देने की सिफारिश

*९३—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १५ अगस्त, १९६२ से १ सितम्बर, १९६२ तक राज्य सम्पत्ति मंत्री के पास इसी विभाग के कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कितने विधायकों के पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें किन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—दिनांक १५-८-१९६२ से १-९-१९६२ तक विधायक निवास में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में ५ विधायकों के पत्र प्राप्त हुये हैं जो कि इन कर्मचारियों को साप्ताहिक, राष्ट्रीय पर्वों पर तथा त्योहारों में छुट्टियां व निवासों में बने क्वार्टरों को न देने के संबंध में था । चूंकि कर्मचारियों को मास में एक दिन की व विशेष त्यौहारों में जिनसे उनका सम्बन्ध हो छुट्टियां दी जाती हैं और जहां तक संभव होता है उनको राष्ट्रीय पर्वों पर छुट्टियां और क्वार्टर दिये जाते हैं और चूंकि सप्ताहिक छुट्टी देने में लगभग २७,३०० रु० का वार्षिक आवर्तक व्यय होगा अतः इन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

मुरादाबाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी

*९४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि मुरादाबाद में सिंचाई विभाग के वर्कशाप में कुल कितने आदमी काम करते हैं और क्या यह सच है कि वर्कशाप सुपरवाइजर को वहां काम करते हुये ४ साल से अधिक हो गये हैं? यदि हां, तो उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि मुरादाबाद साउथ डिवीजन के सिंचाई विभाग के आपरेटरों, पतरौलों, जिलेदारों व सुपरवाइजरों का गत ३ वर्षों का वेतन का एरीयर्स रुका हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कमयार घाट कृषि फार्म

*९६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कमयार घाट के राजकीय कृषि फार्म में कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी भूमि अभी तोड़ी नहीं गई है ?

श्री चरणसिंह—यह फार्म २,४०१,९४ एकड़ का था जिसमें से १,४६० एकड़ भूमि खेती के लिये तोड़ी गई थी। इस फार्म को १९५६ से बन्द कर दिया गया है।

*९७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उक्त फार्म को तोड़ने का विचार कर रही है । यदि हां, तो क्या इस पर सहकारी खेती के लिये भूमि देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो फिर इस भूमि का उपयोग किस प्रकार करने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—फार्म बन्द किया जा चुका है तथा इसकी भूमि कृषकों को ७ साल के पट्टे पर दी जा रही है ।

*९८-९९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[२० वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७१-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१००-१०१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[५ दिसम्बर, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत निरस्त किये जा चुके हैं ।]

लखनऊ-गोरखपुर, गोंडा-बेलसर बस सर्विस

*१०२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार लखनऊ से गोरखपुर तक बस सेवा चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*१०३—श्री गंगाप्रसाद—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा से बेलसर तक जो रोडवेज बस जाती है, उससे प्रत्येक माह में औसतन कितनी आमदनी होती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—गोंडा से बेलसर तक बसों की कोई पृथक सेवाएं नहीं चलती हैं अतः वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

कानपुर–लखनऊ बस सर्विस कन्डक्टर के खिलाफ शिकायत

*१०४—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर से लखनऊ को आने वाली बस नं० यू० एस० क्यू०, ७३३२, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२ को कानपुर से लगभग ११.१० बजे प्रातः कितनी सवारियां लेकर लखनऊ आयी तथा उस बस पर लखनऊ आने के लिये कन्डक्टर द्वारा टिकट न दिये जाने की शिकायत स्टेशन इन्चार्ज कानपुर कलेक्टरगंज को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कथित बस १४ सवारियां लेकर आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद कंडक्टर का कोई दोष नहीं पाया गया।

*१०५—श्री मुरलीधर कुरील—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों को बसों पर चलने के फ्री पास दिये गये हैं ? यह हां, तो इससे कितने धन की वार्षिक क्षति होती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—फ्री पास केवल सरकारी कार्य के लिये दिये जाते हैं और इससे सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं होती।

गाजीपुर जिले में महादेवा घाट पर गंगा के कटाव से दुर्घटना

*१०६—श्री रघुवीर तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, तारीख १६ अक्तूबर, १९६२ सुबह गौरा बाजार के पास महादेवा घाट पर गंगा नदी के भारी कटाव से २१ व्यक्ति दब गये और उसमें से ७ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो मृत व्यक्तियों में कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं ?

*१०७—क्या लार्ड कार्नवालिस की कब्र से लेकर कोयलाघाट तक तेजी से गंगा का किनारा कट रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है।

गाजीपुर में गंगा का बहाव

*१०८—श्री कृष्णानन्द राय—क्या सरकार को यह सूचना है कि गंगा के बहाव की दिशा अभी हाल में बदल गयी है और गाजीपुर शहर का पुराना किनारा असुरक्षित हो उठा है तथा वह बह-बह कर गिर रहा है ?

*१०९—यदि हां, तो क्या सरकार गाजीपुर को न गिरने से बचाने की व्यवस्था के लिये कोई योजना बनाने की सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजनीतिक पीड़ितों की पेन्शन में महंगाई भत्ता न होना

*११०—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनों-दिन बढ़ती महंगाई को देख कर राजनीति-पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशनों में महंगाई भत्ता की वृद्धि की योजना पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—राजनीतिक पीड़ितों को दी जाने वाली पेन्शनों में महंगाई भत्ते की वृद्धि की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*१११—श्री सहदेवसिंह (जिला उन्नाव)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस श्रेणी के कितने (Honrary Magistrates) अवैतनिक न्यायाधीश हैं तथा विभिन्न जिलों में उनकी संख्या समान है या अलग-अलग और कितनी-कितनी ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना सिविल लिस्ट तृतीय भाग में है। जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं ?

*११२—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को अपने कर्त्तव्य पालन के लिये की गयी यात्राओं का भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब से और किस दर से ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को अपने कर्त्तव्य पालन के सम्बन्ध में भाड़ा के लिये सफर और दैनिक भत्ता (Travelling Allowance Rules) के अनुसार दिये जाते हैं ?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के विचाराधीन मुकदमे

*११३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग ११ हजार मुकद्दमों का फैसला ४ वर्ष से ज्यादा हुआ, नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके फैसला करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। हाई कोर्ट में अवशिष्ठ वादों (arrears) को फैसला करने के लिये कोई योजना नहीं है और न हो ही सकती है। परन्तु सरकार उनके फैसले के लिये हाई कोर्ट के सहयोग से जजों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ अन्य हर संभव प्रयत्न कर रही है और आशा की जाती है कि कुछ समय पश्चात् इसमें सफलता मिलेगी।

*११४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के Bar Association ने कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें सरकार से यह मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुये जिलों को लखनऊ में न मिलाया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*११५-११६—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—[१० दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या १३-१४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सिंचाई विभाग के अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियर्स

*११७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० में सिंचाई विभाग में कितने असिस्टेंट इन्जीनियर्स ऐसे हैं जो अभी मुस्तकिल नहीं किये गये हैं और इनमें से कितने ऐसे हैं, जो ३ साल से ज्यादा से सर्विस में हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में इस समय ६४८ सहायक अभियन्ता अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें २४५ ऐसे हैं जो विभाग में ३ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं।

*११८—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार Permanent Cadre के इस इम्तिहान को उस वक्त तक के लिये जब तक यह ३ साल से अधिक सर्विस वाले Assistant Engineers मुस्तकिल न हो जावें, मुल्तवी करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। स्थायी पदों के लिये इस वर्ष नवम्बर, सन् १९६२ में परीक्षा हो चुकी है अत: उसके स्थगन का प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत उपनिवेशन योजना

*११९--**श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ में भूमिहीन कितने परिवार बसाये जायेंगे तथा क्या उन्हें खेती के लिये भूमि दी जायेगी ?

श्री चरणसिंह--पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ में ८० भूमिहीनों के परिवारों के बसाने का तथा उन्हें खेती करने के लिये भूमि देने का प्राविधान है।

पशु चिकित्सालयों का वर्गीकरण

*१२०--**श्री लोकपालसिंह**, (जिला एटा), **श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा) तथा **श्री बेदराम** (जिला एटा)--इस सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पशु चिकित्सालयों का वर्गीकरण (gradation) है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री चरणसिंह--इस प्रश्न का उत्तर विधान सभा के १४ वें मंगलवार (दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२) को सर्वश्री राजेन्द्रसिंह एवं लोकपालसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

*१२१--**श्री लोकपालसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह** तथा **श्री बेदराम**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पशु-चिकित्सक (बी० पी० एस०) तथा पशु-चिकित्सा अधिकारी (बी० ओ०) में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो क्या ? क्या प्रदेश में पशु-चिकित्सकों के स्थान पर पशुचिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जी हां। पशु चिकिसक (V.A.S.) तथा पशु चिकित्सा अधिकारी (V.O.) अधीनस्थ पशु चिकित्सक सेवा के क्रमश: "ब" व "अ' श्रेणी के सदस्य होते हैं। "ब" श्रेणी के सदस्यों का वेतनक्रम १२०-२५० रु० है जो कि डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के लिये २००-३५० रु० कर दिया गया है। "अ" श्रेणी के सदस्यों का वेतन-क्रम २००-३०० रु० है। पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सालयों तथा उपयुक्त विकास योजनाओं के काम में लगाये जाते हैं तथा पशु चिकित्सा अधिकारी Key village Blocks तथा अन्य उच्च श्रेणी के कार्य में लगाये जाते हैं। प्रदेश में पशु चिकित्सालय वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कहीं-कहीं पशु-चिकित्सक का काम पशु चिकित्सा अधिकारियों को सौंपा गया है।

*१२२--**श्री लोकपालसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह** तथा **श्री बेदराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पशुपालन विभाग का कोई मैनुअल बन रहा है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से और किस अधिकारी की देख-रेख में तथा यह कब तक तैयार हो जावेगा ?

श्री चरणसिंह--इस प्रश्न का उत्तर विधान सभा के १४वें मंगलवार (दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२) को सर्वश्री राजेंद्रसिंह एवं लोकपालसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

वाराणसी जिले में कृषि फार्म

*१२३—श्री रामलखन वकील—क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में किन-किन स्थानों पर राजकीय कृषि फार्म स्थित हैं तथा प्रत्येक कृषि फार्म कितने एकड़ है ?

श्री चरणसिंह—वाराणसी जिले में दो निम्नलिखित राजकीय कृषि फार्म हैं। उनका क्षेत्रफल उनके सामने लिखा है :—

	क्षेत्रफल
	एकड़
(१) चन्दौली (जी० टी० रोड)	३३.४३
(२) कल्लीपुर (जी० टी० रोड)	३०.८९

*१२४—श्री रामलखन वकील—क्या मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त फार्मों में सन् १९५९ से जून, १९६२ तक प्रति वर्ष प्रत्येक किस्म का अलग-अलग कितने मन अनाज पैदा हुआ तथा कौन-कौन कृषि फार्म इस समय लाभ में चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—इन फार्मों पर १९५९ से १९६२ तक पैदा किये गये अनाज का ब्योरा संलग्न तालिका 'क' में दिया गया है। चन्दौली फार्म १९६६०—६१ को छोड़कर लाभ पर ही चल रहा है। कल्लीपुर फार्म बराबर क्षति पर चल रहा है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५३—७५४ पर)

*१२५—श्री रामलखन वकील—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करगे कि इन फार्म में डिमांस्ट्रेशन कृषि फार्म कितने हैं ?

श्री चरणसिंह—दोनों ही फार्म बीज सम्वर्द्धन के लिये हैं। डिमांस्ट्रेशन के लिये नहीं।

परिवहन विभाग, वाराणसी के प्रशिक्षित कन्डक्टर्स

*१२६—श्री जमादार सिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त कन्डक्टरों की जो लिस्ट सन् १९५९ में बनाई गई थी उसमें से कितने लोगों को काम पर लगा दिया गया और कितनों को अब तक काम नहीं दिया जा सका है ?

श्री मुजफ्फर हसन—१८८ लोगों को काम पर लगा दिया गया था और २०४ को काम नहीं दिया जा सका।

*१२७—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि सन् १९५९ की वेटिंग लिस्ट के अलावा सन् १९६२ में भी कुछ नये कण्डक्टरों को वेटिंग लिस्ट में ले लिया गया है और उन्हें काम भी दे दिया गया है ? यदि हां, तो पुरानों को न काम दे कर ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, सन् १९६२ के माघ मेले के लिये एक लिस्ट बनी थी जो मेला समाप्त होने पर रद्द कर दी गई। पुरानों को काम न देने का कारण यह था कि सन् ५९ की लिस्ट एक साल से अधिक पुरानी हो गई थी और वह रीजनल सेलेक्शन कमेटी द्वारा स्वीकृत भी न थी। ऐसी स्थिति में वह लिस्ट वैध नहीं मानी गई।

भोगांव तहसील में औरिन्द किन्हावर नाले का निर्माण

*१२८—श्री भीखालाल—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी तहसील भोगांव में औरिन्द किन्हावर नाम का ड्रेन पानी निकास के लिये सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कुल कितने रुपये की योजना है और अब तक कितना काम हो चुका है और कितना खर्चा हुआ है और बाकी काम कब तक पूरा होने की आशा है?

श्री राममूर्ति—जी हां। यह योजना २८,१८७ रुपये के लागत की है। ४ फर्लांग को छोड़ कर सारा काम पूरा हो चुका है। इस काम में अब तक २१,९३६ रुपये खर्च हुये हैं। बाकी काम के जून, १९६३ तक पूरा हो जाने की आशा है।

*१२९—श्री भीखालाल—क्या सरकार को पता है कि ग्राम बोलों, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी की लगभग दो हजार बीघा जमीन पानी से प्रति वर्ष डूब जाती है जिससे कोई फसल नहीं हो पाती? यदि हां, तो सरकार ने उस गांव के जमीन को डूबने से बचाने के लिये क्या योजना बनाई है?

श्री राममूर्ति—जी हां, वर्षा काल में बीलों तालाब में पानी अधिक भर जाने के कारण आसपास के कुछ भाग पानी से भर जाते हैं। औरिन्द किन्हावर नाले का निर्माण पूरा हो जाने पर यह समस्या दूर हो जायगी।

*१३०—श्री भीखालाल—[१७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३१—श्री रक्षपालसिंह—[१७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री क्षत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—[१९वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८४-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रायबरेली जिले में बरसाती पानी की निकासी

४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में ऐसे कई तालाब हैं जिनमें वर्षा के दिनों में बाढ़ से प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रत्येक तालाब में पानी की निकासी की व्यवस्था करके प्रतिवर्ष किसानों को इस बरबादी से बचाने की कार्यवाही करेगी?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस समस्या के निवारण के लिये कुछ नालियों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और कुछ पर समाप्त हो चुका है।

पंचमपुर बांध तक सड़क न होना

५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बांदा तहसील नरैनी के ग्राम पंचमपुर में जो बांध बनाया जा रहा है वहां पर जाने के वास्ते पक्की सड़क नहीं है? क्या सरकार वहां तक पक्की सड़क बनाने की कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो वह क्या है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—बांध तक पक्की सड़क बनाने की कोई व्यवस्था प्रोजेक्ट में नहीं है क्योंकि यह एक छोटी योजना है।

फतेहपुर जिले में सिंचाई साधन

६—**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में जितनी जमीन में खेती हो रही है उसमें से कितनी जमीन ऐसी है जिसके लिये सिंचाई का कोई साधन नहीं है ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले की कुल ६,८७,३३१ एकड़ खेती की भूमि में से १,०८,३८९ एकड़ भूमि में राजकीय सिंचाई विभाग का साधन प्राप्त है और शेष में इस समय कच्चे पक्के कुओं तथा छोटे-छोटे तालाबों से सिंचाई होती है या कोई साधन नहीं हैं। तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रामगंगा प्रोजेक्ट के निर्माण होने पर ३,१९,८४४ एकड़ भूमि राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित हो सकेगी।

लखनऊ–सुल्तानपुर, गौरीगंज–भानमतीपुर सड़क पर बस सर्विस

७—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६२ के पश्चात् लखनऊ-सुलतानपुर रोड पर कितनी तथा कहां-कहां के लिये बसें चलने लगी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५५ पर)

८—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनता की सुविधा पर ध्यान देकर ३१ मार्च, १९६३ तक में इस रोड पर और कहां-कहां के लिये बसों को चलाने की योजना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—निम्न सेवायें उक्त मार्ग पर और चलाने की योजना है।

(१) सुल्तानपुर–अमेठी।

९—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार को विदित है कि सुल्तानपुर जिले की गौरीगंज-भानमतीपुर रोड बस चलने योग्य हो गयी है ? क्या भठगवां जो भानमतीपुर से लगा हुआ है वहां के सुल्तानपुर के लिये एक बस चलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—मार्ग का सर्वे करवाया जा रहा है। इसके बाद विचार किया जावेगा।

बिन्दकी तहसील में मलाकापुर माइनर

१०—**श्री बद्रीप्रसाद** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर, तहसील बिन्दकी में रजबहा मलाका को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—मलाकापुर माइनर को इस समय बढ़ाना सम्भव नहीं है। इसको बढ़ाने का निश्चय तभी किया जा सकेगा जब राम गंगा रिजरवायर से पानी उपलब्ध होगा, जोकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्भव है।

करनैलगंज–परसपुर, नवाबगंज के लिये रोडवेज बुकिंग आफिस

११—**श्री सूरजलाल गुप्त वकील** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि करनैलगंज-परसपुर तथा नवाबगंज गवर्नमेंट रोडवेज, गोरखपुर में बुकिंग आफिस बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इन स्थानों पर बुकिंग आफिस कब तक बनेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कब तक बन सकेंगे।

मत्स्य निरीक्षकों की नियुक्ति

१२--**श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेटेरिनरी कालेज, मथुरा में कोई मत्स्यपालन का ६ महीने का डिप्लोमा कोर्स भी है ? यदि हां, तो उससे अब तक कितने कैंडीडेट ने डिप्लोमा प्राप्त किया ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा में एक मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था जिसमें ८ अगस्त, १९६० से ७ फरवरी, १९६१ तक एक डिप्लोमा कोर्स चलाया गया था।

१३--**श्री मुन्नूसिंह**--इन डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों में से कितने को इस साल सरकार ने नौकरी दी ?

श्री चरणसिंह--इस वर्ष ३ प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी।

१४--**श्री मुन्नूसिंह**--इस साल जो नये मत्स्य इंस्पेक्टर लिये गये हैं वह सब ट्रेंड ही लिये गये हैं या अनट्रेंड भी लिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--इस साल मत्स्य निरीक्षक के पदों के लिये ९ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उनमें ७ व्यक्ति प्रशिक्षित थे तथा २ व्यक्ति अप्रशिक्षित थे।

वाराणसी रोडवेज में स्टेशन सुपरिंटेंडेंट रखने पर आपत्ति

१५--**श्री जमादारसिंह** तथा **श्री विजयपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब वाराणसी रोडवेज में एक सीनियर स्टेशन इंचार्ज तथा दो जूनियर स्टेशन इंचार्ज हैं तो एक स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट रखने की कौन-सी आवश्यकता थी और उनका कार्य क्या है ? क्या सरकार इस पोस्ट को खत्म करने पर विचार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--वाराणसी में कार्य व जिम्मेदारी में वृद्धि के कारण सीनियर स्टेशन इंचार्ज के स्थान को समाप्त कर स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट की नियुक्ति करना आवश्यक समझा गया। स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट और सीनियर स्टेशन इंचार्ज का कार्य मिलता-जुलता है, केवल जिम्मेदारी का अन्तर होता है। वाराणसी में काम बढ़ा है, अतएव स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट के पद को खत्म करने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के अस्थायी गजटेड अधिकारी

१६--**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन) तथा **श्री मुन्नूसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग में कितने गजेटेड आफिसर ऐसे हैं जो अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री चरणसिंह--कृषि विभाग में २६३ राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जोकि अपने वर्तमान पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

गांव सभा सिसवा का प्रार्थना-पत्र

१७--**श्री भीमाप्रसाद** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सिसवा, जिला आजमगढ़ के उप-प्रधान का ७ मार्च, १९६२ का लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र सदस्य, विधान सभा श्री रामसुन्दर पाण्डेय के १० अगस्त, १९६२ के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि कुछ पानी पीने के कुओं को ऊंचा न किये जाने के कारण बरसात में कुओं का पानी खराब हो जाता है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—प्रथम भाग—

जी नहीं।

द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता है।

सिरसा, सेंगर नदियों की बाढ़

१८—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—क्या सरकार तहसील फिरोजाबाद, जिला आगरा, क्षेत्र एतमादपुर उत्तर में सिरसा, सेंगर नदी की बाढ़ों से उपजाऊ भूमि की अपार क्षति को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—सिरसा तथा सेंगर नदियों की बाढ़ से उपजाऊ भूमि की क्षति को रोकने के लिये इन नदियों का पुनः सुधार remodelling करना होगा। आवश्यक सर्वेक्षण के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार किया जा सकता है।

अलीगढ़ जिले में प्राइवेट लारियां

१९—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ में कुल कितनी प्राइवेट लारियां चल रही हैं और नयी लारियों के परमिट लेने की कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—१६८ प्राइवेट लारियां चल रही हैं और नई लारियों के परमिट के लिये ५२९ दरख्वास्तें प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, आगरा के विचाराधीन हैं।

मुजफ्फरनगर क्षेत्र में नलकूप नालियां

२०—श्री नैनसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्यूबवेल डिवीजन, मुजफ्फरनगर में ग्रुप मुजफ्फरनगर के नं० ९ ट्यूबवेल पर जो सर्विस रोड और नालियां बनायी गयी हैं उनका मुआवजा न देने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—मुआवजा दे दिया गया है अतः प्रश्न नहीं उठता।

२१—श्री नैनसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर के नं० ८, नं० ९ के ट्यूबवेल की नालियों के लिये जमीन एक्वायर हो चुकी है? यदि हां, तो नालियां न बनने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जी हां, नालियों का निर्माण किया जा चुका है।

२२—श्री नैनसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—उक्त ग्रुप के नं० ८ ट्यूबवेल की कुछ नाली पक्की बनी थीं मगर लेविल ठीक न होने के कारण पानी बहुत खराब होता है और नाली रिस्ती रहती है, उसको ठीक कराने का विचार है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—निरीक्षण करने पर नालियों का लेविल ठीक पाया गया। कुछ जगहों पर गूलें रिस्ती हैं जिन्हें ठीक कराने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

२३—श्री नैनसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में पिना ड्रेन का एक्सटेन्शन के लिये ४ वर्ष पूर्व जिन किसानों की जमीन उसमें ली गयी है उनको अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—पिना नाले के लिये प्राप्त की गई ५३.३८९ एकड़ भूमि का मुआवजा अगस्त, १९६१ में सम्बन्धित काश्तकारों को वितरण कर दिया गया था। केवल ४५.३९९ एकड़ भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। उसके मुआवजे की सूची तैयार की जा रही है और आशा है कि सम्बन्धित काश्तकारों को शीघ्र ही मुआवजा दिया जावेगा।

२४—श्री नैनसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त नाले के कारण पानी की जो निकासी होनी चाहिये, सफाई न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है? यदि हां, तो सरकार उसकी सफाई कराने का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री राममूर्ति—यह नाला भली-भांति कार्य कर रहा है और अपने सारे कैचमेन्ट का पानी खींच रहा है। सफाई आवश्यकता पड़ने पर कर दी जाती है।

सीतापुर जिले में कोंचपुर के निकट साइफन बनवाने की योजना

२५—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार को मालूम है कि जिला सीतापुर में इस्लामनगर नहर में से जमुनापुर गांव से तिलियानी गांव तक जो नयी नहर निकाली गयी है उसकी वजह से मीरापुर, कोंचपुर गांवा और मौजा आंट के तालाबों का बहाव रुक गया है और उससे कोंचपुर और मीरापुर में पानी अब भी भरा हुआ है, जिससे कई मकान गिर गये हैं?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

२६—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार मौजा आंट और पतौंजा के सरहद पर इस नहर में एक या दो नालियां बनवाने और इन गांवों से लेकर चितवा नाले की ढलान तक एक खारजा नाला बनवाने की कृपा करेगी ताकि इन गांवों को नुकसान से बचाया जा सके?

श्री राममूर्ति—एक साइफन मील ०—७—० पर ग्राम कोंचपुर के पास बनवाने की तजवीज है जिससे बहाव का पानी निकल जायेगा।

खारजा बनवाने की आवश्यकता नहीं है।

ए० जी० एम०, इटावा के विरुद्ध आरोप

२७—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री ज्योतीप्रसाद दीक्षित, प्राइवेट आपरेटर की बस कुसमरा से तिर्वा को जाती है और कुसमरा से किश्मनी चौराहे तक रोडवेज का रूट है इस बीच की सवारी इस मोटर के द्वारा उठायी जाती है उसका चालान अपने कार्य काल में श्री लक्ष्मीचरन, ए० जी० एम०, इटावा ने कितनी बार किया और इसी गाड़ी का चालान कानपुर रीजन के ए० जी० एम० ने पांच साल में कितनी बार किया?

श्री मुजफ्फर हसन—उक्त गाड़ी का चालान पिछले पांच सालों में इन अधिकारियों द्वारा एक भी बार नहीं किया गया।

२८—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखे श्री ज्योतीप्रसाद जी जो श्री लक्ष्मीचरण, ए० जी० एम०, इटावा के दोस्त हैं की कार की धुलाई व मरम्मत व बेवर रोडवेज वर्कशाप में व उनके घर पर जाकर रोडवेज के मिस्त्री करते हैं, ऐसा क्यों? मिस्टर ए० जी० एम० अपने मित्र को अनुचित लाभ क्यों पहुंचाते हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—आरोप सत्य नहीं है।

२९—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ज्योतीप्रसाद के ड्राइवर शीतला के छोटे भाई, श्री आर० सी० शुक्ला को ए० जी० एम०, इटावा ने कन्डक्टर के स्थान पर नियुक्त किया है? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस लड़के के साथ कितने लड़के इन्टरव्यू में बुलाये गये और उन लड़कों को कितने-कितने नम्बर दिये हैं? क्या यह सही है कि नेकराम जी, दीक्षित का आदमी है उसको ए० जी० एम०, इटावा ने किसी स्थान पर नियुक्त किया है? यदि हां, तो कैसे?

श्री मुजफ्फर हसन—श्री आर० सी० शुक्ला नाम का कोई कंटक्टर नियुक्त नहीं किया गया। श्री नेकराम जी की नियुक्ति कन्डक्टर पद पर प्रतियोगिता के आधार पर की गई है। यह सूचना सरकार को नहीं है कि श्री नेकराम और दीक्षित जी का क्या सम्बन्ध है।

३०—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तीन वर्ष के अन्दर श्री ज्योतीप्रसाद दीक्षित व उनकी पत्नी बिटौला कुंवरी तथा तीसरा और किसी सम्बन्धी के नाम मोटर के परमिट है? अपने इस कार्य काल में इन तीनों गाड़ियों को ए० जी० एम०, इटावा द्वारा नो-आब्जेक्शन सार्टिफिकेट देकर के गंगा नहाने के परमिट दिलाये गये हैं और उनकी गाड़ियां फर्रुखाबाद और बेवर के बीच गंगा नहान पर कई बार चक्कर लगाया करती हैं और सवारियां उठाकर के रोडवेज का नुक्सान करती हैं और ए० जी० एम०, इटावा द्वारा उनका चालान नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—कथित गाड़ियों के लिये ए० जी० एम०, इटावा ने नो-आब्जेक्शन सार्टिफिकेट नहीं दिया।

३१—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुसमरा रोडवेज स्टेशन पर पानी पिलाने के लिये रविन्द्र नौकर है क्योंकि ए० जी० एम०, इटावा के आदेशानुसार दीक्षित, श्री ज्योतिप्रसाद प्राइवेट आपरेटर जो इनके दोस्त हैं उनके मोटरों की धुलाई किया करता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस नाम का कोई भी कर्मचारी कुसमरा स्टेशन पर काम नहीं कर रहा है।

३२—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चार वर्ष पूर्व श्री रेवतीप्रसाद, ए० जी० एम०, इटावा थे जो आजकल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पी० ए० हैं, के द्वारा श्री ज्योतिप्रसाद दीक्षित, कुसमरा, मैनपुरी की कितनी बार चालान किये गये थे और उन पर ६०० रुपया जुर्माना भी हुआ था ? क्या इनका चालान नोटिफाइड रूट पर सवारी उठाने पर किया गया था ? श्री ए० जी० एम०, इटावा मिस्टर चरन ने इसी जुर्म में कितने चालान किये, अपने कार्यकाल में ?

श्री मुजफ्फर हसन—पिछले पांच वर्षों में श्री ज्योतिप्रसाद दीक्षित की गाड़ी का चालान श्री रेवतीप्रसाद और श्री चरन द्वारा होने का प्रमाण नहीं है।

रजबाहा नगरिया का कुलाबा

३३—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में रजबाहा नगरिया (फालेनगरिया) से नौनेर होता हुआ बम्बे पर नौनेर गांव के पहले चौरासी कछियान व बनगढ़ ग्राम के बीच में कुलाबा नं० २७ जो १० वर्ष से बाराबर लगा चला आता था वह क्या दो साल से नहीं लगाया जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—रजबहा नगरिया का कुलाबा नं० २७ स्थाई है। अतः इसे दो साल से नहीं लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

३४—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार इन दोनों कुलाबों को लगाने की कृपा करेगी जिससे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सके और गरीब जनता की धान की खेती सूखने न पावे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जैसा उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कुलाबा नं० २७ स्थाई है और यह सदैव अपने स्थान पर लगा रहता है।

उपरोक्त कुलाबे के सहायतार्थ केवल धान की फसल में एक अस्थाई कुलाबा कृषकगण के प्रार्थना-पत्र पर लगाया जाता है और यह धान की फसल के पश्चात् हटा दिया जाता है। यह कुलाबा खरीफ १३६८ फसली में धान की सिंचाई के लिये लगाया गया था। दूसरे कुलाबे को पुनः लगाने के प्रश्न पर, आवश्यकता होने पर, आगामी धान की फसल पर ही विचार किया जायगा।

परगना पन्द्रह में जल निकासी

३५—**श्री ऊदल**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के परगना पन्द्रह के ताल बरही नेवादा, व हरिनाथपुर से निकलने वाली ड्रेन, जिसे मच्छा ताल में गिरा दिया गया है और जिससे मच्छा ताल डूब गया है के सम्बन्ध में तारीख ५ सितम्बर, १९६२ को कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें मिला है कि उस नाले को गांव बराई, असवारी, होते हुए निमाइच के ताल से कुंडी के नाले में मिला दिया जाये? इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का दूसरा भाग—दिये गये प्रस्ताव पर विचार किया गया किन्तु उसे उचित नहीं पाया गया।

मिर्जापुर जिले का कथित ददरी बांध

३६—**श्री चन्दनसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ददरी में ददरी बंधा का निर्माण सिरसी डैम डिवीजन, मिर्जापुर द्वारा किया जा रहा है और बांध बनाने वालों के लिये २०८ क्वार्टर का निर्माण ४ लाख ४० हजार की लागत से होने वाला था? यदि हां, तो क्या इन क्वार्टरों का निर्माण बिना सरकारी आदेश के क्यों शुरू करा दिया गया और ठेकेदार को ८० हजार रुपया भी क्यों दे दिया गया?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। सिरसी डैम डिवीजन, मिर्जापुर द्वारा ग्राम ददरी में ददरी बंध के नाम का कोई बांध निर्माण नहीं किया जा रहा है।

३७—**श्री चन्दनसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार को पता है कि सितम्बर में जो क्वार्टर बनाये गये थे उसमें दो तिहाई एकाएक गिर गये, जिससे १ लाख रुपये का नुक्सान हो गया?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

३८—**श्री चन्दनसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बंधे पर कितने इंजीनियर तथा ओवरसियर कार्य कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

इटावा शाखा में साइफन चौड़ी करने की आवश्यकता

३९—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के सिंचाई विभाग ने शाखा इटावा के ७८ मील पर बरसाती नाले की साइफन की पुलिया को चौड़ा करने की योजना बना कर सरकार के भेजी है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत हो कर कार्य आरम्भ हो जायगा?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न का प्रथम भाग--जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग--प्रश्न नहीं उठता।

गोरारी माइनर में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

४०--श्री रामलखन वकील--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में चन्दौली मुख्य नहर से निकाली जाने वाली गोरारी माइनर की कितने मील खोदाई करने को बाकी है?

श्री राममूर्ति--गोरारी माइनर का निर्माण-कार्य समाप्त हो चुका है।

४१--श्री रामलखन वकील--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त माइनर के वास्ते जमीन कब एक्वायर की गयी तथा मुआबजा कब दिया गया? क्या अभी कुछ किसान शेष हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है?

श्री राममूर्ति--

प्रथम भाग--१९६० में।

द्वितीय भाग--१९६० में।

तृतीय भाग--केवल नौ किसान मुआवजा पाने से वंचित रह गये हैं जो कई बार नोटिस देने के बाद भी मुआवजे की रकम लेने के लिये नहीं आये। ऐसे लोगों की मुआवजे की धनराशि खजाने में जमा कर दी गई है।

४२--श्री रामलखन वकील--क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त माइनर जगह-जगह खोद दी गयी है जिसके फलस्वरूप किसान अपनी भूमि से भी वंचित हो गये और उनकी सिंचाई भी नहीं हो रही है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--गोरारी माइनर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और वह अपने निर्धारित रकबे की सिंचाई भली-भांति कर रही है। अतः माइनर के जगह-जगह खोदने तथा उससे सिंचाई न होने का प्रश्न नहीं उठता है।

शाहजहांपुर डिवीजन का बझेड़ा रजबहा

४३--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शाहजहांपुर डिवीजन में फरीदपुर ब्रांच से जो बझेड़ा रजबहा निकला है उसको चौड़ा किया जावेगा और आगे तक बढ़ाया जावेगा? यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा और आगे कहां तक बढ़ाया जावेगा और इससे किन गांवों को फायदा होगा?

श्री राममूर्ति--इस कार्य को फरीदपुर ब्रांच के रिमाडिल करने के प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। एस्टीमेट स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसमें नहर को सहोरा तथा सब्बलपुर ग्रामों तक बढ़ाने का सुझाव है। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७५६ पर)

४४--श्री सुरेन्द्रविक्रम--क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फरीदपुर ब्रांच को बरेली डिवीजन में शामिल करने की स्कीम है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्री राममूर्ति--जी हां, प्रणाली की अच्छी देख-रेख तथा जनता की सुविधा के हेतु।

हेमपुर फार्म

४५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हेमपुर फार्म (गोशाला), जिला नैनीताल कब से चालू किया गया है और कितने एकड़ का है? प्रतिवर्ष इससे कितनी आय तथा व्यय हुआ और इस फार्म में कितने जानवर रक्खे गये हैं?

श्री चरणसिंह—यह फार्म सन् १९२४ ई० में पशु प्रजनन फार्म के रूप में तराई तथा भावर स्टेट द्वारा स्थापित किया गया था। १९३२ ई० में यह फार्म कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के संचालन में आया और सन् १९४८ में यह राजकीय यांत्रिक संगठन में आया। इसका क्षेत्रफल ५०१५.७८ एकड़ है। सन् १९४८–४९ से १९६०–६१ तक के आय-व्यय का ब्योरा संलग्न तालिका (क) में दिया हुआ है। इस फार्म पर इस समय ६१ बैल तथा २०३ अन्य जानवर हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७५७ पर)

४६—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस फार्म के लिये कौन-कौन सी मशीनें कितने रुपये में कब-कब मंगायी गयीं?

श्री चरणसिंह—हेमपुर फार्म को १९५० में कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जो ट्रैक्टर और इम्प्लीमेन्ट्स स्थानान्तरित किये गये तथा राजकीय यांत्रिक फार्म संगठन ने उक्त फार्म के लिये जो मशीनें खरीदीं, उनका विवरण संलग्न तालिका (ख) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी ञ' आगे पृष्ठ ७५८ पर)

४७—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि कुछ मशीनें जिनकी कीमत ३ लाख से ऊपर है बहुत कम रुपये में नीलाम की गयी हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों को नीलाम हुआ है और कितने रुपये में?

श्री चरणसिंह—जो मशीनें नीलाम में बेची गईं उनका पुस्तक मूल्य लगभग १ लाख ३२ हजार रुपया था तथा कृषि इंजीनियर, उत्तर प्रदेश द्वारा इनका निरीक्षण करने के बाद आंकित किया मूल्य २९,४४७ रुपया था। इनके नीलाम से ३८,३७९ रुपया प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने ये मशीनें नीलाम में खरीदी, उनकी सूची मशीनों के नाम व मूल्य संलन तालिका (ग) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७५९–७६० पर)

मैनपुरी जिले के लिये नलकूप

४८—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल लगाने जा रही है?

श्री राममूर्ति—४५ नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है।

४९—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी–कुरावली रोड पर करीमगंज से नौगांव के पास पांच या सात साल के अन्दर कोई ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गई थी और इसी आधार पर वहां पर ट्यूबवेल लगाने के लिये नाप तौल करके स्थान भी निश्चित किया गया था? यदि हां, तो फिर अब तक वहां ट्यूबवेल क्यों नहीं लगे हैं?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

५०—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच साल के अन्दर उझइया, फकीरपुर, गांव सभा जो मैनपुरी ब्लाक का है, क्या इस गांव के पास में मैनपुरी ब्लाक ने कोई ट्यूबवेल लगाना स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो वह आज तक क्यों नहीं लगा है ?

श्री राममूर्ति—यहां पर नलकूप का निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

५१–५२—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[७ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ८१–८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

बोन डाइजेस्टर केन्द्र

५३—श्री रघुवीर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हड्डी से खाद बनाने की कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना के मुताबिक पूर्वी जिलों में किन-किन स्थानों पर हड्डी से खाद बनाने की मशीनें लगायी गईं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—जी हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वी जिलों में २५ बोन डाइजेस्टर केन्द्र स्थापित किये गये थे जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है । प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७६१ पर)

५४—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हड्डी से खाद बनाने की योजना जो बनायी गयी थी वह कितने धन की लागत द्वारा बनायी गयी थी और कितना धन उस पर व्यय हुआ और कितना व्यय होना बाकी है और कितने का घाटा हुआ ?

श्री चरणसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हड्डी से खाद बनाने की योजना ६,७८,५०० रुपये की लागत की बनाई गई थी जिसमें से ३,०३,४५० रुपये का धन व्यय हुआ । बाकी धन व्यय नहीं हुआ । सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ ।

५५—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)—[हटा दिया गया ।]

५६–५७—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[१७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १७–१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

५८–६०—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[१६वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९८–१०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

६१—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—[१७वें मंगलवार क लिये स्थगित किया गया ।]

६२—श्री दौलतलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया ।]

रायबरेली जिले में पशु-चिकित्सालय

६३—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि रायबरेली जिले में कुल कितने पशु-चिकित्सालय हैं और अभी कितने नये खोलने का विचार है ? क्या इनमें से कोई ऐसा भी चिकित्सालय है जिसमें पूरे कर्मचारी नहीं हैं ?

श्री चरणसिंह—रायबरेली जिले में इस समय कुल १५ पशु-चिकित्सालय हैं। इनके अतिरिक्त दो नये चिकित्सालय खोलने का विचार है। इस समय जिले में तीन पशु-चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें पूरे कर्मचारी नहीं हैं।

६४—श्री रतीपाल—जब से रायबरेली जिले में पशु कृत्रिम-गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं अब तक कितनी गाय व भैंसों को इस प्रणाली द्वारा गर्भाधान कराया गया ?

श्री चरणसिंह—रायबरेली जिले में सन् १९५१ से पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित होने से मार्च, १९६२ तक ४,९५१ गायें और ७,७०५ भैंसों को इस प्रणाली द्वारा गर्भाधान कराया गया है।

पिपराघाट पर रोडवेज का अतिरिक्त किराया

६५—श्री सत्यदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री दिनांक २३ अक्तूबर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का "फेरी-टैक्स" वसूल करने का रिवाज कब से आरम्भ हुआ है और "फेरी-टैक्स" कितना वसूल होता है तथा कितना प्रति व्यक्ति ठेकेदार को मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—फेरी टैक्स दिनांक ५ मई, १९६२ से वसूल किया जा रहा है। यह टैक्स १५ अक्तूबर से १५ जून तक २५ नये पैसे और १६ जून से १४ अक्तूबर तक ३७ नये पैसे प्रति यात्री से सामान्य रूप से वसूला जाता है।

उपर्युक्त अवधि में ठेकेदार को क्रमशः ६ रुपये और ९ रुपये प्रति बस के हिसाब से फेरी टैक्स का भुगतान होता है।

फर्रुखाबाद जिले में आलू कोल्ड स्टोरेज

६६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में आलू रखने के कितने कोल्ड स्टोरेज बनाये गये हैं और उनमें से किन-किन को कितना रुपया कर्जा तथा अनुदान का सरकार ने दिया है, उसमें कितना वसूल हुआ और कितना बकाया है ?

श्री चरणसिंह—फर्रुखाबाद जिले में आलू रखने के लिये १२ कोल्ड स्टोरेज हैं। कृषि विभाग द्वारा इनके बनाने के लिये कोई भी अनुदान अथवा कर्जा नहीं दिया गया है अतएव इनकी वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मसौड़ कृषि फार्म, फैजाबाद

६७—श्री जमादारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मसौड़ एग्रीकल्चर फार्म, फैजाबाद कितने एकड़ का है और कब से स्थापित हुआ है ?

श्री चरणसिंह—मसौड़ फार्म १९४.८० एकड़ का है तथा सन् १९१८ में स्थापित हुआ था।

६८—श्री जमादारसिंह श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार इस फार्म के आय-व्ययक विवरण को, जब से वह स्थापित हुआ है, सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—इस फार्म के स्थापित होने से, १९४९–५० के आय-व्यय का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। उसे तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन् १९५०–५१ से १९६०–६१ तक के आय-व्यय का विवरण तालिका (अ) में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७६२–७६३ पर)

६९--श्री जमादारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस फार्म में कितने अधिकारी, कर्मचारी तथा मशीनें हैं ? उन पर प्रतिवर्ष खर्चा क्या है ?

श्री चरणसिंह---सूचना संलग्न तालिका (ब) में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७६२-७६३ पर)

कासिमाबाद-बहादुरगंज बस सर्विस

७०--श्री रघुवीर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में जो सड़क कासिमाबाद से बहादुरगंज होती हुई मऊ तक जाती है, सरकार उस पर बस चलाने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, यदि अनुज्ञापत्र प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो गया ।

७१-७२---श्री विजयपालसिंह, श्री चन्दनसिंह तथा श्री रामचन्द्रसिंह---[१७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७३-७४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---[१७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७५-७६---श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ) तथा श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)---[१७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रश्नों के गलत उत्तर मिलने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---एक व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के संबंध में करना चाहता हूं । प्रश्न संख्या ४० व ४१ पर विचार करें । गोविन्दसागर बांध, ललितपुर में दरारें पड़ गयी हैं, इस संबंध में मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था और इससे वहां का जनजीवन खतरे में पड़ गया है और लोग भाग रहे थे । उत्तर मिला है कि इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं है। तो इस तरह का गलत जवबाब देना उचित है ?

श्री अध्यक्ष---अब यह तो कोई तीसरा आदमी ही तय कर सकता है कि कौन गलत बात कह रहा है । आपकी एक सूचना है और उनकी सूचना जो है वह दूसरी है । उसके लिये और ही तरीका हो सकता है

श्री लखपतराम शर्मा---मैं प्रिवेलेज का नोटिस देता हूं कि यह गलत जवबाब दिया गया है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मेरा भी यह निवेदन है कि ३८ और ३९ में जो उत्तर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष---अगर इसी तरह से आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा । अगर आप मेरे कक्ष में आ जायं तो हम बातचीत कर लेंगे ।

उन्नाव जिलान्तर्गत जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अतर्गत कई सूचनायें आई हैं। उनमें से काशीनाथ मिश्र जी की सूचना को स्वीकार कर लिया है। अब वह इस प्रकार है...

(सदन में बातचीत होने पर)

माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी, माननीय रामायणराय जी के प्रश्न पर यहां एक रूलिंग हुई है और वह इस प्रकार से है कि लाबी भी सदन का एक भाग है और इस कारण से हुई है कि जो माननीय सदस्य बातचीत करना चाहें, मंत्रणा करना चाहें तो लाबी में काफी स्थान है और वहां आप आराम से बैठ सकते हैं। सदन में बातें होती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---सत्यनारायण जी एक मौलिक प्रश्न उठाना चाहते थे लेकिन आपने उसे सुना नहीं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कल किसी प्रश्न के उत्तर में कहा है कि गंगा की बेहूदगी से हमें परेशानी है। उसी सिलसिले में वह कुछ निवेदन करना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या किसी का अपमान करने का नहीं था। श्री बलवानसिंह ने प्रश्न किया था कि गंगा का प्रवाह बदल रहा है तो उन्होंने उत्तर दे दिया था कि ऐसी बेहूदगियां होती रहती हैं गंगा जी के प्रति कोई अनादर की भावना नहीं थी।

कुंवर श्रीपालसिंह--जो नदी पवित्र मानी जाती है उसके लिये ऐसा कहना कुछ उचित नहीं है। यह महान आपत्तिजनक है।

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)--जैसा श्रीपाल सिंह जी गंगा माई को अच्छा मानते हैं वैसे ही हम भी अच्छा मानते हैं।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैं समझता हूं उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसकी मंशा "बैगरीज" से था।

कुंवर श्रीपालसिंह--किसी भी चीज से मतलब रहा हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके हृदय में वही स्थान है तो वे अपने शब्द को वापस ले लें।

श्री राममूर्ति--आप पूरा क्वेश्चन ही वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--अब नियम ५२ के अन्तर्गत श्री काशीनाथ मिश्र का एक प्रश्न आया है कि "उन्नाव जिले के अन्तर्गत जिला परिषद् के लगभग साढ़े तीन हजार अध्यापकों को गत पांच महीनों से वेतन के एक पैसे भी नहीं मिले हैं। इन अध्यापकों में लगभग ६० फीसदी ऐसे अध्यापक भी हैं जिनके परिवार के लोग अपने भरण-पोषण के लिये केवल उस तनख्वाह पर ही निर्भर हैं। ऐसे अध्यापकों पर आश्रित परिवारों के लोगों की संख्या लगभग, १२,००० के है। इस प्रकार उन्नाव जिले में १२,००० लोगों के बीच अर्द्ध-भुखमरी की हालत पैदा हो गयी है। उधार खाता देने वाले दुकानदार भी इन अध्यापकों के परिवारों को उधार देना बन्द कर दिये हैं। इस प्रकार अध्यापक मंडल और जिले की अन्य जनता में व्यापक असंतोष और क्षोभ का वातावरण व्याप्त है।

अतः नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सम्बद्ध मंत्री महोदय और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं ।"

यह मैंने शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया है । (शिक्षा मंत्री से) आप कब तक वक्तव्य दीजियेगा ।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)---इसके लिये कुछ वक्त दे दें क्योंकि तमाम डिटेल्स मंगानी हैं ।

श्री अध्यक्ष---१४ तारीख तक हो जायगा ?

श्री अजीज इमाम---जी हां, १४ तारीख तक जरूर हो जायगा ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, एक प्रस्ताव मैंने चीनी आक्रमण के सिलसिले में आपकी सेवा में कल समर्पित किया था और आपने कहा था कि उसको मैंने देखा नहीं है, देखकर व्यवस्था दूंगा ।

दूसरा प्रस्ताव मैंने आज नियम ५३ के अन्तर्गत चीनी के विषय में दिया था । तो न चीन वाला आया और न चीनी वाला ही आया । इन दोनों को सदन में आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---चीन या चीनी, दोनों में से एक को लाने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह---दोनों को आने दीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा प्रस्ताव नियम १०६ के अन्तर्गत था....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये, मैं कह चुका हूं कि मैं देख रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मेरा एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना विभाग का जो पंचगामी कार्य हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष---आपने जो भेजा है उसे मैंने माननीय सूचना मंत्री को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---श्रीमन्, कल नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था उस पर वक्तव्य कब तक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---वह भेज दिया गया है, वक्तव्य हो जायगा ।

गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में बाढ़-पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---वह गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों के बाढ़ पीड़ितों के संबंध में था । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यद्यपि सूचनायें आ गयी हैं लेकिन ब्यौरेवार देखकर ही प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो यह कल के लिये मैंने स्थगित कर दिया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो मैंने दफा ५२ में दिया था कि बाढ़पीड़ित छात्रों की जो फीस लटकी हुई है, दी नहीं जा रही है उसके बारे में भी पूरे प्रदेश की जानकारी मंत्री जी दे दें ।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---कल तक पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२†

***समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 1962] पर जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक सीधा सा विधेयक है जिसमें कोई सिद्धान्त की ज्यादा बात नहीं है केवल प्रोसीजर की बात है और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारा चकबन्दी में खर्चा होता है उसे कम कर दिया जाय। समय भी कम लगे और खर्चा फी एकड़ कम हो। दूसरी बात यह है कि मालगुजारी में हिस्सा रसदी का कोई प्रबंध नहीं है यानी जब कोई जमीन किसी सार्वजनिक कार्य के लिये ली जाती है तो हिस्सा रसदी को मालगुजारी में कम हो जाना चाहिये, इसका प्रावीजन कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो खर्चा होता है उसकी वसूली में कठिनाई होती है इसका प्रबंध किया गया है। चौथी बात यह है कि हाई कोर्ट के अक्सर केसेज रिट में फैसल होते हैं। लेकिन दफा ५२ के नोटीफिकेशन के बाद उनके अमलदरामद में कठिनाई होती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत किया गया था जहां वह स्वीकार कर लिया गया है और सदन के सामने मैं उसको प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द विचार करके पारित कर दिया जाय जिससे जो चकबन्दी के मुकदमे हैं वे जल्द से जल्द फैसल कर दिये जायं और जनता का जो खर्चा होता है वह कम हो जाय। इन उद्देश्यों से यह विधेयक पेश किया गया है और जो संशोधन हैं वे ऐसे नहीं हैं जो ज्यादा सिद्धान्त के हों या इसके सिद्धान्त पर उनका कुछ असर हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस पर विचार करे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर अभी तक न तो ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और न यह फैसला हो सका कि कितने दिन यह चलेगा। या तो हमें बताया जाय कि वह फंक्शन ठीक से नहीं करती है अन्यथा मंत्री जी को इसे कार्य-मंत्रणा समिति में रखना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---अगर आपकी बहस सही है तो ऐडवाइजरी कमेटी के बिना जो हम कार्य कर रहे थे वह अवैधानिक था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कमेटी की बैठक की आवश्यकता समझता तो मैं बुला लेता और अगर आप कहेंगे तो मैं बुला भी लूंगा। आज तो सामान्य बहस इस पर होगी और कल भी हो सकती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैंने शनिवार को जनमत संग्रह के लिये प्रस्ताव दिया था वह आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह कौंसिल से पास होकर आया है इसलिये जनमत संग्रह का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि 'उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक का अधिकार

---

†३ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे ।' श्रीमन्, मैं राजस्व मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सदन में इसे उपस्थित करके सदस्यों का ध्यान दिलाया और प्रदेश की जनता भी आभार मानेगी कि सदन के सदस्यों के बार-बार कहने के तथा प्रदेश की जनता के बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद कांग्रेसी सरकार ने एक बार भी तवज्जह नहीं दी और न कबल करने के लिये तैयार थी कि चकबन्दी की योजना में कुछ मूलभूत त्रुटि है जिनके आधार पर इस प्रदेश की जनता पीड़ित हो रही है ।

इसलिये मैं मंत्री जी का बड़ा आभार मानता हूं कि उन्होंने इस अधिनियम को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की । अगर मोटे तौर पर यह कहा जाय कि यह चकबन्दी आज गांवों में दलबन्दी योजना हो गयी है तो अत्युक्ति न होगी । आज गांव में बड़े-बड़े फार्म वाले लोग, बड़ी-बड़ी जोतों वाले लोग, पैसेवाले लोग उनकी एक गोल बनी हुयी है । दूसरी गोल उन गरीबों की है जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, जो बड़े लोगों के अत्याचार से उत्पीड़ित और प्रपीड़ित हैं और होते आये हैं । इसलिये मैंने इसको चकबन्दी की संज्ञा न देकर गांव की दलबन्दी की संज्ञा दी है । इससे सम्बन्धित दलबन्दी का एक कारण और आ जाता है । सिंचाई की योजनाओं को दूसरे साधनों को लेने के लिये गांव के बड़े लोग बहुत उत्सुक रहते हैं जिससे छोटे-छोटे किसानों ने अपने खेतों पर छोटे-छोटे साधन पैदा कर लिये थे ।

इस सदन में बार-बार जिक्र हो चुका है कि इस योजना में अत्यन्त-भ्रष्टाचार है । लेखपाल से लेकर चकबन्दी अफसर तक की भ्रष्टाचार की शिकायतें बराबर आपके पास आयी हैं । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भ्रष्टाचार के निवारण का कोई भी क्लाज इस संशोधन में नहीं लाया गया है । यह विधेयक जब तक भ्रष्टाचार निवारण का साधन न बन सके तब तक यह सही मानों में उनकी सहायता नहीं कर सकेगा । इसलिये मैं इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का अनुरोध करता हूं ।

(इस समय ११ बजकर ४८ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री केशव गुप्त पीठासीन हुए ।)

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें सिद्धान्त का कोई सवाल निहित नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें सिद्धान्त का सवाल निहित है । आपकी सरकार ने सहकारिता का नारा बुलन्द किया था । लेकिन आज सहकारिता की चर्चा एक बार भी नहीं करती है । अगर आप सहकारिता की चर्चा करते तो आप जो यह संशोधन लाये हैं इसको लाने की कोई आवश्यकता न महसूस होती । आपने सहकारिता का नारा छोड़ दिया, आपने समाजवाद को हामी भरने का दावा किया था । उसको आपने छोड़ दिया । आपने किसान में वह मनोबल जगाने का रास्ता छोड़ दिया और आप कहते हैं कि इसके अन्तर्गत कोई सिद्धान्त निहित नहीं है । आपने सहकारिता के संशोधन इस संशोधन में न रख कर सहकारिता को बलिवेदी पर चढ़ा दिया है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आप सहकारिता के सिद्धांत को मानते, तो यह जरूर समझते कि आज चकबन्दी योजना में जो आप व्यय करने जा रहे हैं । जिस व्यय के आधार पर आप यह कहते हैं कि यह योजना ज्यादा खर्चीली है इसको कम करने का उद्देश्य है इस विधेयक में तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारा व्यय, सारा खर्चा, सारी धनराशि जो किसानों से वसूल की जा रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता और वह किसानों पर आज भी एक बोझ मात्र है एक उत्पीड़न मात्र है । यदि सहकारिता को प्राश्रय देने की बात होती तो चकबन्दी योजना का आधार ही दब जाता उसका सारा स्टाफ उस पर किया जाने वाला सारा खर्चा यह सब कुछ बेकार साबित होता ।

[श्री कल्पनाथसिंह]

तीसरी बात मुझे श्रीमन्, इस सम्बन्ध में और निवेदन करनी है और वह यह है कि जिला स्तर पर आपने चकबन्दी के लिये कमेटी बनायी, ग्राम स्तर पर आपने चकबन्दी के लिये कमेटी बनायी, लेकिन ए० सी० ओ० और सी० ओ० के स्तर पर आपने कोई कमेटी नहीं बनायी, न किसानों का कोई प्रतिनिधित्व होने दिया और न उसका कोई ऐसा रास्ता ही निकाला कि जिस रास्ते के आधार पर यह कहा जा सके कि आप जनतंत्र के हामी हैं। आपने गांव की चकबन्दी कमेटी को ए० सी० ओ० और सी० ओ० की मर्जी पर इस तरह छोड़ दिया कि जैसे वह उनके पीछे उनकी दुम की शक्ल में काम करें। श्रीमन्, अगर चकबन्दी कमेटी को सुझाव देने का अधिकार है और उन कमेटियों का सुझाव आपको मानना है तो उसके लिए आवश्यक था कि सी० ओ० स्तर पर जो कमेटी बनाते उसमें हर कमेटी के प्रतिनिधि आते और उन प्रतिनिधियों के सामने उनकी अपीलें आतीं तब उन पर सही निर्णय हो सकता था। लेकिन आज जो लेखपाल कह देगा, जो चकबन्दी का कानूनगो कह देगा, जो ए० सी० ओ० कह देगा, जैसी फाइल मुरत्तब होगी उसी के मुताबिक सी० ओ० फैसला कर देगा और उसी फैसले के बाद चकबन्दी अधिकारी का फैसला बिल्कुल अन्तिम हो जायगा। इस विधेयक में यह मंशा जाहिर की गई है कि डिप्टी डाइरेक्टर, चकबन्दी के यहां भी अपील की गुंजाइश खत्म की जा रही है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वह ए० सी० ओ० और सी० ओ० के स्तर पर भी चकबन्दी की कमेटी कायम करें। उन चकबन्दी कमेटियों की राय से ही जिला कमेटी जो चकबन्दी की बनी हुई है वह अपनी सलाह दे। उसके सामने वह विचार के लिये आये तब कुछ न्याय पाने की गुंजाइश हो सकती है। वरना मंत्री जी अपीलों की गुंजाइश कम करते हैं विधेयक में न्यायालय में जाने पर रोक लगाते हैं हाईकोर्ट में जाने पर रोक लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी और क्या यह सरकार उन किसानों को उन भ्रष्ट अफसरों की मर्जी पर छोड़ना चाहती है? उन भेड़ियों के सामने बकरों को छोड़ देनी चाहती है, खूब खून पियो और खूब मजे उड़ाओ और सरकार उन बकरों को रोने की भी इजाजत नहीं देगी। जब यह बातें लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि किस तरह की बात मैं करता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी बातें आपको अच्छी लगें या न लगें, खुदा के लिये आज तो इस पर वोटिंग नहीं हो रही है रात को सोने के समय इसको सोचिएगा मुझको गाली देकर ही सोचिएगा लेकिन यह सोचिएगा कि क्या उन भेड़ियों के सामने उन बकरों को नहीं रखा जा रहा है जिन भेड़ियों का काम ही खून पीना है जिनकी खूराक है किसानों का खून। आप अगर उनको विधि न्यायालय में नहीं जाने देंगे अपीलों को रोकेंगे तो उन लाखों किसानों के साथ जो चकबदी योजना से पीड़ित हो रहे हैं, उनके साथ आप न्याय नहीं करेंगे। आप उनके साथ अत्याचार अनाचार की कड़ी में एक नयी कड़ी जोड़ देंगे।

श्रीमन्, इस बिल में जो कुछ प्राविजन्स किये गये हैं उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस विधेयक के आठवें खंड में यह कहा गया है कि खंड ८ के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "तथ्य की अलग-अलग" के स्थान पर शब्द "दिनांक की अग्रिम" रख दिये जायं। यह क्यों किया जा रहा है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि चकबन्दी समिति के प्रत्येक मेम्बर को अलग-अलग खसरे की नोटिस की सूचना, विवाद की सूचना और जितनी सूचना एकत्रित की जाती थी वे चकबन्दी के प्राथमिक स्तर पर सारी सूचनायें प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग दी जाती थीं। लेकिन अब उसके स्थान पर गोलमाल शब्द रख दिये जा रहे हैं कि उनको सूचना भी दी गई और नहीं भी दी गई। इस तरह से छोटे-छोटे शाब्दिक संशोधन किये जा रहे हैं कि जिनकी तरफ लोगों का ध्यान न जाय। इस तरह के संशोधन करके यह सरकार चाहती है कि उन भेड़ियों को उन किसानों का खून पाने के लिये एक अच्छा खासा सुनहरा अवसर प्रदान कर दे।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कही गई है कि सर्वेक्षण किया जायगा। सर्वेक्षण में भी स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया है कि सर्वेक्षण का अर्थ क्या क्या होगा। तीसरी बात यह कही

गई है कि जिला उपसंचालक चकबन्दी खंड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा। यह सुविधापूर्ण स्थान कौन होगा ? इसकी कौन व्याख्या करेगा डिप्टी डाइरेक्टर, चकबन्दी आप सोचिये, यह नहीं है कि उन आदमियों को सूचना की जानकारी होगी ही। उसके स्थान पर सुविधाजनक स्थान क्या है ? सुविधा का स्थान इसमें नहीं दिया गया है कि किसानों की सुविधा का स्थान या लेखपाल की सुविधा का स्थान या कानूनगो की सुविधा का स्थान या ए० सी० ओ० का स्थान या सी० ओ० का स्थान या डिप्टी डाइरेक्टर, चकबन्दी की सुविधा का स्थान यह इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिया गया है और कहा गया है कि सुविधाजनक स्थान। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सुविधाजनक स्थान की व्याख्या न होने के कारण जैसा कि यह सरकार संशोधन करने जा रही है यह बड़ा गोलमोल शब्द है और इस गोलमोल शब्द से बड़ा भ्रम फैलने से किसानों का अहित होगा और अधिकारियों को लूट करने की छूट मिलेगी।

दूसरा संशोधन यह उपस्थित किया जा रहा है कि चकबन्दी समिति के परामर्श से प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन उसकी उत्पादन शक्ति और स्थिति पर और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन पर भी विचार करने के बाद करायेगा। "गाटों के सभी पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन उनका प्रतिकर आकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा", इसका अर्थ यह है कि जो छोटे-छोटे किसान होंगे जिनके कुंयें होंगे उनके पास बड़े-बड़े चक बड़े बाबू के होंगे उनको कुंआ खोदने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसान के बाप-दादा ने अपनी गाढी कमाई लगाकर रहट लगाया है या कोई कुंआ बनाया है या कृषि के दूसरे उन्नतिशील यंत्र या तरीके इस्तेमाल किये हैं तो बड़े की निगाह उस पर जायगी और वह मेहनत न करने का आदी बाबू उसको बेदखल कराने की कोशिश करेगा। इसलिये मैं कह रहा था इसकी पूरी अपील की गुंजायश ए० सी० ओ०, सी० ओ० के स्थान पर चकबन्दी समिति के पास होनी चाहिये जो सही रूप में अपनी राय कायम कर सकती है। और ऐसी जिला कमेटियों की राय फाइनल राय होनी चाहिये। अफसरों की दुम में बंध कर चलने से काम नहीं चलने वाला है।

श्रीमन्, इसी खंड में इसकी भी व्यवस्था की गयी है कि अगर दो पट्टीदार हैं और एक संयोग से मिनिस्टर हो गया और दूसरा संयोग से हल खींच रहा है तो मिनिस्टर साहब उसके अच्छे खेत का प्रतिकर देकर अच्छा खेत खुद ले लेंगे और उसे दूर कहीं फेंक दिया जायगा। मेरा मतलब यह है कि केवल मिनिस्टर ही नहीं, हर सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति सर्वसत्तासम्पन्न व्यक्ति इन संशोधनों का लाभ उठा सकता है। इसके लिये पूरी गुंजायश होनी चाहिये कि किसी भी आदमी के मौलिक अधिकारों या उसकी संपत्ति पर किसी तरह की आंच आने की गुंजायश न रह जाय।

श्रीमन्, यह मूल्यांकन करने की प्रथा भी बड़ी विचित्र मालूम होती है जो गाटों का मूल्यांकन करेगी। गाटों का मूल्यांकन करने में छोटे और गरीब और घूंस न दे सकने वाले लोग, घूंस न देने वाले नहीं कहता, घूस न दे सकने वाले लोग हमेशा इस संशोधन के शिकार होंगे। क्योंकि जिन लोगों में घूस देने की क्षमता है वह घूस देकर, अथवा जिन लोगों में रोब दिखा कर काम कराने की क्षमता है वे रोब दिखा कर अथवा हां हुजूरी कर के, तिकड़बाजी से, जो काम कराने की क्षमता रखते हैं वे अपना काम करा ले जायंगे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों में न घूस देने की क्षमता है और न वे इस योग्य हैं कि किसी और प्रकार से वे अपना काम करा सकें वे आर्थिक दृष्टि से घाटे में रहेंगे। वैसे तो यह घूस देने की प्रथा समाज का अब एक रिवाज और दस्तूर बन गया है और जो उस रिवाज को पूरा नहीं कर सकेगा। पाबन्दी नहीं कर सकेगा अपनी असमर्थता के कारण, मजबूरियों

[श्री कल्पनाथसिंह]

के कारण, गरीबी के कारण, वह व्यक्ति इस संशोधन से मारा जायगा । मैं चाहता हूं कि इन सारे संशोधनों को उचित ढंग से रखने के लिये, सब लोगों को अच्छी व्यवस्था दिलाने के लिये, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्रीमन्, मैंने अभी यह निवेदन किया कि दीवानी अदालतों में जाने की मुमानियत हो रही है, विधि न्यायालय में जाने की मुमानियत है । हर बात में यह सरकार कहती है कि विधि न्यायालय में मत जाओ । अजीब तमाशा है । जब हम लोग यह बात कहते हैं कि लोगों को विधि न्यायालय में जाने की पूरी छूट दी जाय तो मंत्री जी का कहना है कि हाईकोर्ट में जाने में थोड़ी सी पाबन्दी लगा दी गयी है । कोई खास बात नहीं है और यह बड़ा मासूम संशोधन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी मासूमियत के साथ सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है उतनी ही मासूमियत से वह उन गरीब और बेकसूर लोगों की तरफ निगाह क्यों नहीं डालती, जिनका अधिकार वह विधि न्यायालय में जाने से छीनने जा रही है । वह बेचारे भी न्यायालय में नहीं जा सकेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं है हाईकोर्ट के वकीलों की फीस देने के लिये । अगर इसमें यह संशोधन कर देते हैं कि हाईकोर्ट में जाने की पूरी छूट रहेगी, विधि न्यायालय में जाने की पूरी छूट रहेगी लेकिन सरकार की तरफ से वकील रख कर ऐसे लोगों की मदद की जायगी जिनकी आमदनी १०० रुपये से कम होगी, ऐसे गरीबों की मदद के लिये उनको न्याय देने के लिये उनका न्याय पाने का हक साबित करने के लिये सरकार में न्याय की आस्था को बनाये रखने के लिये अगर सरकार की तरफ से यह संशोधन आया होता तो मैं खुशी २ उसका स्वागत करता । लेकिन सरकार आज लोगों को बजाय सुविधा देने के और उन लोगों का मनोबल ऊंचा करने के ताकि लोग सरकार में न्याय की भावना को देखें यह सरकार अन्यायपूर्ण भावनाओं को जनता में प्रेरित करती जा रही है और समाज को दूषित करती जा रही है तथा लोगों के मनोबल को गिराती चली जा रही है । मेरा यह चार्ज है इस सरकार के खिलाफ कि वह विधि न्यायालयों में जाने से रोक कर यह जनता के मनोबल को गिराती चली जा रही है ।

एक चीज और मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"२८—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर जिसे अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गयी हों उस दिनांक के जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो छः मास के भीतर प्रार्थी को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलायेगा और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में अधिकार भी हैं प्राप्त होंगे ।"

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकारी पक्ष की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकारी बेंचेज खाली पड़ी हुई है तो क्या कोरम है, यह आपने देख लिया है या नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, कोरम तो है लेकिन जरा वह बेंचेज देख लीजिये । क्या इसी तरह से वह इस बिल को पास करना चाहते हैं ? जब घंटी बजेगी तो धड़ाधड़ चले आयेंगे, अभी कहीं सो रहे होंगे, उनको क्या मतलब है कोरम रहता है या नहीं ।

श्रीमन्, तो मैं यह करना चाहता हूं कि यह कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में है । चकबन्दी योजना का अर्थ अगर मैं कुछ समझ पाया हूं तो इसका अर्थ सब से ज्यादा लोगों की विचारधाराओं को बदल कर एक उन्नतिशील खेती करने में योग्य बना देना है । अगर हम काश्तकारों को इस विचारधारा का नहीं बना सके तो इस चकबन्दी योजना का अर्थ क्या होता है ? जिस योजना में प्रतिरोध करना पड़ेगा उसको सरकार लाना चाहती है, जिस योजना में सरकार चाहती है कि उसे

हक मिले किसानों का परन्तु यह बड़े ही शर्म की बात है कि वह यह हक लेना चाहती है और वह कहती है कि किसान तो खुले दिल से तैयार है और विरोध करने वाले तो केवल उधर के बैठने वाले लोग हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह का अधिकार लेकर किसानों को मौलिक अधिकारों को और उनकी विचारधाराओं पर कुठाराघात करने का एक षड्यंत्र मात्र है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इन सारी बातों को फिर से सोचें और विचारें और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें ताकि वहां पर उस पर पूर्ण रूप से विचार हो सके। इसमें मैंने यह भी निवेदन किया है कि वहां इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। आखिर यह प्रवर समिति है क्या? यह एक पंचायत की तरह इस सदन की एक कमेटी ही तो है, चुने हुये लोगों की एक पंचायत ही तो है। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, चकबन्दी उसूलों का जहां तक सम्बन्ध है मैं उससे सहमत हूं, किन्तु जो चकबन्दी का कानून है और जिस तरह से उसको अमल में लाया जा रहा है वह सचमुच में दुखद है। ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुये हमारे मंत्रीगण उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। वह उतना अनुभव नहीं कर पाते जितना कि हम लोग या वे लोग जो किसानों के बीच में रहते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। आज सरकार उस तरफ से आंख मूंद कर बैठी हुई है। आप आज अगर निकट से जाकर उन किसानों को देखें तो आपको मालूम होगा कि वे जरजर हो गये हैं। उस पर आप को विचार करना चाहिये। मुझे दुख है कि आप उस पर विचार नहीं करते। एक अमेंडमेंट आपने पहले पहल सन् १९५४ में जब विधेयक आप लाये थे, तब लाये, उसके बाद सन् १९५८ में लाये, फिर आज ला रहे हैं। आप के दिमाग में एक बात आती है और तुरन्त आप उसको रूप देने के लिये एक विधेयक ले आते हैं। आप विशेषज्ञों से पूछते तक नहीं। विचार तक उस पर नहीं करते। जिन लोगों पर बीतने वाली है, उनसे आप परामर्श तक नहीं करते। उनकी परिस्थितियों तक पर आप विचार नहीं करते। चकबन्दी कानून से आज किसान लुट गया है।

जहां तक करप्शन की बात कही जाती है, उसको कहा जा चुका है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, परन्तु आप का कानून ऐसा है कि जिसके पास पैसा है उसको तो अच्छा चक मिल गया है किन्तु जिसके पास पैसा नहीं हुआ उसको अच्छा चक नहीं मिला, भाग्य से भले ही किसी किसान को अच्छा चक कहीं मिल गया हो। एक आदमी का घर किसी दूसरे के चक में डाल दिया जाता है, जिसकी उससे दुश्मनाई होती है। इसी तरह का एक केस मेरे पास आया। उसकी अपील हुई। मैंने रिवीजन किया। डिस्पोजल इज मोर असेन्शियल देन दि जस्टिस टू दि पीपुल कन्सर्न्ड। मैंने उसमें हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि चल कर मुआयना तो कर लीजिये। मगर कुछ नहीं किया गया और केस खतम कर दिया गया। एक आदमी को एक तालाब दे दिया गया। उसमें इतना पानी है कि उसमें कुछ हो नहीं सकता। वह बेचारा परेशान है। किसी पक्ष से क्यों न आये लेकिन जो बात आंखों से देखी जाती है उसको किस प्रकार से गलत बताया जाय? आप के सामने उसको किस रूप में रखा जाय कि आप को सुधार सकें? जब करप्शन की बात कही जाती है तो आप कहते हैं कि झूठे ही गवर्नमेंट को कोसा जाता है। इसके बारे में आपकी चार दलीलें हैं—काश्त को कम करने के लिये, लैंड रेवेन्यू कम करने के लिये आदि आदि। यह ठीक है कि इससे आप की मंशा है कि केस का निबटारा जल्दी हो जाय लेकिन एक चीज आप को अपने मस्तिष्क से ओझल नहीं करना चाहिये कि इंसाफ का गला न घुट जाय और इस चीज को कोई भी नहीं चाहता। उसका जो बुरा असर हो रहा है उससे तो ऐसा सोचना पड़ता है कि कांसोलिडेशन से पहले ही हालत क्या बुरी थी। एक किसान अपने घर के बगल में खाद का प्रबन्ध कर लेता था, उसको भी आपने समाप्त कर दिया। हरिजनों के लिये आप ने कहा कि उनको खेत मिलेंगे, उनको सहूलियत दी जायगी लेकिन उनको भी कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

लाभ नहीं हुआ है। आपने एक भी सबसटेंशियल अमेंडमेंट इसमें नहीं रखा है जिससे हमारे हृदय में उत्साह आये और किसान का दुख दूर हो सके। सरकारी अधिकारियों को तो इसके दुख की कोई परवाह मालूम ही नहीं पड़ती है।

रात के एक-एक बजे तक मुकदमे होते हैं। कोई विधवा है या जवान लड़की है, उसका मुकदमा है तो उसको भी वहां रात को १ बजे तक बैठना पड़ता है। हमारी सरकार को तो एक ही धुन है कि डिस्पोजल जल्दी होना चाहिये, चाहे न्याय हो या न हो। वार टाइम कोर्ट्स को छोड़ कर, यह एक-एक बजे रात तक कोर्ट्स का बैठना संसार में अनपेरेलड है। यह ठीक है कि हमको मेहन्ताना मिलता है, फीस मिलती है लेकिन फिर भी लोगों को इससे कितना कष्ट होता है। क्या आपने कोई ऐसा साधन बनाया कि वकील लोग फीस न ले सकें और लोगों को राहत मिले लेकिन आप तो उल्टी बात सोचते हैं। ऐसे मुकदमे जो राइट के हैं, टाइटिल के हैं, एडाप्शन के हैं, पार्टिशन के हैं, जिनको आज कल तक केवल सिविल कोर्ट ही फैसल करते थे, इन नये-नये लड़कों को दे दिया है जो अभी कालेज से ही निकल कर आये हैं और फिर आप कह देते हैं कि वह फाइनल हो गया। एक रिपोर्ट में ए० सी० ओ० ने लिख दिया कि हमने मौका देख लिया तो अपीलेट कोर्ट ने लिख दिया कि अब इंस्पेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने चाहे जितनी कोशिश की कि उसने न जाने किस वजह से ऐसा फैसला किया लेकिन एक नहीं सुनी गयी। सब का ध्यान डिस्पोजल की ओर ही है। सब अधिकारी अपने उत्थान के लिये सरकार की ओर ही देखते हैं, जनता की कोई परवाह नहीं करते और सरकार चाहती है कि डिस्पोजल जल्दी हो। आखिर ऐसे गहन मामलों को पहले ही क्यों सिविल कोर्ट्स के अधिकार में रखा गया था। इसलिये कि लोग सोचते थे कि यह मौलिक प्रश्न है, उन लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है। लेकिन इस समय आपने उनको नये-नये लड़कों के हाथ में दे दिया है और फिर कहते हैं कि दूसरी अपील का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपने कभी इस पर ठंडे दिल से सोचा भी है कि इसका नतीजा क्या होगा? जब मैं सदन में नहीं था तो पहले भी विरोधी दल के लोग चिल्लाया करते थे कि कांसोलिडेशन में लूट हो रही है। और इसके लिये तो किसान ही प्रोत्साहित करता है कि हमें लूट लो क्योंकि वह भी जानता है कि सेकेंड अपील नहीं है, इसलिये अच्छा यही है कि कुछ ले देकर अपना काम निकाल लो। इसमें लिखा हुआ है कि चूंकि फुर्सत नहीं है हमारे सेटिलमेंट आफिसर को तो वहां से आर्डर पर आर्डर आता है कि कितना डिस्पोजल हुआ। और उसका नतीजा यह होता है कि किसान अपना खेत बेंचे, अपने बैल बेंचे और ए० सी० ओ० और सी० ओ० को दे। मैं सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं लेकिन मुझे विरोध तो इसलिये है कि वे खेत पर या खेत के अगल-बगल में जाते भी नहीं हैं और अपनी रिपोर्ट लिख कर दे देते हैं। मैं समझता हूं कि अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से वे किसानों के साथ बेइन्साफ करते हैं। वे अपना निर्णय ऐसा देते हैं और ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं कि एक वकील होने के नाते उसे देख कर मैं चकित रह जाता हूं....

श्री अधिष्ठाता—त्रिपाठी जी, आप बोलने की तेजी को धीमी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—बहुत अच्छा, मैं भूल गया था। श्रीमन्, मैं इस पहलू पर बोलने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि यह एक ऐसा पहलू है जिस पर बोलना जरूरी है। मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं समझता हूं कि अब तो हमारे कांसोलिडेशन आफिसर्स को खुली छूट हो जायगी कि वे जिस तरह का भी निर्णय चाहें दें क्योंकि उसकी दूसरी अपील तो होगी नहीं। किसान भी समझेगा कि दूसरी, तीसरी अपील तो होगी नहीं और रिट में जाने पर भी हाईकोर्ट में ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिये इसी वक्त जितना रुपया हो सके, दे डालें ताकि काम निकल जाय। मैं सच कहता हूं कि आप की आलोचना करने की नीयत से मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि वास्तविक स्थिति यही है। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर मेरी

बात गलत हो, तो मैं सदन छोड़ कर चला जाऊंगा। आप कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसीज्योर है उसको हमने कट डाउन कर दिया है ताकि उनका खर्चा कम हो जाय। इससे खर्चा क्या कम होगा? एक तरफ तो आपने खर्चा कम किया है और दूसरी तरफ उनकी पीठ पर और लाद दिया है। मैं कहता हूं कि जो आपकी प्लानिंग कमेटी है वह भी उसी का एक अंग है। अगर सरकार नेकनीयती से किसानों का भला करना चाहती है और यदि हमारी सरकार नेकनीयती से इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके हृदय में यह भावना होनी चाहिये कि वह कांसोलिडेशन स्कीम के द्वारा किसानों को मदद देगी।

मैं इस सिद्धान्त को नहीं समझता हूं कि सरकार कहती है कि वह मशीनरी वेल खुदवाने के लिये बड़े-बड़े ट्यूबवेल बनवाने के लिये और बड़ी-बड़ी इर्रीगेशन स्कीम के लिये पैसा नहीं देगी और दूसरी तरफ वह कहती है कि अगर किसी का कुआं किसी खेत में है और वह खेत दूसरे को मिल गया तो चाहे वह भगेलू हरिजन ही हों जिनको सीधी धोती पहनने तक नहीं आती, ए० सी० ओ० ने उसके ऊपर कुएं की कीमत ३०० रुपया लगा दी। अगर वार इमर्जेन्सी के लिये कास्ट लेने की बात होती तो समझ में आने वाली बात थी लेकिन इसका प्रबन्ध तो आपके द्वारा शुरू से ही है। तो मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कितने महत्व का प्रश्न इनवाल्व है और मैं श्री कल्पनार्थासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बड़ा ही गहन विषय है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कुयें की कीमत ३०० रुपया लगा दी और वह रोता हुआ आता है कि यह ३०० रुपया कहां से आये, आप उसको कर्जा देंगे, क्या किस्त आप उसकी करेंगे या आप आधा पैसा ही स्वयं देते, लेकिन आप कुल मुआवजा खुद देने के बजाय उससे एकमुश्त दिलाते हैं। फिर ए० सी० ओ० ने जो भी मुआवजा लगा दिया वही ठीक, कोई सुनवाई नहीं कि थोड़ी-सी पक्की ईंटें १५–२० रुपये की लगी हैं या १५०–२०० रुपये ही लगे हैं और ३०० बहुत ज्यादा हैं कोई अपील नहीं है। आपने सेकिन्ड अपील कतई समाप्त कर दी।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि आप ने लैंड रेवेन्यू की बात कही। फिर उसमें तरमीम आयेगी अगर मैंने ठीक समझा है। सरकार तरमीम बार-बार लाने से नहीं घबराती लेकिन मेरा मन दुखी होता है जब एक कानून में तरमीम पर तरमीम यहां लाई जाती हैं। बाहर के देशों के लोगों के सामने अगर यह तरमीमों के आंकड़े रखे जायं कि जितने कानून किसानों के हित में बनाये गये उनमें कितनी बार तरमीम आई तो वह यही कहेंगे कि या तो बिना सोचे समझे कानून लाये जाते हैं या विभाग में सब के सब अयोग्य ही भरे पड़े हैं या वह यह कहेंगे कि लीगल एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती। उन्होंने रेवेन्यू के बारे में कहा कि जिस अनुपात से उन की जमीन घटेगी उसी अनुपात से लैंड रेवेन्यू भी घट जायगी। किसी के पास फर्स्ट क्लास जमीन है और कुछ थर्ड क्लास की है तो अगर किसी की जमीन निकल जायगी तो उसके साथ फसल का मुआवजा दिलाने की बात है। जो पहले से बोये हैं उसको मुआवजा वह देगा जिसको वह मिलेगी सिवा गल्ले की फसल के कोई फसल ऐसी नहीं है कि जो ६ मास से ज्यादा खेत में रहती हो पता नहीं वह किस दुनिया में रहते हैं, इस पर भी उन्होंने विचार नहीं किया कि फसल कब से कब तक खेत में रहती है। पहले से यह आर्डिनरी ला है कि अगर कोई ट्रेसपासर नहीं है तो फसल कटने के बाद ही कब्जा दिया जायगा और हस्तांतरण होगा। यहां आप ने कहा कि नहीं उसको खड़ी फसल का मुआवजा देना होगा। न मालूम आप क्या समझते हैं कि वह यह कुएं का मुआवजा, खड़ी फसल का मुआवजा कहां से नकद लायेगा। मुआवजे का निर्णय आप ने ए० सी० ओ० के हाथ में छोड़ दिया और अपील की कोई गुंजायश नहीं रखी। नतीजा यह हो रहा है कि यह लोग २–३ साल में ही काफी धनी हो जाते हैं और रिजाइन करके बिजिनेस करने की बात सोचते हैं क्योंकि आप ने उनको काफी बड़े निर्णय के अधिकार सौंपे हैं। आप इस पर विचार करें कि आपने कोई अपील की गुंजायश ही नहीं रखी, बड़ा गम्भीर मसला है। आप जवाब कुछ भी दे दें जैसे कि एक वकील अपनी योग्यता से कोई बात कहता है किसी वर्स्ट केस को भी चतुरता से, योग्यता से अच्छी तरह से सामने रख सकता है। मगर हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं हमसे ज्यादा आपको जाती अनुभव है। आप हमारी बात से सहमत होंगे। यदि ऐसी

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

बातें हैं इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसमें लाखों की जिन्दगी इनवाल्व्ड है, सारे प्रदेश में इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं और ९० फीसदी टेनेन्ट्री इनवाल्व है, तो जो प्रस्ताव था कि एक प्रवर समिति इसके लिये मुकर्रर की जाय जिसमें योग्य आदमी हों परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तो इसमें क्या बेजा था बहुतों की राय थी जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इस समय इसको स्थगित कर दीजिये। जो वकील होंगे वह हमारी बात से सहमत होंगे। हम तो बहुत छोटी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसलिये हमारा अनुभव है । अतः जो परिस्थितियां मैंने बतायीं उनको ध्यान में रखते हुए इस बिल को प्रवर समिति में जाना चाहिये।

(इस समय १२ बज कर ३१ मिनट पर, अधिष्ठाता कुंवर श्रीपालसिंह पीठासीन हुए।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—श्रीमन्, जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं, साथ-साथ कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। जो चकबन्दी हो रही है और जिस भावना को लेकर की जा रही है, बहुत अच्छी है और उससे किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ बातें और कहना चाहता हूं, चकबन्दी जितने दिन होती है उतने दिनों के अन्दर किसान जिस परेशानी में पड़ जाता है और काफी रुपया खर्च करना पड़ता है यह बात सही है । जैसा कहा जाता है अच्छी जमीन इधर से उधर कर दी जाती है पैसा कमाने के लिये इसमें दो राय नहीं है। मैं कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बारे में बताना चाहता हूं जहां चकबन्दी हो रही है। एक गांव बरई गढ़ है, जहां पुराने जमींदार का पोषण करने के लिये और जो जमींदारी के समय में जमीन थी और गांव समाज में निहित हो गई उसको अपने कब्जे में रखने के लिये चकबन्दी के समय उस पर कब्जा पाने के लिये अनेक बातें रची गई हैं। उस समय जो सभापति थे जो एक अच्छे वकील हैं वह उन मामलों की पैरवी करते थे तो उनको उससे वंचित करने के लिये जाल रचा गया और वह पैरवी करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये और यह अधिकार लेखपाल को दिला दिया जिसको कोई अधिकार नहीं है। पैरवी करने का अधिकार होता है गांव सभा के सभापति को । उसको वंचित करके लेखपाल को दे दिया और सारे मुकदमे गांव समाज के पक्ष में न होकर स्वार्थी लोगों के पक्ष में हुए। अगर उस गांव की चकबन्दी की जांच करायी जाय तो पता चलेगा कि लाखों रुपये की गांव समाज की प्रापर्टी दूसरे लोगों के हाथ में चली गई। उस गांव के सभापति से चकबन्दी अधिकारी नाराज होकर अनेक तरह के मुकदमें उसके खिलाफ़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह के मामले चकबन्दी में चल रहे हैं ।

दूसरी शिकायत यह है कि प्लाट जो काटे जाते हैं कागज पर जितने बड़े प्लाट बनाये जाते हैं असली जमीन पर उतने बड़े नहीं दिये जाते हैं । शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर काबू पाने के लिये कुछ लोगों को राहत मिले । प्रत्येक तहसील में गांव समाज में चकबन्दी कमेटी बनती है। उसी आधार पर तहसील भर की एक चकबन्दी कमेटी होनी चाहिये जिसमें वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ता हों, विधान सभा के सदस्य हों और वहां के कुछ अधिकारी लोग हों और उसे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत सुनने का अधिकार हो और वह कमेटी मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करके फैसला दे। तो जो गड़-बड़ियां और शिकायतें हैं उनमें शायद कुछ थोड़ी-सी कमी हो सके।

मैं देखता हूं कि अधिकारी की शिकायत हो जाती है तो वह किसी के वश में नहीं होता है। वह मनमानी करता है उस मनमानी के खिलाफ मंत्रिमंडल के स्तर पर भी अगर शिकायत कर दी जाय तो नीचे से रिपोर्ट आ जायेगी। उस रिपोर्ट के अलावा दूसरी बात कहना मुश्किल है और उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। जनता में इससे असन्तोष पैदा होता है और सही भावना जो है वह दूसरी तरफ परिवर्तित हो जाती है। इससे जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है। इस तरह की भावनाओं को हटाने के लिये और

लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये इस तरह के उपाय होने चाहिये और इस तरह की कमेटी जरूर बनाई जाय। अन्त में मैं प्रवर समिति में जाने का इसका विरोध करता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज आपने बड़े अच्छे समय पर समय दिया है। जो चकबन्दी विधेयक सामने आया है इसमें कोई पैसे का सवाल नहीं है और न सरकार को आशा है कि इससे उसे पैसा मिलेगा। कल्पनाथ जी ने और हमने इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उसे सरकार को मान लेना चाहिये। हमारी तरफ कहते हैं कि "जिसके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।"

श्री अधिष्ठाता—उनके पैर में बिवाई थोड़े ही फटी है जो वह जानें। उन्हें बतला दीजिये।

श्री लखीसिंह—पैर में बिवाई फटा करती है और वह इस मौसम में फटती है। बड़ी उससे तकलीफ होती है। मंत्री जी को क्या मालूम कि चकबन्दी किस चिड़िया का नाम है। ये बेचारे तिरंगा झंडा ले कर चलने वालों में से हैं, मगर कुछ नहीं जानते। इनको जो कुछ लिख कर दे दिया जाता है उसे लाकर हमारे सामने कर दिया जाता है। मैं बतलाता हूं कि यह चकबन्दी किसानों के लिये उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितना चीन हिन्दुस्तान के लिये।

त्रिपाठी जी ने एक-एक बात बतायी है। शायद उनके क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है और मेरे क्षेत्र में भी हो रही है। मैं चकबन्दी नहीं कहता, मैं तो चक्रव्यूह कहता हूं जिसमें कौरव और पांडव, दोनों का विनाश हो गया। मैं त्रिपाठी जी से नहीं कहूंगा, वह तो बड़े अच्छे वकील मालूम होते हैं। मेरे जिले में चार तहसीलें हैं। पहले सादाबाद तहसील में चकबन्दी हुई, फिर मथुरा तहसील में हुई और अब मेरे क्षेत्र—छाता तहसील में हो रही है और अब यह संशोधन ले आये। अगर हम इसको मान लें तो पहली तहसीलों की चकबन्दी को रद्द करिये और इसके आधार पर दुबारा चकबन्दी कराइये। लेकिन वे इसको नहीं मानेंगे। वे तो कहेंगे कि जो हम लिख कर लाये हैं उसे मानो। नाम मात्र के लिये चकबन्दी कमेटी बनायी जाती है। उधर के माननीय सदस्य जो अभी बोले, हालांकि वे कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ठीक बात कही। तहसील कमेटी की जो बात उन्होंने कही वह कुछ अंशों में ठीक कही। गांव की चकबन्दी कमेटी को कोई नहीं पूछता। उसके सभापति को भी कोई नहीं पूछता। किसान की जायदाद का सर्वेसर्वा तो एक नायब होता है जिसे सुअर भाषा में ए० सी० ओ० कहते हैं। गांव का किसान यह जानता भी नहीं कि सी० ओ० और ए० सी० ओ० का क्या मतलब है। किसान मुझसे कहते हैं कि ए० सी० ओ० ने यह कह दिया कि या तो मेरी बात को मान लो नहीं तो तुम्हारा चक उधर फेंक देंगे, दौड़ते-दौड़ते मर जाओगे। तो कैसे हम इस संशोधन का समर्थन करें? हम तो यही कहेंगे सरकार से और विशेषकर मन्त्री जी से, अब तो बहुत अच्छे मन्त्री जी हैं, कि कम से कम त्रिपाठी जी जैसे विद्वान् लोगों को विचार करने के लिये बैठाओ और फिर उसके बाद लाओ। तो मैंने पहले चकबन्दी कमेटी की बात बताई एक गांव की और एक जिले की। बीच में कुछ नहीं है, मैदान साफ है, तहसील की कोई कमेटी नहीं है। जिले की चकबन्दी कमेटी की बैठक में मैं एम० एल० ए० की हैसियत से बैठा हूं। कल भी मैंने कहा था कि इनके दिमाग का तो दिवाला निकल गया। देखिये, जो जिले में चकबन्दी कमेटी है उसमें और कोई विधायक नहीं रहेगा सिवाय उस विधायक के जिसके क्षेत्र में या तहसील में चकबन्दी हो रही है और जिले में ६ एम० एल० एज० होते हैं अगर ये सब होते तो कम से कम एक साथ बैठकर ठीक से विचार तो करते। मुझ जैसे आदमी का क्या, वहां पर बड़े-बड़े मगर बैठते हैं जो गिटपिट बोलते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

और मेरी चलने नहीं देते। आप कांग्रेसी सदस्य का ही सुझाव मान लें लेकिन तहसील के स्तर पर एक कमेटी और होनी चाहिये। लेकिन वहां पर कांग्रेसी न बैठ जायं क्योंकि हमने देखा है कि जो हार जाते हैं उनको इसी तरह से कहीं न कहीं बिठा दिया जाता है।

अब देखिये कितनी परेशानी है, कितनी गड़बड़ी हो रही है, मैंने अखबार में पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा है कि इन चीनियों से जो साम्यवादी हैं हमारा युद्ध कम से कम ५ साल तक चले तो कोई ताज्जुब नहीं है। अब बताइये किसान किस-किस से सुलझे, कृपा करके इस बीमारी को तो रोकिये। इन सी० ओ० और ए० सी० ओज० जो चीनी हमलावरों के बराबर हैं उनको तो अलग कीजिये। यह तो किसान की छाती पर से बवाल उतरे। चक तो बन गये हैं लेकिन रास्ता नहीं बना है। अब वहां लाठी बज रही है, फौजदारी हो रही है। वैसे मेरी तहसील में वकील रो रहे हैं क्योंकि वे तो मुकदमा चाहते हैं। अगर डाक्टर को बीमार और वकील को मुकदमा न मिलें तो उनका दिवाला निकल जाय। हमारे यहां पहले चकबन्दी सादाबाद में हुई, वहां वकीलों ने गुलछर्रे उड़ाये और सी० ओ० और एस० ओ० ने भी मनमानी बातें कीं। दाऊ जी के पास बटलोनी एक गांव है जिसकी ६००–७०० की आबादी होगी। उसमें से ३० हजार रुपया रिश्वत का लिया गया और यह सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह मामूली बात नहीं है। हम कैसे चीन से लड़ें, कैसे इन सी० ओ० और ए० सी० ओज० से लड़ें। ये वकील कहते हैं कि सादाबाद और मथुरा में चकबन्दी अच्छी हुई लेकिन छाता में खाक नहीं है क्योंकि मेरे क्षेत्र में ६० फीसदी मुकदमे आपस में तय हो जाते हैं। लेकिन ४० फीसदी मुकदमे इतने परेशान कर रहे हैं। आखिर रुपया कहां से लायें और किन-किन चीज के लिये लायें। पैदावार होती नहीं किसान के पास। किसानों की हालत पहले से गिर गयी है। किस-किस चीज के लिये किसान पैसा लाये ?

मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि संशोधन लाओ लेकिन पहले आर्डर कर दो कि पहले की चकबन्दी रद्द कर दी जाय। इसको पवित्र संशोधन बता रहे हो। अब जागे हो। कुम्भकरण की तरह अभी तक सोते रहे। इसमें क्या लिखा है—जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ जब पिछली बार उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८, १९५८ द्वारा संशोधित किया गया था तब से यह आवश्यक समझा गया है कि चकबन्दी की प्रक्रिया को और परिष्कृत किया जाय ताकि प्रति एकड़ चकबन्दी की लागत को जो अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक है—और हम बार-बार कहते थे कि पंजाब हमारी सीमा पर है, उसमें चकबन्दी ठीक तरह से हो रही है। हमने आप से बार-बार कहा। हमने सत्याग्रह किये थे। सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया था, प्रदर्शन किये थे कि अगर चकबन्दी करनी है तो पहले इंदराजों को ठीक करो और अब हमारी सरकार दूसरे सूबों का उदाहरण दे रही है। बिल्कुल ठीक है, दूसरे प्रान्तों में विशेषकर पंजाब जो मेरी सीमा पर है, उसमें चकबन्दी हुई है, वहां का किसान खुश है। दो दफा अंग्रेजों ने बन्दोबस्त किया। यह भी एक बन्दोबस्त है न। दोनों दफा अंग्रेज ने, जिसको हम दुश्मन बताते थे, किसान से जमीन का बन्दोबस्त करने का एक पाई भी खर्चा नहीं लिया। वही सी० ओ०, वही नौकर हैं, वही लेखपाल और कानूनगो हैं। उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरी तहसील में, इत्मीनान तो नहीं है, होली में खत्म हो जायगी। फिर राधेश्याम जी के क्षेत्र में जायगी। क्लेश मुझसे कट जायगा।

एक बीमारी और है। सवा छः एकड़ का खर्च वसूल होगा और जोत कर विधेयक किसान की मर्जी के खिलाफ, तानाशाही करके, बहुमत के बल पर लगा दिया है। अभी १०, १५ बैठे होंगे। लेकिन जब वोट लिया जाता है तो टिड्डी की तरह भर जाते हैं। तो जबरदस्ती लगा दिया है और किसान सवा छः रुपया एकड़ का टैक्स देगा चीनी कम्यु-निस्टों को भगाने के लिये भी देगा। तो यह हालत है। अधिष्ठाता महोदय, कहीं ब्रेक

न लगा देना। इस पर ज्यादा बोलूंगा आज। तो मैंने अंग्रेजों का उदारण दिया कि उन्होंने बन्दोबस्त पर कोई खर्चा नहीं लिया और यह मलूक सरकार, खूबसूरत सरकार उसी किसान पर सवा छः रुपये फी एकड़ चकबन्दी खर्चा जबरिया तानाशाही से वसूल करेगी और न देने पर खींच-खींच करके हवालात और जेलों में ठूंस देगी। यह वसूली हो चुकी है, सादाबाद में हो चुकी है, मथुरा में हो चुकी है, बड़ी-बड़ी दुर्गति हुई है किसानों की, यह हमने देखा है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज तो आप अधिष्ठाता बने हैं, आपको धन्यवाद है, आप जरा उनके दिमाग को ठीक करना।

अब कुंए वाली बात लीजिये। मेरे पुरखों ने या मैनेजरसिंह जी या नाथूराम जी के पुरखों ने एक कुंआ बनवाया, अपने खून पसीने की कमाई से बड़ा पुख्ता कुंआ बनाया और ऐसा बनाया कि सारे रकबे की सिंचाई करते रहें और उनके बच्चों का जीवन चलता रहे। अब सरकार का यह चीनी हमला हुआ चकबन्दी का और सी० ओ० महाराज या ए० सी० ओ० महाराज ने वह कुंआ राधेश्याम को दे दिया। कह दिया तुम चलो, अलग बैठो, हम जो करेंगे वह होगा। तुम्हारा कुंआ नहीं हो सकता और कुएं के साथ-साथ उन्होंने हमारे खेत भी दे दिये। मुझे उठाकर सिवान के कोने पर फेंक दिया। अब उस कुएं का मुआवजा देने बैठे तो त्रिपाठी जी उसके बारे में पहले ही बता चुके कि उसकी असली कीमत भी नहीं लगायी क्योंकि सी० ओ० साहब और ए० सी० ओ० साहब क्या जानें कि कुंआ कैसे बनता है, कुंआ कैसे दरकता है, कुंआ दरकाने में आदमी की जान तक चली जाती है, यह ए० सी० ओ० और सी० ओ० को क्या पता? लेकिन कीमत तय करेंगे। "जलेबियों की रखवाली कुतिया" इसी तरह से सरकार ने किसान की जान जलेबी की रखवाली कुतिया ए० सी० ओ०, सी० ओ० और एस० ओ० सी० को बनाकर उसका गला घोंट डाला है।

श्री अधिष्ठाता—मगर ठाकुर साहब कहते हैं की ए० सी० ओ० और सी० ओ० भी तो किसानों के ही लड़के-बच्चे होते हैं जो उस पोस्ट पर जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री लखीसिंह—यह बिल्कुल ठीक है। यह कम्युनिस्ट भी तो हमारे ही हैं न। लेकिन चीन की गद्दी पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, रूस की संगीनें खड़ी थीं और उन्होंने चीन में कम्युनिस्टों को वहां की गद्दी पर बैठाला था। इसी तरह से यह सरकार अर्द्ध-कम्युनिस्ट है। इस कांग्रेस में आधे कांग्रेसी कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। आपने मुझे याद दिला दिया, बड़ा अच्छा किया। इस नौकरशाही में, इसके हर दफ्तर में और हर विभाग में यह सरकार और इस सरकार के मन्त्री कान खोलकर सुन लें, हर दफ्तर में, हर विभाग में कम्युनिस्टों का एक गिरोह बैठा करता है जो फाइलों पर पड़ा रहता है। वह चीन को.....

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जो लखीसिंह जी ने कहा कि "जलेबियों की रखवाली कुतिया", क्या यह संसदीय है?

श्री अधिष्ठाता—यह तो मिसाल उन्होंने दी है। किसी के ऊपर नहीं कहा है। वह संसदीय है। इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री लखीसिंह—देखिये, श्रीमान् जी, मैं सब संसदीय ही बोलता हूं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कुंए के विषय में। हमारे यहां मथुरा की भाषा में वह कुंआ कहा जाता है। मैं कह रहा था कि इस चकबन्दी संशोधन विधेयक की कथनी बहुत अच्छी है, दर्पण बहुत अच्छा है लेकिन हमको कुछ भय है। हमको भय है यह कि सरकार के कानों में कानून बनाने में कथनी कुछ रहती है और उसकी करनी कुछ रहती है। इसी का हमें भय है। चकबन्दी कानून हमने छोटी-

[श्री लखीसिंह]

छोटी किताबों में पढ़ा था जो यहां से गयी थी। इस भागवत को क्या पढ़ूं, मैंने इसका उद्देश्य और कारण पढ़ लिया है। तो आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी कानून में बहुत-सी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है कि एक परिवार के लोगों को एक ही जगह चक दिये जायेंगे, अलग-अलग नहीं। इसे अन्य माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा लेकिन मैं क्या बतलाऊं। हम ही तीन भाई हैं, दो मुझ से छोटे हैं, लेकिन मेरा चक कहीं है और उन लोगों का कहीं।

एक सदस्य---दरख्वास्त दे दीजिये।

श्री लखीसिंह---दरख्वास्त क्या दें किसे दें। हम तो एक ही बार दरख्वास्त देंगे सन् १९६७ में। यह तो अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा है। उपाध्यक्ष जी, मैं कुएं की बात कह रहा था। कुंआ बनाया जाता है तो उसमें कम से कम ५-६ डिसमल जमीन छोड़ कर बनाया जाता है। यह सब लोग जानते हैं। वहां किसान की झोपड़ी होती है दो, चार पेड़ लगाये जाते हैं, दो-चार बैलों की जोड़ी बांधने के लिये इंतजाम किया जाता है जिसे हमारे यहां लड़ानवी कहते हैं। वह बनाई जाती है, ताकि रहट भी चले और बैल भी बाँधे जा सकें। दो, चार डिसमल जमीन छोड़े बिना कुंआ नहीं बनाया जाता। लेकिन सरकार के कानून में क्या है। सरकार का सी० ओ०, लेखपाल जाता है और उस जमीन को बंजर लिख देता है और बंजर लिख देता है तो वह कुंआ गांव समाज का बन गया। जो सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस विधेयक से हैं उनसे विशेषकर मैं प्रार्थना करूंगा कि जरा ऐसी बात मेरी नोट करें। ऐसे गलत इन्दराज के कारण और ऐसे गैर-जिम्मेदार अफसरों के कारण जो आपके बनाये हुये कानूनों की अवहेलना करते हैं जो आपके कानून को भी कुचल डालते हैं वह किसानों को परेशान करते हैं। आप देखें कि इस तरह से सैकड़ों कुयें ग्राम समाज के चले गये और आप को भी मालूम होगा कि दीवानी वगैरह करनी पड़ती है, मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। वे बेचारे वकीलों के हाथों में चले जाते हैं, वह उनको फिर रगड़ता है और इस तरह से उन बेचारे किसानों का कचूमर निकल जाता है।

मैं अपने जिले की आपको बात बताऊं। मथुरा की क्लेक्टरी की कचेहरी तो आप लोगों ने देखी होगी। एस० ओ० सी० का दफ्तर नहीं है। वहां पर जिला चकबन्दी की अदालत लगभग ३ मील दूर है बिल्कुल एकान्त में बनाई हुई है। गोवरधन की तरह बना दी है। ताकि एकान्त में सौदा पट सके। यदि कोई किसान वहां से वकील ले जाता है तो एक ही किसान का उसमें बहुत-सा रुपया खर्च हो जाता है। खाली १ रुपया तो रिक्शेवाला ले लेता है। आप सोचें कि यदि वकील मेरे केस के लिये जाय तो वह ४० रुपये से कम में नहीं जाता है। जो किसान वकील को ले जाता है वह बेचारा मर जाता है और उसका कचूमर निकल जाता है। यह किसान इस तरह से परेशान हो रहा है। केवल यही नहीं मैं आप को अपनी तहसील की बात बताऊं कि वहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर २-१ वकील हैं और वह भी मेरे जैसे टुटपुंजिया हैं। अब सी० ओ० के यहां केस है "छाता" में जो कि वहां से २५ मील दूर है जो कामर में दफ्तर है वहां जाना पड़ता है। इसको श्री बनारसीदास जी तो खूब जानते होंगे क्योंकि कोसी में कभी उनका स्वागत भी हुआ है। तो आप सोच लीजिये कि वहां वकील जायेगा तो क्या मेहेन्ताना लेगा। उस किसान की लगभग ५-६ एकड़ जमीन बिक जायगी, और उसकी हैसियत बिगड़ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो हो गया है अब आप कृपया यह बता दें कि यहां क्या होना चाहिये, क्योंकि हाउस का टाइम बड़ा कीमती है ?

श्री लखीसिंह---श्रीमन्, वह तो मैं बताऊंगा। आप देखें कि यदि तारीख बढ़ गई तो फीस भी बढ़ जायगी। मैं इसी में बताये देता हूं कि वकीलों की कोई जरूरत नहीं है। आप

मेरा सुझाव नोट कर लें। चकबन्दी कमेटी जो उस गांव की है वही वकील करे और बिना मेहन्ताने के करे। जब चकबन्दी कमेटियां बनी हैं तो उन पर आपको इत्मीनान करना चाहिये और जो वह कहें उसको मान लेना चाहिये।

अब एक बात और है। एक तरफ तो पेड़ लगाने की बात कही जाती है। कहा जाता है पेड़ लगाओ। हमारे वन विभाग के मन्त्री जी वन-बिहारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके इस चकबन्दी कानून का प्रभाव यह हुआ है कि इसके भय से सब पेड़ काट कर मैदान बना दिया गया है जगह-जगह हरे-हरे पेड़ों तक को काट डाला गया है और जंगल के जंगल साफ हो गये हैं। आज जो यह संशोधन आप लाने जा रहे हैं यह तब ला रहे हैं जब कि आधे उत्तर प्रदेश में चकबन्दी का काम खत्म हो गया है। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता। आप अब भी हमारे सुझाव को मान लीजिये।

इसमें लिखा है कि "चकबन्दी क्रियाओं में अड़चने आने और देरी होने का एक सब से बड़ा कारण यह रहा है कि विभिन्न चकबन्दी प्राधिकारियों के पास वाद-कार्य जमा हो गया है। यह प्रस्ताव है कि विभिन्न प्रक्रियाओं को दो वर्गों में मिला दिया जाय जिससे आपत्तियां, अपील आदि प्रस्तुत करने के प्रक्रम कम हो जायेंगे और इस प्रकार खातेदारों को होने वाली बहुत-सी असुविधायें दूर हो जायेंगी।" अब यहां पर यह चौपट हो गये। करीब-करीब यह जो छोटी-छोटी कोर्ट हैं यह लूट की दूकानें बनी हुई हैं, भ्रष्टाचार की दुकानें बनी हुई हैं। अगर न्याय मिलने का इत्मीनान है तो उच्च न्यायालयों पर है क्योंकि वहां पर फिर भी गनीमत है और कुछ न्याय मिल जाता है। किन्तु यहां सरकार उसका भी गला घोट रही है। क्या होगा? इन छोटी-छोटी कोर्ट में न्याय मिलने वाला नहीं है। चाहे हमारी एक दो एकड़ जमीन और चली जाय, वह ठीक है, कम से कम उससे हमें न्याय तो मिल जायेगा। इसलिये माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें।

एक बात और है। यह चकबन्दी जहां भी होती है वहां पर गांव के गांव की जमीन का इन्कलाब हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। यही नहीं, नहरी गांव जहां हैं वहां पानी के लिये ओसरा बन्दी, वार-बन्दी होती है, नालियां बनी हुई हैं। उधर के बैठने वाले भी जानते होंगे चाहे डर के मारे न कहें, गुप्ता जी के बाण का और सन् १९६७ में टिकट न मिलने का डर है। वे नालियां तब्दील हो जाती हैं और वारबन्दी बिगड़ जाती है एक तरफ तो हम कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ जंग के लिये हमें गल्ला चाहिये कपास चाहिये और इस चकबन्दी ने उत्पादन बन्द कर दिया। किसान देख रहा है कि कहीं मेरी फसल न छिन जाय, वह इस डर से खेत को पड़ा रहने देता है और सोचता है कि चलो अपने बच्चों के लिये १, २ बीघा गेहूं बोलें। यही नहीं किसान अपनी जमीन को ६ महीने पहले से जोतता है, उसमें खाद डालता है, उसे कमाता है। लेकिन जब उसे डर रहता है कि कहीं ए० सी० ओ० साहब की कलम चल गई और मुझ से मेरे बाप दादा की जमीन छिन गई, तो वह उसे नहीं जोतता है और न खाद डालता है। इस विधेयक में संशोधन लाओ जंग का जमाना है, चीन हमारी छाती पर चढ़ा चला आ रहा है चाहे वह थोड़े दिन आराम कर ले लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि यह चीन धोखेबाज और ये कम्युनिस्ट धोखेबाज कभी हमारे साथ रियायत करेंगे तो आप बिल्कुल जागते रहो, पृथ्वीराज की तरह सोओ मत। सिंचाई मन्त्री जी का भी इस विधेयक से सम्बन्ध है। आप फौरन अपने इंजीनियरों को जरा गरम करो और जिन चकों के दखल मिल गये हैं, जिनके फैसले हो गये हैं, उनकी तत्काल वारबन्दी कर दीजिये और नालियां बनवाइये जिससे फसल तैयार हो और जो अपनी मां के लाडले इस चीन हत्यारे से लड़ने जा रहे हैं उनके लिये हम गेहूं पैदा करें। यह डंडी-मार सरकार है कल ही इसने हमारे साथ डंडी मार ली। पहले कहा कि हम जोत कर विधेयक स्थगित कर रहे हैं और कल हेरफेर कर उसमें आपत्तिकालीन लगाकर, पास करा लिया।

श्री उपाध्यक्ष—लखीसिंह जी, आप विषय पर ही बोलें।

श्री लखीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह इससे ही तो सम्बन्धित है। इसमें तो डंडी मत मारो। उत्पादन तभी बढ़ सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चकबन्दी जारी है जबकि वहां जल्दी से जल्दी सिंचाई विभाग के इंजीनियर, जिलेदार और दूसरे साहबान फौरन बारबन्दी करा दें जिससे किसानों की फसल न सूखे। अव्वल तो आपके इंजीनियर कह देते हैं कि कुलाबों में पानी ही नहीं है। तो जब किसान का पलेवा नहीं होगा, तो हमारे उत्पादन में क्या बढ़ोत्तरी होगी? हमारे यहां चीन हत्यारे ने एक कम्युनिस्ट कीड़ा भेजा जो फसल को ही खा गया। पता नहीं आपके यहां भेजा या नहीं। सिंचाई मन्त्री जी, आप भी इस विधेयक में जुड़े हुये हैं।

साथ ही साथ, जिन किसानों के कुंए छिन गये हैं और जिन पर खाली चक आ गये हैं, सिंचाई का साधन नहीं है, उन्हें तत्काल कुंए बनाने के लिये तकावी दें, नहीं तो इन भाषणों से गेहूं नहीं उपजेगा। जैसे हमको अमरीका और विदेशों से हथियार मंगाने पड़े हैं वैसे ही गेहूं भी कहीं न मंगाना पड़ जाय। यह तो मैं जरूर कह सकता हूं कि एक चीन क्या, चाहे हजार चीन आ जावें, हम कभी परास्त नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि दूसरे प्रान्तों की चकबन्दी की तुलना हमारी सरकार ने इस विधेयक में की है और यह हमको दिखलाया है दर्पण कि दूसरे प्रान्तों की बनिस्बत हम किसान से ज्यादा खर्च लेते हैं और उसे इस संशोधन के बमूजिब कम करेंगे। हरिजन बेचारों के पास छोटी-छोटी कोठरियां हैं, उन पर घर नहीं है, एक चारपाई बिछाने लायक कोठरी है, उसमें उसका परिवार रहता है। आपने इस चकबंदी कानून में क्या रखा है? आबादी छोड़ेंगे, आबादी की जमीन छोड़ी जायगी और उस जमीन में से हरिजनों की नीलाम की जायगी। गांव समाज नीलाम करेगा। श्रीमन्, इन हरिजनों पर तो दया कीजिये। अगर उनके पास रुपया ही होता तो वे पहले ही हम लोगों से जमीन खरीद कर हवेली बनवा लेते। उनके पास रुपया कहां है? मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं, वहां की सरकार ने कैसा अच्छा चकबन्दी का कानून बनाया है। जिन हरिजनों के पास जमीन नहीं है उनको प्राथमिकता दी गयी है और उनकी बस्ती फ्री बसाई गयी है। कोई पैसा नहीं लिया गया। इसके अलावा पक्के मकानों के लिये उनको रुपया भी दिया गया है। हमारे यहां के हरिजन कहते हैं कि देखिये पंजाब में कैसा अच्छा कानून बनाया गया है।

इस सरकार ने इतना भी नहीं देखा कि जो फौज में लड़ने वाले सिपाही हैं उनके सम्बन्धियों के ऊपर तो कर को न लगाते। फिर हम कैसे मान लें कि यह सरकार न्याय करने वाली सरकार है? (व्यवधान) आप तो सरकार के तबलची, मीरासी हैं। अंग्रेज भी मेरी जबान पर ताला नहीं लगा पाया फिर यह सरकार क्या ताला लगा सकती है?

जमीन की कीमत वही जान सकता है। जो उसको जोतता है, जिसकी पुश्त दर पुश्त से खेती का काम होता चला आया है, डंडी मारने वाला जमीन की कीमत कैसे जान सकता है लेकिन वही डंडी मारने वाला हमारी छाती पर ए० सी० ओ० बना दिया गया है। वह जमीन की कीमत तय करता है। वह एक मामूली सा नौकर जमीन की कीमत क्या जाने? वह चकबन्दी को भी नहीं पूछता। चकबन्दी कमेटी नाम के लिये बना दी गयी है। वह तो कहता है आप क्या जानते हैं। हम जानते हैं। जो कीमत वह लगाता है, वही लगती है। कहीं ए० सी० ओ० साहब के पास कोई प्लाट पड़ा हो तो उस जमीन की कीमत को आंकने वाले बड़े-बड़े इंजीनियर होंगे। अगर कोई एम० एल० ए० या कोई आदमी मथुरा या आगरा शहर में मकान बनाने के लिये जमीन ले तो उसे १५—१६ रुपये गज पर भी जमीन नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा दाम पर ही मिलेगी, लेकिन हमारी जमीन की कीमत ए० सी० ओ० साहब आंकते हैं ४ आने, ६ आने, ८ आने, १२ आने और १ रुपये गज। इस तरह से हमारे सारे ग्रामीणों के भाग्य का फैसला वही करते हैं जिनके हाथ में इस सरकार ने जमीन की कीमत लगाने का अधिकार दे रखा है, यह मेरा इस सरकार के ऊपर चार्ज है। जिस दिन किसान जागरुक हो जायगा

उस दिन वह इस सरकार को सींकचों में बन्द करके जवाब मांगेगा कि हमारी जमीन की कीमत दो क्योंकि हमारी जमीन लूटी गयी है। इस चकबन्दी संशोधन विधेयक में कोई तकावी तो मिलेगी नहीं इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी बातों पर गौर करेंगे।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय सदन इसे शीघ्र से शीघ्र पारित करने की कृपा करेगा।

मैं बहुत देर से इस आदरणीय सदन में माननीय लखीसिंह जी के भाषण को बहुत गौर से सुन रहा था। तीन साल के बाद मुझे ऐसा भाषण सुनने को मिला क्योंकि इसी तरह का भाषण हमारे ताऊ पुजारी जी से सुनने को मिलता था जो मथुरा के रहने वाले थे। मुझे यह सुनकर और भी प्रसन्नता हुई कि आप भी मथुरा के ही निवासी हैं। मैंने बार-बार उनसे निवेदन किया कि वे तो मुझे बच्चे के समान समझकर कभी-कभी ढ़ोला सुनाया करते थे, आप भी चीन के बारे में आज कोई रसिया सुना दें, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया। मैं आशा करता हूं कि दोबारा चीन के मसले पर वे सब को रसिया सुनाने की कृपा करेंगे। जब से हमारी सरकार ने इस प्रदेश में चकबन्दी चालू की तब से किसानों को बहुत सी सुविधायें प्राप्त हुईं। सभी दल के सदस्यों ने और किसानों ने मांग की थी कि हमारे प्रदेश में चकबन्दी हो और कुछ इस प्रकार के बिल हमारे यहां से पारित हुये और चकबन्दी आरम्भ की गई। यह माना कि उस में कुछ खामियां थीं किसी भी काम में पहले कुछ खामियां होती हैं क्योंकि हर चीज में कोई न कोई कमी रह ही जाती है। इसमें भी जैसे-जैसे खामियां मालूम होती रहीं उनके लिये इस सदन में संशोधन विधेयक आये और पारित किये गये। आज कई साल के बाद इस ऐक्ट में जो खामियां नजर आयीं उन को दूर करने की यह कोशिश की गई है।

मैंने माननीय मथुरा के सदस्य लखीसिंह जी का भाषण सुना वह कभी कुंओं की बात कहते हैं, कभी हरिजनों की बात कहते हैं, कभी पक्के मकानों की बात कहते हैं और कभी चीन की बात कहते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की बात कहने की उन की हिम्मत नहीं है और वह साहस नहीं कर सकते कि उनको कुछ कहें। माननीय लखीसिंह जी ने हरिजनों की बात कही लेकिन सन् १९५२ से आजतक हरिजनों की समस्या को सभी पार्टियों के सदस्यों ने सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया है और आशा है कि इस गन्दगी को और इस जहर को दूर करने के लिये वह सब आगे भी कटिबद्ध होंगे और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं लखीसिंह जी को बताना चाहता हूं कि वह शायद इसी बार सदस्य की हैसियत से आये हैं उनको मालूम नहीं है कि उन को जमीनें दी गई हैं, मकान बनाये गये हैं, मथुरा में लाखों रुपया लगाया गया है, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें हरिजन विभाग के द्वारा सरकार की तरफ से कोई काम न हुआ हो।

श्री लखीसिंह---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर लाखों की तादाद में हरिजनों के मकान मथुरा में बने हों तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, समय कीमती है, चकबन्दी ऐक्ट में सरकार संशोधन लाई है और जो बिल की मन्शा है उसको उन्होंने समझा भी है? इस तरह से समय का दुरुपयोग हो रहा है। हरीसिंह जी केवल यही बता दें कि इस बिल में क्या संशोधन लाये गये हैं, क्या मन्शा इसकी है, वह इतना ही बता दें?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---श्रीमन्, बिना बिल को पढ़े समझे जो वह बोल रहे हैं इससे सदन का समय नष्ट होता है, इसलिये सदन की व्यवस्था ठीक की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीसिंह---मैं चाहता था कि शांतिपूर्वक मैं अपने विचार व्यक्त करूं लेकिन मुझे अफसोस है कि इधर के लोग बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने साढ़े ११ बजे से अभी तक बे-सिर पैर के भाषण यहां दिये, वह बराबर हंस रहे हैं और टोक रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं क्या किसी सदस्य के भाषण के संबंध में यह कहना संसदीय है कि बे-सिर पैर की बातें कही जाती हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, क्या हम लोग किसी चौराहे पर बात कर रहे हैं ?

श्री हरीसिंह---मैंने वापस ले लिया।

श्री दीपनारायणसिंह---क्या माननीय हरीसिंह जी सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं ?

श्री हरीसिंह---माननीय लखीसिंह ने जो हरिजन समस्या के बारे में कहा था उनका जवाब दिया था और जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका जवाब भी सुनिये। जब कभी इस किस्म की बात होती है तो हरिजनों का बहाना लेकर कोई न कोई पुछल्ला छोड़ दिया जाता है जिससे माननीय सदस्यों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है और जनता में प्रचार होता है वाकई में सरकार हरिजनों के लिये कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने चकबन्दी विधेयक में यह रखा था कि हर एक गांव के चारों ओर बसावत के लिये कुछ जमीन छोड़ते थे और जिसको बसावत के लिये चाहिये, चाहे हरिजन हो या न हो, जो की मत पंचायत तय कर दे वह दाम देकर जमीन ले ले। असल बात लखीसिंह जी ने कही नहीं कि हरिजनों को इस विभाग में १८ फीसदी के हिसाब से जगह मिलनी चाहिये थी। अगर ऐसा होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी जो भीख मांगने का काम आज सिखाते हैं कि उन्हें मुफ्त जमीन दीजिये .....

श्री राधेश्याम शर्मा---हर बात का कोई जवाब दिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---लखीसिंह जी ने जैसे इधर उधर की बातें कहीं वैसे ही ५ मिनट उनको कह लेने दीजिये।

श्री हरीसिंह---यदि हरिजन इस विभाग में होते तो यह दिक्कतें न होतीं। लेकिन दुर्भाग्य से उनको नहीं रखा जाता है और उनका बहाना लेकर सरकार को उलाहना दिया जाता है। हरिजन समस्या का चकबंदी से कोई संबंध नहीं है।

सरकार को ऐसा आदेश अवश्य देना चाहिये था कि १८ फीसदी रिजरवेशन हरिजनों को अवश्य दिया जाय और जो जमीनें उनकी बसावत के लिये नहीं है, हालांकि उसमें है, लेकिन फिर आदेश कर दिया जाय उनको बसाने के लिये कीमत पर दे दी जाय, हम फ्री नहीं चाहते, ताकि उस जमीन पर अपना मकान बना सकें। जहां तक कुंओं का सवाल है उसमें कोई जगह ऐसी नहीं है कि किसी के कुंआ को छोड़ दिया जाय। मैं सोशलिस्ट सदस्यों से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि वे हरिजनों का बहाना न लें। जितना दलन सोशलिस्ट पार्टी ने प्रदेश में हरिजनों का किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे इस तरह से हरिजन समस्या पर बात न करें और माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसको शीघ्रातिशीघ्र पारित करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। इसके पूर्व कि मैं इस संबध में कुछ कहूं मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारा देश संकट की स्थिति में है। इस संकट की स्थिति में अभी हमारे देश को लड़ाई के दौर से गुजरना

पड़ा और यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भी लड़ाई के दौर से न गुजरना पड़े। इसलिये हमारे सामने मुख्य सवाल यह है कि अपने देश की सुरक्षा के लिये हर क्षेत्र में साधनों को जुटाना।

कृषि क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होना चाहिये कि खाद्यान्नों की समस्या हमारे देश में इस संकट के दौर में बिगड़ने न पाये। लड़ाई जब छिड़ती है और देश की सेनायें लड़ाई के मोर्चे पर जाती हैं तब खाद्यान्नों की आवश्यकता कुछ अधिक बढ़ जाती है क्योंकि लड़ाई के मैदान में फौजों के लिये जो गल्ला भेजा जाता है उसमें बहुत सा बरबाद भी जाता है। दुश्मन भी कभी-कभी कब्जा कर लेता है और काफी मात्रा में गल्ला रिजर्व में रक्खा जाता है इसलिये खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। इसलिये देश तथा प्रदेश के सामने मुख्य सवाल यह है कि किसी तरह से हम अपने खाद्यान्नों की स्थिति को बिगड़ने न दें।

चकबन्दी का जहां तक सवाल है मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है और अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुभव होगा कि चकबन्दी से खाद्यान्नों की पैदावार में कमी आती है। जिस क्षेत्र में चकबन्दी शुरू होने वाली होती है वहां का किसान एक अजीब परिस्थिति में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं कि चकन्बन्दी आयेगी तो क्या होगा। किसान को अपने खेत से बहुत मोहब्बत होती है, चाहे वह खराब हो या अच्छा हो। वह किसी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है और उसी में ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करने की कोशिश करता है। उसके लिये हर साधन जुटाता है। लेकिन चकबन्दी के आने पर उसकी क्रियायें शिथिल हो जाती हैं क्योंकि उससे अविश्वास पैदा होता है पता नहीं यह खेत उसके पास रहे या न रहे नतीजा यह होता है कि वह खेत की तरक्की करना बन्द कर देता है। खाद देना बन्द कर देता है। सामान्यतया एक क्षेत्र में तीन चार साल तक चकबन्दी की क्रिया रहती है। वह उस दौर में खेत में खाद नहीं डालता है। मेड़बन्दी नहीं करता और सिंचाई संबंधी समुन्नतियां बन्द कर देता है। वह सोचता है कि खाद डाल कर अगर वह उसे उर्वरक बनाता है और अच्छा बनाता है और फिर बाद में वह खेत दूसरे के हाथ में चला जाय तो उसको कोई लाभ नहीं होगा और उसकी मेहनत बेकार हो जावेगी। उसका नतीजा यह होता है कि जिस इलाके में चकबन्दी होती है वहां तीन चार साल के लिये पैदावार गिर जाती है और यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इस आधार पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे देश में संकट की स्थिति है, मैं इस योजना को बिल्कुल खत्म करने के लिये नहीं कहता, इसको स्थगित कर दिया जाय। मेरे इस सुझाव को केवल विरोध की दृष्टि से न लिया जाय बल्कि इस पर गंभीरता पूर्वक ठंढ़े दिल से सोचा जाय। प्रदेश में एकोनामी कमेटी बनी है, वहां जिस रोशनी में मैंने अपनी बातें कही हैं उस रोशनी में इस पर विचार किया जाय और मेरा यह निश्चित मत है कि चकबन्दी योजना को इस आपत्तिकाल में स्थगित हो जाना चाहिये।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें कुछ प्रोसीजरल इम्प्रूवमेन्ट किये गये हैं और वह स्वागत के योग्य हैं। लेकिन साथ ही इसमें कुछ ऐसी खराबियां भी आ गयी हैं जिनका किसी सूरत में भी स्वागत नहीं किया जा सकता। इम्प्रूवमेन्ट इसमें यह किया गया है कि जो काम कई स्टेजेज में हुआ करता था, नक्शे देने का और उज्रदारियां वगैरह का, उस सब को अब एक स्टेज में कर दिया गया है। इससे काम में कुछ कमी आयेगी, समय और मुकदमेंबाजी की भी बचत होगी। यह कदम स्वागत के काबिल है। लेकिन कुछ ऐसी इसमें खामियां आ गयी हैं कि उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और मैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो इसमें ऐसी व्यावहारिक त्रुटियां हैं जिनका भी समाधान होना चाहिये था लेकिन नहीं हुआ है। एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि चकबन्दी की योजना काफी बदनाम हो चुकी है और जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इसमें बहुत बुरी तरह से घर कर गये हैं। जब तक चौधरी चरणसिंह जी रेवेन्यू

[श्री भीखालाल]

डिपार्टमेन्ट के इन्चार्ज रहे उन्होंने बड़ी सख्ती की कि किसी तरह से भ्रष्टाचार कम किया जाय लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके और अब भी लाख कोशिश करने के बाद भी भ्रष्टाचार इसमें दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस विभाग के जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं वे इतनी मनमानी करते हैं कि आज किसान के दिल में यह धारणा बन गयी है कि चकबन्दी के मामले में कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है।

मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूं कि मेरे क्षेत्र उन्नाव जिले में तहसील हसनगंज में एक सी० ओ० सर्किल है रसूलाबाद। उसमें एक पनापुर गांव है। वहां पर चकबन्दी अधिकारियों ने बड़ी धांधली की। किसानों ने बहुत दरख्वास्तें दीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझको भी दरख्वास्त दी। मैंने वह दरख्वास्त माल मंत्री और चकबन्दी डाइरेक्टर के पास भेजी और उनसे जांच के लिये निवेदन किया। नतीजा यह हुआ कि डिप्टी डायरेक्टर महोदय मौके पर आये और मुझसे भी चलने को कहा। मैं भी गया। किसानों ने जो ज्यादतियां अपनी दरख्वास्तों में दिखायी थीं डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने मौके पर उनको सही पाया और दो, एक रिश्वत की दरख्वास्तें भी सही पायीं और एक लेखपाल बर्खास्त हुआ। उन्होंने ए० सी० ओ० से कहा कि दो दिन इस गांव में रहकर जो जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करें और हमको रिपोर्ट दें। इसको पांच महीने का अरसा हो गया लेकिन वह ए० सी० ओ० आज तक गांव में तशरीफ नहीं ले गये। इसके बाद मैंने पर्सनल लेटर डिप्टी डायरेक्टर को लिखा और गांव वालों ने भी दरख्वास्त दी कि ए० सी० ओ० साहब कहते हैं कि मैं ठीक नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्टर साहब ही करेंगे या भीखालाल जी करेंगे। यह कर्मचारियों का एटीच्यूड कर्मचारियों का किसानों के दिल में और धारणा पैदा करता है कि चकबन्दी के खिलाफ अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाय ताकि जो लूट के साधन बने हुए हैं उनको रोका जा सके और कर्मचारियों की मनमानी व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने की मनोवृत्ति को रोका जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के जरिये जो मौलिक परिवर्तन किया गया है वह यह है कि अभी तक किसानों को सी० ओ० के फैसले के खिलाफ दो अपीलें करने का मौका मिला करता था लेकिन इस विधेयक के जरिये से एक अपील खत्म कर दी गई है और अब उसको केवल एक ही अपील करने का मौका रह गया है इसके संबंध में माननीय त्रिपाठी जी ने जो बातें कही हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और उन बातों को सदन में दुहरा कर सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि इस चकबन्दी विभाग में एक धारणा बनी हुई है कि काम जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय और यह धारणा नीचे से ऊपर तक यानी सी० ओ० और एस० सी० ओ० की अदालतों तक में भी बनी हुई है। यह धारणा असर डालती है कि काम जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय। काम जल्दी खत्म करने के उद्देश्य से जो काम में गड़बड़ी होती है उसका भार किसानों को उठाना पड़ता है। लेकिन इस विधेयक के द्वारा यदि किसानों को सी० ओ० के फैसले के बाद एक अपील खत्म कर देंगे तो उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हो जायगा। श्रीमन्, इसके अलावा काम को जल्दी से जल्दी करने की और प्रक्रियायें हैं जिनसे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली मर्तबा भी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया था कि इस विभाग में काम करने का एक स्टैन्डर्ड मुकर्रर किया गया है कि एक अहलकार को या एक लेखपाल को या एक कंसोलिडेटर को दिन भर में इतना काम करना जरूरी है। फर्ज कीजिये कि पैमाइश करने का काम है।

इसका विभाग की ओर से एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया है कि एक कंसोलिडेटर को दिन भर में इतनी पैमाइश जरूर पूरी कर लेनी है। यह उच्चतम दक्षता के आधार पर निर्धारित की गई है। मैं नहीं कहता कि वह पूरी नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती होती तो आधार ही नहीं बनता। लेकिन ऐसा आधार बनाया गया है जो कि औसत दर्जे का कार्यकर्ता उसको पूरा नहीं कर सकता है।

नतीजा यह होता है कि जल्दी-जल्दी पैमाइश करते हैं और आधे नम्बरों को छोड़ देते हैं और जो कुछ कागज में लिखा होता है उसको डिटो कर देते हैं नतीजा यह होता है कि पोस्ट कंसालिडेशन प्राबलम्स, चकबन्दी खत्म होनेपर, खड़ी हो जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी एक प्राबलम यह आती है कि किसी किसान को पांच बीघे का चक दिया गया है, कागज में लेकिन मौके पर साढ़े चार बीघे ही निकलता है। वह इसलिये होता है कि उसमें एक ऐसा नम्बर शामिल कर दिया गया है जो मौके पर वह केवल १० बिस्वा है, लेकिन कागज पर एक बीघा लिखा हुआ है और वह डिफेक्ट नहीं निकला। चकबन्दी के अहलकार जानते हैं कि यह कमी है। किसान दरख्वास्त देता है, लेकिन वह इस डर से कि उसको नापने के लिये पूरे गांव की पैमायश करनी पड़ेगी, उसको नहीं नापते जिन गांवों में चकबन्दी खत्म हुई है वहां पर आमतौर से यह समस्या है और शुरूआत होती है वहां से जब चकबन्दी का पहला कदम उठाते हैं और खेतों की पैमायश करते हैं अगर पैमायश ठीक हो जाय तो आखिर में कभी गलती नहीं हो सकती वह गलती इसलिये होती है क्योंकि एक कंसालिडेटर या लेखपाल पर काम का इतना भार है कि उसको दिन भर की कारगुजारी दिखानी पड़ती है अगर वह ठीक काम करता है तो उतनी कारगुजारी नहीं दिखा पाता है। इसलिये वह काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है इस तरह से जल्दी में काम न किये जायं इसी तरह से मुकदमों को जल्दी खत्म करने के नाम पर अपीलेट अदालत को न तोड़ दिया जाय ताकि किसानों को भारी कीमत न देनी पड़े मैं चाहता हूं कि अपीलेट अदालत रहनी चाहिये ताकि उसके मुकदमे की अपील की सुनवाई किसी स्तर पर हो सके।

इसके अलावा एक बात और कहनी है। अब तक जो चकबन्दी का कानून है उसमें रिवीजन का भी प्राविजन है डाइरेक्टर के यहां रिवीजन में भी किसान जा सकता है। अभी तक जो कानून था उसमें यह था कि डाइरेक्टर रिवीजन में दोनों फरीकों की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला देगा। लेकिन रिवीजन में अगर नीचे की अदालत ने कोई कानूनी गलती की है, तो उसी को देख कर वह अपना फैसला दे सकता है इसमें किसान का कोई फायदा नहीं होता है। ९५ फीसदी रिवीजन खारिज हो जाते हैं अगर कोई किसान हाईकोर्ट में रिट में जाना चाहता है तो वह तब तक रिट में नहीं जा सकता जबतक रिवीजन में न चला जाय। किसान यह पूरी तौर से जानता है कि रिवीजन से उसका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन इस बीच की सीढ़ी को पार करने के लिये उसे रिवीजन में जाना पड़ता है और रिवीजन में उसको दो, तीन, चार, सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब जो संशोधन आया है उसमें और खराबी पैदा कर दी गयी है। अभी तक डिप्टी डाइरेक्टर के यहां जो रिवीजन होता है वह दोनों फरीकों की सुनवाई करने के बाद फैसला देते हैं अब सुनवाई का मौका भी उड़ा दिया गया है। अब और भी मुश्किल हो गयी है। ऐसी सूरत में ९५ के बजाय सेंट परसेंट रिवीजन खारिज होंगे। इसलिये मेरा निश्चित सुझाव है कि अगर सरकार यह नहीं स्वीकार करती कि किसान को दो अपीलों का मौका दें तो रिवीजन की अथारिटी डिप्टी डाइरेक्टर को भले ही दे-दें लेकिन उसको इतना अधिकार रहना चाहिये लीगल प्वाइंट्स और मेरिट्स दोनों पर जाकर फैसला करे तब तो कुछ फायदा हो सकता है वरना रिवीजन से कोई फायदा नहीं है। इसलिये धारा ४८ में संशोधन करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अगर सरकार का वह संशोधन है तो मैं स्वागत करता हूं। मैं तो उसको बल दे रहा हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अगर संशोधन मान लिया जाय तो आपत्ति दूर हो जायगी ?

श्री भीखालाल---बिल्कुल दूर हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ और छोटी-मोटी खामियां इसमें हैं। मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव का समर्थन इसीलिये किया है इन तमाम बातों पर प्रवर समिति में बैठकर विचार किया जा सके और त्रुटियों को दूर किया जा सके।

एक बात की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब तक जो चकबन्दी विधेयक है उसमें धारा २२ है। उसमें यह प्राविजन है कि अगर कोई किसान किसी स्टेज पर जब कि उसे उज्रदारी करनी चाहिये नहीं कर पाता है, किसी वजह से तो जब उसको मालूम होता है कि कोई गलती कायम रहती है जिससे उसको नुकसान होगा तो वह अदालत के पास पहुंच सकता है और अदालत को संतोष दिलाने के बाद कि इस वजह से उज्रदारी नहीं की धारा २२ के अन्दर वह उज्रदारी कर सकता है और वह अगर उसके कारणों से सन्तुष्ट हो जाय तो उज्रदारी लेकर उसी तरह से विचार करेगा मानो वह उचित धारा के अन्दर ही दी गई हो इस विधेयक के जरिये वह धारा मान्यवर, खत्म की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह काश्तकारों के साथ में बड़ा भारी अन्याय होगा। चकबन्दी की कार्यवाही जिस तरह से चलती है जिन माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत अनुभव होगा वह जानते होंगे कि चकबन्दी के अहलकार किस तरह से किसानों को अंधेरे में रखकर काम करते हैं। बाज समय नोटिसें जो उनको दी जाती हैं वह पता कहां गायब हो जाती हैं किसानों तक पहुंचती ही नहीं बाज समय ऐसे टाइम पर उनके पास पहुंचती हैं कि जब उनकी उज्रदारी का समय निकल जाता है। अभी तक यह एक धारा थी कि जिसमें अगर ऐसी ज्यादती या गड़बड़ी कर्मचारियों के जरिये हो जाती है तो उस धारा के अन्दर वह किसान पनाह पा जाता था। अब अगर यह धारा खत्म कर दी जायगी तो किसानों के लिये कहीं पर कोई रास्ता नहीं रहेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस पर सोचें, इस धारा का बना रहना नितान्त आवश्यक है और इसके हटा देने से कोई लाभ भी नहीं होगा कोई समय की बचत भी नहीं होगी। इसलिये इस धारा को रहना चाहिये।

एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय चकबन्दी के दौर में सिद्धांतों का नक्शा बनता है उस समय गांव की आबादी के लिये गांव के रास्तों के लिये गांव के स्कूल के लिये या पार्क वगैरह के लिये जमीन एलाट की जाती है और उस नक्शे में दिखाया जाता है। इसके अलावा सिंचाई के साधन और सड़कों वगैरह को भी दिखाया जाता है। यह सब उस वक्त निश्चित होता है। मान्यवर, अनुभव से यह देखा गया है कि इन सिद्धांतों के निश्चय करने में काफी गड़बड़ियां होती हैं। कहीं पर स्कूल के लिये जगह नहीं छोड़ी गई, या अगर कहीं छोड़ी गई तो ऐसे स्थान पर छोड़ी गई कि जहां स्कूल बनने से गांव वालों को असुविधा होगी। सिंचाई के साधनों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चकबन्दी के दौर में नहर की सिंचाई की जो गूलें हैं वह सब खत्म कर दी जाती हैं। वह गूलें चकों में शामिल कर दी जाती हैं क्योंकि चकबन्दी अहलकारों के सामने तो एक उद्देश्य होता है कि चक चौकोर बनाये जायं। गूलें बीच में दिखाने से चक दो भागों में बट जाता है लिहाजा वह गूलों को खत्म कर देते हैं और किसी दूसरी जगह बना देते हैं। गूलों को निकालना और बनाना यह सिंचाई विभाग का काम है सिंचाई मन्त्री जी मौजूद हैं यह खुशी की बात है और वह कृपा कर ध्यान से मेरी बात सुन लें।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी हम एक लेजिस्लेशन आपके सामने लाने वाले हैं।

श्री भीखालाल---मैं जो कह रहा हूं उससे शायद आपको उसके बनाने में कुछ मदद मिले। तो चकबन्दी विभाग गूलों को खत्म करता है अपने दृष्टिकोण से और सिंचाई विभाग गूलें बनाता है अपने दृष्टिकोण से जमीन का लेवेल देखकर के। इसी तरह रास्तों और स्कूलों वगैरह का जहां तक सम्बन्ध है चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को रास्ते और स्कूलों से तो कोई दिलचस्पी होती नहीं है किसी तरह से बना दिया, कहीं रख दिया। इसलिये मेरा यह डेफिनिट सुझाव है कि जिस समय चकबन्दी के दौर में सिद्धांतों का नक्शा तैयार हो उस समय सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी मौजूद रहे उसका मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया जाय, प्लानिंग विभाग के

एक कर्मचारी का मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया जाय क्योंकि हर ब्लाक के स्तर पर हर गांव की योजनाओं के लिये उनके पास सब नक्शे हैं। ब्लाक में हर गांव के लिये योजनायें हैं कि स्कूल, सड़क, पार्क वगैरह इस तरह से बनेंगे। वह अच्छी तरह से यह सब बातें बता सकेंगे। इसलिये प्लानिंग डिपार्टमेंट का ब्लाक का एक प्रतिनिधि चाहे वह ग्रामसेवक ही क्यों न हो, वहां मौजूद रहे ताकि वह अपने सुझाव दे सके इन सार्वजनिक उपयोगों की जगहों के लिये और सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी चाहे वह पतरौल ही क्यों न हो, वहां मौजूद रहे ताकि वह नहर की गूलों के लिये सुझाव दे सके। मुझे खुशी हुई इस बात को सुनकर कि कोई कानून इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मन्त्री जी पेश करने वाले हैं। अगर वह जल्दी आ जाय तो किसानों की दिक्कतें दूर हो जायेंगी। वर्ना परेशानी यह है कि मेरे क्षेत्र में चकबन्दी चल रही है और उन जगहों पर जहां इस रबी की बोआई के पहले किसानों को कब्जा ट्रान्सफर कर दिया गया है। रबी बोई गई है। नहर की नालियां पहले खत्म हो गई हैं। चकबन्दी में पड़ने की वजह से नालियां समाप्त हो गई हैं। सिंचाई बन्द है। तो फिर क्या किया जाय। मैंने चकबन्दी के डिप्टी डाइरेक्टर से बात की। उनका कहना है कि हम उनको चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं कि तुम मौके पर आ जाओ लेकिन वह नहीं आते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका उचित प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये। जब खंडों पर इसमें विवाद होगा तो मैं अपने कुछ संशोधन दिये हैं। तब मैं कुछ कहूंगा। मैं चाहता हूं इस विधेयक में इसका प्राविधान रहे ताकि उनके लिये अनिवार्य हो जाय कि जिस समय चकबन्दी का नक्शा तैयार हो वे मौजूद रहें। चकबन्दी अधिकारी गांव में नक्शा भेज देते हैं लेकिन फिर भी लोग आते नहीं हैं। यह सब बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो सुझाव और विचार मैंने दिये हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और इसको प्रवर समिति में जरूर भेजा जाय क्योंकि यह विधेयक ऐसा नहीं है जिससे वार इमर्जेन्सी में सहायता मिलती हो या कोई पैसा मिलता हो। इस पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसमें आप मौलिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे साधारण परिवर्तन नहीं हैं। इसलिये गहरा विचार होना चाहिये और एक-एक धारा पर विचार होकर इसकी कमियों को दूर किया जाय जिससे इस कानून को किसानों के हित का बनाया जा सके। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर जो विवाद चल रहा है उस पर हमारे कई साथी बोले हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार और रिश्वत-खोरी की बात कही कि चकबन्दी विभाग में बहुत भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला हूं कि जिसमें चकबन्दी विभाग की सफाई दूं और यह कहूं कि वहां पर भ्रष्टाचार का इमकान नहीं है। हमेशा जन-भावना जो पैदा होती है वह वहां भी है और चकबन्दी में ही नहीं बल्कि सब जगह है लेकिन हमारे यहां चकबन्दी हो रही है उसके आधार पर मैं जो कुछ देख सका हूं और समझ सका हूं उस सम्बन्ध में आपके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह जो भ्रष्टाचार और रिश्वत-खोरी की शिकायत होती है, मेरा ख्याल है कि इस लिये होती है कि सरकार से कुछ आदेश ऐसे जाते हैं चकबन्दी अफसरों को कि उनसे टारगेट मांगा जाता है कि बहुत जल्द काम का प्रतिशत भेजिये कि कितने मुकदमें तय किये गये। इस कारण उनको एक दिन में ५० और १०० मुकदमें फैसल करने हो जाते हैं। उनको खारिज कर दिया जाता है। इस तरह से खारिज किये जाते हैं कि किसान फिर तबाह होता है, फिर दौड़ता है और हलफ-नामा दाखिल करता है। फिर मुकदमा करता है। इसलिये यह कहना पड़ता है कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है और बड़ी रिश्वतखोरी है। मेरा ख्याल है कि मेरे क्षेत्र में जो मैंने देखा कि जितना कार्य इस विभाग के कर्मचारी करते हैं शायद ही सरकारी विभाग, कोई ऐसा होगा जहां पर कर्मचारी इतनी मेहनत से काम करते हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वालाप्रसाद]

जैसा कि अभी कहा गया कि रात-दिन काम करते हैं और आधी रात तक काम होता रहता है। यहां से जब आदेश जाता है कि इतनी जल्दी करो तो उस वजह से किसानों का बहुत अहित हो जाता है, इतना मैं मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो रिश्वत-खोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हों। मेरा ख्याल यह है कि कई सी० ओ० और ए० सी० ओ० ऐसे हैं कि उनका निर्णय किसी पार्टी के विरुद्ध हुआ तो उनको रोते हुये देखा गया है कि उनको मजबूरी थी और उनका कितना अच्छा मामला था फिर भी वह खिलाफ हो गया। इतना मैं मानता हूं कि वे लोग निष्ठावान हैं लेकिन फिर भी उनके सामने संकट आ जाता है। तो जहां तक निष्ठा और सच्चाई की बात है, अधिकांश सरकारी कर्मचारी निष्ठा और सच्चाई से काम करते हैं।

हमारे साथी मुरलीधर जी ने कहा कि गांव पंचायत में जो कमेटी बनती है उससे ऊंचे स्तर की कोई कमटी नहीं होती और सभापति को यह अधिकार कभी-कभी नहीं होता कि वह मुकदमों की पैरवी कर सके। मैं समझता हूं कि बरई गरऊ की पंचायत का मामला ऐसा है कि जिसमें चुनाव इस बार नहीं हुए और जो पुराने सभापति थे वही इस बार भी सभापति बन गये। कुछ मेम्बर साहबान उनके खिलाफ थे तो गांव समाज का बनना उनके पक्ष में नहीं था। इसके अलावा सभापति महोदय वहां रहते भी नहीं। वह वकील हैं और अब वहां की हालत यह है कि १९५९–६० में जाने कितनी अनियमितताओं की दरख्वास्तें अधिकारियों को दी गयीं और उनकी जांच तहसीलदार और एस० ओ० सी० साहब ने की, लेकिन उन्होंने राय अच्छी ही दी। अब नाव पता नहीं कहा अटक गयी है कि काम आगे नहीं बढ़ता और सभापति जी अपने स्थान पर बहाल ह। वहां ६, ७ साल से आडिट भी नहीं हुआ। यह भी नहीं पता चलता कि किस मद में कितनी आमदनी हुई और किस मद में कितना खर्च हुआ। अगर वे कोशिश कर के आडिट भी करवा दें तो बड़ी कृपा हो। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि वहां भी चकबन्दी जल्दी करा दी जाय। जो अफसरान हैं उन्होंने बतलाया कि सरकारी आदेश है इसलिये जल्दी कर रहे हैं, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो खर्च प्रति एकड़ आप लेते हैं चाहे उसे बढ़ा दें, लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका होना चाहिये। अगर आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर न दिया और यह भी कह दिया कि आगे अपील नहीं होनी चाहिये तो जो होशियार किस्म के आदमी हैं वे फायदा उठा लेंगे और गरीब आदमी अपने अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। कुछ साथियों ने यह भी कहा कि चकबन्दी कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि वह एक बिल्कुल नामिनल कमेटी है और अगर कहा जाय कि उसका कोई वजूद नहीं है तो बेजा न होगा। अगर सभापति के जिम्मे काम छोड़ दिया जाय तो भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार और किस्म की गड़बड़ भी हो जाती है। मेरे गांव में गांव समाज के दरख्त थे, उनको एक आदमी के बाग में दिखा दिया गया। जब उसकी जानकारी हुई तो उसके लिये दरख्वास्त दी गयी और अब उसका मुकदमा चल रहा है। मैं समझता हूं कि हमें चकबन्दी के सारे काम की जिम्मेदारी अधिकारियों को देनी होगी तभी काम ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर अपील का हक मारा गया तो किसान का अहित होगा। इसके अलावा गांवों में इससे नालियां मिस्मार हो जाती हैं। यह खुशी की बात है कि उसके लिये माननीय मन्त्री जी कुछ सोच रहे हैं।

कुछ साथियों ने कहा कि चकबन्दी रोक दी जाय। मैं यह नहीं चाहता। यह ठीक है कि सरकार के सामने संकट आया है और अगर कोई खास बात हो तो ठीक भी है, वरना मेरा ख्याल है कि जो चकबन्दी हो रही है वह किसान के भाग्य में एक सुनहला वक्त लाने वाली है। उसमें कोई खराबी नहीं है। उसको हम यह कह दें कि चकबन्दी न की जाय तो यह ठीक न होगा। भगवान् न करे कि वह वक्त आये कि चकबन्दी न लाने का समय रहे। परन्तु इस समय तो वह वक्त है। मैं चकबन्दी के पक्ष में हूं, यह अवश्य कहूंगा कि उसमें सुधार होना चाहिये। मैं तो यही कहूंगा कि यदि किसानों को इसमें अपील का मौका न मिला तो वह बेचारा बहुत रगड़ जायगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कोई काम आप जल्दबाजी में न करें और किसान के अधिकार को जल्दबाजी में एकदम रौंद न दिया जाय। मेरा खयाल है कि इसमें किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा। इसलिये आपको मौका देना चाहिये कि किसान अपील कर सके। आप यह कोशिश

न करें कि ३ साल का काम २ ही साल में हो जाय, इसलिये जो भी काम आप करें या कदम उठावें वह सोच समझ कर ही होना चाहिये। इसमें अधिकारियों को ठीक ढंग से पैमाइश करने का और फैसला करने का मौका आपको देना चाहिये। यदि जल्दी-जल्दी करेंगे तो ठीक से नाप नहीं हो पायेगी और इस तरह से झंझट बढ़ सकता है। यदि किसान ३ बीघे कहता है और मौके पर उसको २ ही बीघे मिल पा रहा है तो इस तरह से गड़बड़ी पैदा होगी। शीघ्रता में किसान का नुकसान होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार बहुत जल्दबाजी न करे। इसमें किसान का बहुत आर्थिक नुकसान होगा। इसलिये किसान को अपील करने की गुंजायश होनी चाहिये। तभी चकबन्दी का काम ठीक ढंग से होगा।

श्री मैनेजरसिंह—श्री कल्पनार्थसिंह जी ने मूव किया था वह पार्टी के मूवर थे।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया विराजें, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सही दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू मन्त्री का काम हमारे कानून मन्त्री जी के सुपुर्द किया जाय तो वे कानूनी दृष्टिकोण की वास्तविकता के पहलू पर देखेंगे तब यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि "जबरा मारे रोने न दे।" जैसा कि माननीय लखीसिंह जी ने कहा था। यहां तो आप किसानों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं तो आपको उनकी राय भी चकबन्दी के बारे में जो है उसे जानना चाहिये। वह यह है कि चकबन्दी ने हमको तबाह कर दिया। मैं यह कहूंगा कि यदि चौधरी चरण सिंह जी ने कोई गलत काम किया तो सिर्फ यही किया और कोई नहीं।

आप देखें कि जमीन जिसके लिये किसान फौजदारी करता है और भाई-भाई को मारता है, क्योंकि वह उसी के सहारे जिन्दा रहना चाहता है, तो उसी जमीन को इधर-उधर करने में और बदलने में बड़ी ही गड़बड़ी होगी। यदि रामप्रसाद की अच्छी जमीन आप मोहन की खराब जमीन से बदलेंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। यह जो आप लाद रहे हैं यह बिल्कुल गलत चीज है। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आजकल जो सिंचाई, पी० डब्ल्यू० डी० सभी विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? इससे रिश्वतखोरी को आप देखें कि उसे चकबन्दी में कितना बढ़ावा मिलेगा और नौकरशाही के पैर मजबूत होंगे। मैं आप से यह फिर कहूंगा कि जितनी रिश्वत खोरी चकबन्दी ने देहातों में फैलाई है शायद आज तक नहीं हुई है और किसी और चीज ने नहीं फैलाई है। अंग्रेज के वक्त में सप्लाई विभाग बदनाम था। अब वह दोनों ही इस चकबन्दी के सामने पीछे रह गये। एक लोध किसान के लड़के ने अपने चक के लिये ३०० रुपये जाकर सी० ओ० को दिये और कहा कि यह लो, अब तो ठीक कर दोगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि इससे ज्यादा भी देने वाले लोग हैं। बड़ी-बड़ी रकमें वहां तो दी जाती हैं। फिर जो आपके सेटिलमेंट आफिसर्स हैं वे कभी जमीन का मुआयना करके अपीलों को नहीं सुनते हैं।

मैं एक किस्सा अपने एक मौजा सैरपुर मजरा दीध, जिला फतेहपुर का बताता हूं। आज से सोलह साल पहले एक ठाकुर ने एक श्रीपाल नाम के लड़के को गोद लिया। उसकी रजिस्ट्री हुई, मैंने सब कागजात देखे हैं। उसके खिलाफ उन ठाकुर साहब के एक फर्जी भांजे बन गये और जमीन हथियाने के लिये केस लड़ने लगे। नीचे तहसील लेविल पर कोशिश करके, मिल मिलाकर वे जीत गये, लेकिन कमिश्नर के यहां से वे हार गये, श्रीपाल जीत गया। श्रीपाल का एक लड़के का हक मान लिया गया। उसके खिलाफ बोर्ड में रिवीजन दायर हुआ और उसमें भी श्रीपाल जीत गया। इसके बाद चकबन्दी आयी। इसमें श्रीपाल के खिलाफ उस फर्जी भांजे ने अपना मामला पेश कर दिया। उस अफसर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, किन्तु वे उसके रिश्तेदार थे। जब उनके यहां केस गया तो उनके खिलाफ ट्रान्सफर की एप्लीकेशन दी गयी। एक दूसरे सी०ओ० आये लेकिन वह भी उनसे मिले हुए थे। जब केस उनके यहां गया तो उन्हें कह दिया कि नकलें आदि दे दो, ठीक हो जायेगा, गवाही की क्या जरूरत है? उसने कागजात आदि दाखिल कर दिये। केस के लिये दूसरी तारीख डाल दी गयी और कहा गया कि हम उस तारीख को फैसला कर देंगे।

[श्री दीपनारायणसिंह]

तुम जाओ, चले जाओ। उसको धोखे में रख कर, श्रीपाल के खिलाफ फैसला कर दिया गया और कोई गवाही तक नहीं ली गयी जिसको कि वह पेश करना चाहता था। यानी बोर्ड तक से श्रीपाल जीत गया था, हर तरह से उसका हक मान लिया गया था, उसकी रजिस्ट्री तक हो गयी थी, रजिस्टर्ड डाकूमेंट्स थे, भांजे का कोई हक भी नहीं होता, लेकिन चूंकि उसका असर था, एस० ओ० सी० तक उसकी पहुंच थी, श्रीपाल के खिलाफ फैसला कर दिया गया। अपील भी खारिज कर दी गयी। सेकिन्ड अपील त्रिपाठी जी के यहां हुई, मगर उसको भी खारिज कर दिया गया और श्रीपालसिंह के ३० बीघे के करीब खेतों की अन्धेरगर्दी से दे दिया गया है।

श्री मैनेजरसिंह—आप किस श्रीपालसिंह के लिये कह रहे हैं, जो यहां बैठे हुए हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह—मैं फतेहपुर जिले के श्रीपाल के बारे में कह रहा हूं। अब तो यह हाल है कि अगर कोई आदमी कहीं और न जीत सके तो वह चकबन्दी के इजलास में जीत सकता है, या तो आप के पास उनको देने के लिये रुपया चाहिये या कोई सिफारिश चाहिये, बस आप जीत जायेंगे। एक और बात है। मुझ वकील को ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिये लेकिन मजबूरी है, अगर किसी का जूता पक्का है तो वह भी जीत जाता है। ये ही तीन हथियार हैं चकबन्दी वालों से जीतने के लिये। लेकिन आपने इसके बारे में क्या किया है ? आप भी तमाम वकील हैं। मुझे भी ४–६ बार वहां जाने का मौका मिला है। वहां बैठता कौन है ? उस इलाके के छटे छटाये लोग बैठते हैं और उनके पीछे ही सारी अदालत चलती है। अगर उनके खिलाफ कुछ कह दिया जाय तो फौरन कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट चल जाय। यहां तो हम उससे बचे हुए हैं। सब नम्बरी आदमी वहां बैठते हैं और उनको योर आनर कह कर पुकारना पड़ता है। यह तो अच्छा है कि माननीय हुकुमसिंह जी यहां हैं अगर यहां न होते तो उनके खेत भी दूसरों के नाम लिख दिये जाते। जो अधिकारी वहां बैठते हैं वे यह भी नहीं बता सकते हैं कि किस जमीन की क्या किस्म है। क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि ऐसा चकबन्दी अधिकारी कौन है जो मौके पर जाकर चकबन्दी करता हो या किसी केस का फैसला करता हो ? महज अदालत में कागजात तैयार कर लिये जाते हैं और चबूतरे पर बैठकर लिख लिया जाता है। बता दिया जाता है कि पर्चियां बांट दी गयीं लेकिन ६–६ महीने, १–१ साल तक किसी को खबर नहीं दी जाती है। अगर कोई बाद में रिवीजन के लिये जाना चाहे तो उसकी म्याद भी निकल जाती है। ४–६ ऐसी दरख्वास्तें मैंने ही भिजवाई हैं। चकबन्दी डायरेक्टर साहब यहां बैठे हैं, क्या उन्होंने गांवों में जाकर देखा है ? क्या आपने देखा है कि किसानों का गला किस प्रकार से घोटा जा रहा है ? उन किसानों से चीन के लिये चन्दा मांगा जाता है, एक नहीं सारे अफसर उनसे चन्दा मांगते हैं। उससे कहा जाता है कि चीन का मुकाबला करने के लिये अधिक अन्न उपजाओ। चकबन्दी अधिकारी को जो चन्दा दे देता है उसको वह जिता देता है, जो नहीं देता वह हार जाता है। उसमें से कुछ चन्दा तो उसकी जेब में चला जाता है और कुछ नेता जी की जेब में चला जाता है। अदालतों में तो यह चीज चलती थी लेकिन यहां एक नयी बात है। उसका कारण यही है कि डंडी चलाने वाले वहां बैठा दिये गये हैं। जिस प्रकार से प्लेग आता है उसी प्रकार से गांव वाले चकबन्दी को प्लेग की संज्ञा देते हैं। मैंने इसीलिये चरणसिंह जी से कहा था कि देहात के लोग रुपया नहीं दे सकेंगे।

माननीय हुकुमसिंह जी जरा थोड़े दिन गांव का दौरा करके देखें तब उनको मालूम होगा कि मैं ठीक कहता हूं या नहीं। पहले ए० सी० ओ० की अपील सी० ओ० के यहां होती थी और सी०ओ० की अपील एस० ओ० सी० को होती थी। अब आप सेकेंड अपील को हटा कर ए० सी० ओ० को ही सारा अधिकार दे रहे हैं। आप डाइरेक्टर तक को सेकेंड अपील की इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर आप घूम फिर कर चक्कर लगा कर वहीं आ गये जो आप की अक्ल का दिवालियापन ही मालूम होता है। पहले तो दो अपीलें होती थीं लेकिन अब तो डिप्टी डाइरेक्टर तक को अपील का हक नहीं है। एस० ओ० सी० भी अब सी० ओ० को डिटो कर देगा। जैसा कि भीखालाल जी ने कहा था, जल्दी का काम शैतान का होता है। आप

अपील की धारायें और दफा २२ को हटा देना चाहते हैं। पहले किसान को धारा २२ में भी एतराज करने का हक था और आपको एक मौका था कि अगर कोई आदमी किसी वजह से गैरहाजिर हो जाय तो बीच में वह अपना दावा कर सकता था लेकिन अब आप इन दोनों मौकों को हटा रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जल्दी में काम होगा और सी० ओ० द्वारा जो काम हो जायगा उसकी आगे कोई सुनवाई ही नहीं होगी। किसानों को जो सेकेंड अपील का मौका था उसे आप मार रहे हैं यानी आप किसानों को अपील का मौका नहीं देना चाहते हैं। प्रजातंत्र की यही तो खूबी है कि हमें कहने सुनने का पूरा हक मिला हुआ है। अगर हम समझते हैं कि हमारे साथ बेईमानी हुई है तो हम दूसरे से इन्साफ की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन इस स्थिति में यह सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्व मंत्री जी और समाज कल्याण मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत सेकेंड अपील का प्राविजन अवश्य किया जाय। जब सिविल के मुकदमे में सेकेंड अपील की गुंजायश है तो चकबन्दी के मामले में सेकेंड अपील को खतम करना उचित नहीं है। सिविल में मुन्सिफ को कब्जा दिलाने का मौका दिया गया है। उसी तरह से इस मामले में भी रेवेन्यू आफिसर, जुडिशियल आफिसर को यह पावर दे देने में क्या हर्ज है? क्या जरूरत है कि ए० सी० ओ० महोदय को मुन्सिफ का अधिकार दिया जाय? क्या चकबन्दी खतम होने के बाद भी ६ महीने तक कब्जा दिलाने के लिये ए० सी० ओ० को कायम रखा जायगा?

श्रीमन्, मेरा गांव लदगवां, जिला फतेहपुर में है। सिंचाई मंत्री जी भी जानते हैं कि मेरे गांव में चकबन्दी हुई और उस गांव में नहर की गूलों को तोड़ कर मिला लिया गया जिसके लिये फौजदारी हुई और दोनों तरफ से मारपीट हुई। जिसने नाली तोड़ी थी उसके घर का ही कोई ओवरसियर था, उसने नक्शा बिगाड़ कर फर्जी नक्शा बना कर दे दिया। फिर उसका नतीजा यह हुआ कि जिसने गूल तोड़ा था और दूसरी पार्टी को मारा भी था वह छूट गया। लेकिन उस गांव की नहर की गूलें जो नकशे में दिखलायी गयी थीं, उनको ठीक नहीं कराया गया। इसका असर पैदावार पर पड़ा या नहीं? यह आप देखें कि अगर नहर की नालियां मिटाई जा चुकी हैं और वह नहीं बनेंगी तो उससे पैदावार का कितना नुकसान होगा और इन सिंचाई के साधनों को लेकर कितनी पैदावार घटी है और फौजदारी बढ़ी। मैं फौजदारी का वकील हूं मेरा कोई नुकसान नहीं है वह तो माल के वकीलों का होगा। आपकी इस चकबन्दी से फौजदारी बढ़ रही है, मारकाट बढ़ेगी, हमारी वकालत बढ़ेगी जरूर, मैं वकील के रूप में आप को दाद दे सकता हूं लेकिन किसान का गला काटने और उसको फौजदारी की खन्दक में ढकेलने के लिये आप यह बिल ला रहे हैं। जो बिल अब तक का था उससे भी खराब रूप अब उसको दिया जा रहा है, 'अन्धे पीसें कुत्ते खायं'। आप इसमें अपील की गुंजायश को भी खत्म कर रहे हैं, लोग अपनी बात अदालतों में न कह सकें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को कह दें कि अपील और रिवीजन सुनते समय देहात में जायं और जिस गांव का मुकदमा हो उसको मौके पर जाकर फैसल करें और अगर कोई ऐसा न करे तो उसे नौकरी से निकाल दें। आज जो न्याय हो रहा है और कागजी घोड़े दौड़ाये जा रहे हैं उससे आप एक पराजय खा चुके हैं और फिर आप खेती के विषय में भी मुंह की खावेंगे। आप कागजी घोड़े न दौड़ायें और सही अमल करें। आप यह दोनों अपीलों का प्राविजन जो नष्ट कर रहे हैं इस कदम को आप वापस लें।

दूसरे आप सेकेंड अपील के प्राविजन को भी खत्म कर रहे हैं यह संशोधन भी गलत है। जिनका रिवीजन होने वाला है उनका रिवीजन होने दीजिये, अपीलें होने दीजिये और उनको मौका दीजिये न्याय पाने का। अव्वल तो आप लड़ाई के जमाने में इस चकबन्दी को खत्म कर दें और अगर नहीं करते तो मेरी प्रार्थना है आप बुजुर्ग हैं अतः अपने अनुभव के अनुसार आप मौके पर अपीलों का फैसला कराने का प्राविजन करें और सेकेंड अपील को न हटावें।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री कृष्णानन्द राय जी बोलें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं।

श्री मैनेजरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आप ने तो अब श्री कृष्णानन्द राय जी को बुला लिया है वह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--- आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इन्टरवीन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी-अभी भाई दीपनारायणसिंह ने बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर की और कहा कि वह मुताद्दिद बार कह रहे हैं वह हमारे खून के हैं और इस वजह से इस खून ने भी गर्मी पकड़ी, ठीक है हमारा खून है। उन्होंने चकबन्दी में करप्शन के मुताल्लिक बड़ी बातें कहीं और सी० ओ० के इजलास के बारे में भी कहा, उसका जाती तजुर्बा हमारे दोस्त को हो सकता है, मुझे कैसे हो अगर मैं भी वकालत करता तो शायद होता लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने का फिर भी मौका न मिलता। लेकिन हमारे दोस्त के दिल में बड़ा भारी खटका है कि एक के कब्जे की जमीन दूसरे के नाम न लिख दी जाय।

[× × × × ×]

इस विधेयक का मतलब इतना है कि चकबन्दी के अखराजात को कम करें, हमारे किसानों पर ज्यादा भार न पड़े। कुछ प्रोसीजरल मामलात हैं उनमें तरमीमात करना चाहते हैं ताकि खर्चा कम हो और कोई पेचीदा बात नहीं है। सब सदस्य समझदार हैं किस ध्येय से विधेयक आया है। उस ध्येय को पूरा करने में सदस्य हमारी मदद करेंगे। जब मुनासिब समझें इस विधेयक को स्वीकार करें। मैं नहीं कहता जल्दी की जाय, हर तरह से सोच विचार कर लिया जाय। लेकिन कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है जिससे इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। विधान परिषद् से यह पास हो कर आया है आप सोच लीजिये। हमारी दिक्कतें हैं हमने एक मौजे में चकबन्दी का काम खत्म कर दिया और रिट दाखिल है। रिट का फ़ैसला जब हो गया जब दफा ५२ का नोटीफिकेशन हो जाता है तो हमको जूरिस्डिक्शन नहीं रहता। तो रिट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। यह कानूनी दिक्कतें थीं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक है और इसमें न करप्शन की बात है और न कोई अन्य बात है जैसा माननीय दीपनारायणसिंह जी सोचते हैं। मेरा भी तजुर्बा है लोग जत्था बना कर आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी शुरू करा दें, समझदार लोग भी काश्तकार हैं वह इसके फायदे को जानते हैं। लेकिन हमारे पास साधन नहीं हैं जिससे एक साथ सारे प्रदेश में इसको लागू कर सकें। लेकिन धीरे-धीरे सारे सूबे में करेंगे। माननीय दीपनारायण सिंह जी बीच में उचक कर चिल्लाते हैं, बकौल आपके आप हमारे खून हैं फिर आप क्यों चिल्लाते हैं। माननीय दीपनारायण सिंह जी नहीं चाहते कि मैं बोलूं, इसलिये मैं नहीं बोलता।

***श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं श्री कल्पनार्थसिंह जी क प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कुछ तर्क देता हूं आशा है सदन मेरी बातों को सुनेगा। १९६२ में जिस प्रयोजन से यह बिल रखा गया है यह एक आदर्शवादी समाज में रखा जाता तो अच्छा होता जिस समाज में आदर्शवादी जीव रहते थे। लेकिन आज के समाज में यह मुनासिब नहीं है क्योंकि आज के समाज में भ्रष्टाचारी, चोर बाजारी, बेईमानी, ठगी, खुलेआम फैले हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने दीपनारायणसिंह जी के लिये कहा आप ने कामन रूम बन्द करके करप्शन किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार कान खोल कर सुन ले, जिस मुल्क की सरकार भ्रष्ट होती है वहां की जनता भी भ्रष्ट होती है, जिस देश की सरकार गद्दार होती है वैसी ही जनता भी होती है, हुकूमत बेईमान होती है वैसी ही जनता भी होती है। जनता, समाज और सरकार का चोली दामन का साथ है। जो समाज है वह आपका आइना है। समाज में बेईमानी आपके द्वारा है क्योंकि आपने ऐसा वातावरण बना दिया है, जनता बेईमान हो चुकी है। जो बिल आया है वह तो अर्थशास्त्र के जानने वाले जानते होंगे एक स्टेज था ऐग्रीकल्चरल स्टेज, उससे पहले

[× × ×] माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिशिंग स्टेज था, ऐग्रीकल्चरल स्टेज में जिसको जमीन मिली, ले ली। सरकार यह भी तर्क रखती है आज तो किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं, हम सब इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जिस समय ऐग्रीकल्चरल स्टेज था उस समय इसको लाना चाहिये था जब कि वास्तव में लोग इतने बेईमान नहीं थे, एक दूसरे पर किसी प्रकार की छींटाकशी नहीं होती थी। लेकिन आज के समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आदर्शवादी बिल ला रहे हैं तो कैसे समझूं यह बिल आज की स्टेज के लिये उपयोगी है।

एक कहावत याद आ गई "अरहर की टट्टी गुजराती ताला।" हमारे गांव में जिसका नाम धुसयारी बाजार है, जिला बस्ती में, एक छोटा मोटा हैंड पाइप लगा दिया पंचायत ने और जब कोई अधिकारी वहां नहीं था उस हैंड पम्प के पुर्जे अलग-अलग करके लोग ले गये और कोई रिपोर्ट नहीं हुई। सरकार दावा करती है कि हम पंचवर्षीय योजना में देहात को प्रौस्पर कर देंगे, उन्नतिशील बना देंगे, लेकिन छोटी-छोटी जितनी आप की मशीनरी है, आप की वजह से लोग इतने गरीब हो गये कि वह क्या करें। थोड़ा सा लोगों को लालच दे दिया जाता है जिसमें लोग बह जाते हैं।

रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का जो काम है वही कांग्रेस की पार्टी आज भारत में कर रही है। कोई फर्क नहीं। कैसे? वैसे तो मैं पढ़ा करता था रूस की नीति। लेकिन १९५६-१९५७ में मुझे केरल जाने का मौका मिला, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को प्रेक्टीकली देखा और दो साल वहां रहा। मैंने देखा, उस समय नम्बूदरीपाद की मिनिस्ट्री थी तो वहां यह देखा कि गांव-गांव में कम्युनिस्ट सी० आई० डी० थे। वह हर आदमी की हरकतें, उनका खाना पीना, रहना सहना देखते थे। वही काम यह कांग्रेस सरकार कर रही है। इसके गुर्गे सब जगह फैल गये हैं और वे हैं बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, बी० एल० डब्ल्यू०, ए० सी० ओ० और कामदार। प्रधानों को और पैदा कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--इस विधेयक के सम्बन्ध में कहिये।

श्री श्यामलाल--रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया की कांग्रेस पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक अन्तर है। केरल में जो सी० आई० डी० कम्युनिस्ट थे वे यह किया करते थे कि कैपिटलिज्म का अबोलीशन हो और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सी० आई० डी० के गुर्गे केपिटलिज्म को बढ़ावा दे कर किसानों का दलन करने की कोशिश करते हैं। यहां चकबन्दी के जरिये और जोतकर विधेयक के जरिये, क्षेत्र समिति विधेयक के जरिये पेजेंटरी क्लास को खत्म करके कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने वाली बात की जाती है।

यह कंसोलिडेशन भी पेजेंटरी क्लास को खत्म करने की योजना है। अंग्रेजों के जमाने में हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते थे लेकिन आज हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। तो इतना तो संविधान से लाभ हुआ है। आज की योजनाओं को देखते हुये बड़ा दुख होता है। अंग्रेज किसी मानी में हमसे अच्छे थे। लार्ड कार्नवालिस पर्मानेन्ट सेटिलमेंट यहां सेटिल कर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक पर बोलें। लार्ड कार्नवालिस का इससे क्या ताल्लुक है?

श्री श्यामलाल--पर्मानेंट सेटिलमेंट लार्ड कार्नवालिस ने यहां किया था जिसके अन्तर्गत किसान के पास जितना खेत है वह उसी के पास रहेगा और उसकी मालगुजारी जमींदार को, जमींदारी सिस्टम उन्होंने पैदा कर दिया था, वह देगा। कांग्रेस सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी, अच्छा किया लेकिन उन्होंने दूसरे किस्म की जमींदारी पैदा कर दी। ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और ए० सी० ओ० सब जमींदार हैं। इनके ए० सी० ओ० कैसा काम कर रहे हैं? जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ा लम्बा चौड़ा क्यू लगता है। एक किसान मेरे पास आया और बताया कि बाबू, मैंने ए० सी० ओ० का महज इतना विरोध किया था कि हमारे पास दो ही बीघे खेत है और इकट्ठा है, इसे हमारे ही नाम कर दीजिये। लेकिन ए० सी० ओ० ने उसे किसी दूसरे के नाम महज इसलिये कर दिया उससे उन्हें ५०० रुपये मिल गये थे। जब उसने

[श्री श्यामलाल]

कहा कि इसके खिलाफ हम अपील करेंगे तो उन्होंने प्रधान को बुलाया और उस किसान पर १५ रुपये जुर्माना करवाया और उसे वसूल किया गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं और कभी-कभी सोते समय मेरी आंख से आंसू गिरते हैं। (हंसी) आप लोग सरकारी पक्ष के हैं, आप हंसिये नहीं। आपका यह विधेयक साउथ अफ्रीका की मलान सरकार के कानून की तरह है।

श्री उपाध्यक्ष--यह चकबन्दी का विधेयक है, इसी पर आप बोलिये।

श्री श्यामलाल--मैं जानता हूं, थोड़ा सुनिये तो।

श्री उपाध्यक्ष--आप उस पर नहीं बोलना चाहते तो बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल--मैं तो कह रहा हूं कि जो किसान कांग्रेस माइंडेड है, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ए० सी० ओ० उससे डरता है....

श्री उपाध्यक्ष--मालूम होता है कि आपने विधेयक को कतई नहीं पढ़ा।

श्री श्यामलाल--खूब पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष--इस विधेयक के बारे में कुछ जानते हों तो कहें।

श्री श्यामलाल--मैं खूब जानता हूं। आलोचना तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--उसी की आलोचना करिये।

श्री श्यामलाल--आपकी कुर्सी निष्पक्ष है, हम किसी को गाली नहीं देते हैं। मैं यह कह रहा था कि जो कांग्रेसी किसान है ए० सी० ओ० उससे डरता है कि वह कांग्रेसी एम० एल० ए० या एम० पी० से मिल जायगा। आपोजिट पार्टी माइंडेड किसान पर ही ए० सी० ओ० हमला कर रहा है। १८ जून, को 'नेशनल हेराल्ड' में मेरा एक लेख निकला था। उसमें मैंने लिखा था कि ए० सी० ओज० के नाते हजारों मुकदमें चकबन्दी योजना के सिलसिले में अदालतों में पड़े हैं। उसमें मैंने यह साफ लिखा था कि जिस क्षेत्र का इन्चार्ज ए० सी० ओ० हो उसी पर वहां की चकबन्दी योजना निर्भर करती है और उसे ऐसे ढंग से चलना चाहिये कि किसी किसान को भी किसी प्रकार की शिकायत न हो और अगर किसी को शिकायत हो तो--

He must stand trial either in the court of District Magistrate or in any other court equivalent to it and he must be punished for it.

तो उसकी प्रसन्नता की पूरी-पूरी जिम्मेदारी ए० सी० ओ० पर है और उस पर डी० एम० के कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिये या उससे बराबर वाली कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिये और उसको दण्ड मिलना चाहिये। तब वहां के सी० ओ० सेटिलमेंट ने हमको पत्र लिखा कि आप को क्या शिकायतें हैं। हमने उनको ८० शिकायतें दी हैं। अब वे धीरे-धीरे उनको देख रहे हैं। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमने शिकायतें दी हैं उनके बारे में एक एक करके यह लिख रहे हैं कि हमने इंक्वायरी की लेकिन कोई सौलिड आधार नहीं मिला इसलिये शिकायत खत्म कर दी गई। एक एक करके वे सब को गलत सिद्ध करते चले जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि यह सरकार जो चकबन्दी योजना चला रही है उसका एक खास मकसद है कि उत्तर प्रदेश में यह कोआपरेटिव फार्मिंग लायेगी। एक दफा मैंने प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार चकबन्दी की योजना के बाद कोआपरेटिव फार्मिंग योजना लायेगी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि सहकारी खेती की बात कहां से आ गई। हमने कहा कि चकबन्दी की योजना के बाद आप लायेंगे, हमारे पास इसका तर्क है। हमने कहा कि इस योजना में बहुत से किसान जिनकी लाभकर जोत हैं आगे चल कर अलाभकर हो जायंगी। मान लिया किसी के पास १० बीघा बढ़िया खेत है, ए० सी० ओ० दूसरे फरीक से ४००/५००

रुपये लेकर वह उसको दे देता है और इसको ऐसी जमीन देगा जिसमें कुछ पैदा नहीं होगा तो आगे चलकर उसकी जमीन अलाभकर हो जायगी। विवश होकर उसको अपना खेत सरकार को देना होगा। सरकार उसको ले लेगी फिर कोआपरेटिव फार्मिंग चलायेगी। इस तरह की योजना है।

श्रीमन्, हमने जो तर्क रखा है वह इसी आधार पर रखा है कि जो प्रजातंत्र हमारे देश में आया वह यू० पी० असेम्बली तक ही सीमित रह गया और किसानों तक नहीं पहुंच पाया। किसान इनकी स्कीमों से परेशान है। जो पैसा दे रहा है वह इसलिये कि मातृभूमि पर संकट है। अपने पेट को काट कर दे रहा है, वह खुशहाल नहीं है। चकबन्दी तथा अन्य नीतियों से बड़ा दुखी है। हमारी सरकार राष्ट्रीय सरकार है किसान हमारे देश का एक यूनिट है उसी पर डेमोक्रेसी आधारित है। इसलिये अपने पिलर को कमजोर मत कीजिये। यह आपका पिलर है। आपने जो सुन्दर बिल्डिंग बनाई है उसके आधार को कमजोर मत कीजिये। आपका आधार खोखला है, मजबूत नहीं है, उसको मजबूत कीजिये। वह आधार आपका किसान है।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी धारणा थी, सदन के अधिकांश सदस्यों की यह धारणा थी कि इस विधेयक पर सम्भवतः डेढ़ दो घंटे से अधिक विवाद नहीं चल पायेगा। लेकिन सदन के आदरणीय सदस्यों को इस कला पर बधाई देनी ही पड़ेगी कि इस छोटे से विधेयक पर लोगों ने डेढ़-डेढ़ घंटे के विद्वतापूर्ण भाषण दिये और गांव के कुएं से लेकर चीन के मोर्चे तक की बात सुनने को मिली। काफी रोशनी प्राप्त हुई। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी परम्परा बहुत सोच समझ कर डाली जाती है। कोई भी विधेयक यहां पर आये, भले ही उसमें दो एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हों, उसको ले कर सब कोई लम्बे भाषण करना शुरू कर दें यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। मैं देखता हूं कि चकबन्दी के ऊपर जब कोई संशोधन आता है तो ए० सी० ओ०, सी० ओ० के भ्रष्टाचार के ऊपर एक लम्बा चौड़ा भाषण सुनने को मिलता है और पंचायतराज के ऊपर अगर कोई संशोधन आता है तो डेमोक्रेसी के लम्बे-लम्बे भाषण हो जाते हैं। जब कोई विधेयक कर के ऊपर आता है तो गरीब और धनी की बातें आरम्भ कर दी जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति हो गयी है।

अभी मैं देख रहा था इस प्रवर समिति के प्रस्ताव में माननीय कल्पनाथसिंह के नीचे छः आदरणीय सदस्यों के और दस्तखत हैं। लेकिन जब कि मैं संशोधनों को देख रहा था तो एक ही संशोधन उन सातों व्यक्तियों ने उपस्थित किया है जिससे यह पता चलता है यह जो संशोधन सरकार प्रस्तुत कर रही है उसमें भी व्यावहारिक कठिनाई उनको नहीं है जिसको प्रवर समिति में जा कर समाधान करना चाहते है। हमारी समझ में यह भी शायद एक परम्परा हो गयी है कि कोई भी विधेयक आये उसको प्रवर समिति में भेजने के लिये एक प्रस्ताव रख दिया जाय। उसके बाद जैसा कि माननीय श्यामलाल जी रशन कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, इस तरह का विवाद शुरू कर दिया जाय। यह चीज विचारणीय है कि १०० से अधिक विरोधी दलों के सदस्य हैं और दो सौ से ऊपर इधर सदस्य हैं अगर वह कोई भी व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिये संशोधन न दें तो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करना कहां तक उचित है यह मेरी समझ के बाहर है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय कल्पनाथसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि यह वह एक भी कोई सुझाव दे दें कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें वह क्या क्या व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करना चाहते हैं जिसके लिए वह प्रवर समिति में विधेयक को भेजना चाहते है। लेकिन अगर उनके पास एक भी सुझाव नहीं है जैसा कि संशोधन की लिस्ट से मालूम होता है तो महज इसलिये सदन में विवाद के बाद फिर प्रवर समिति में १५,२० आदमी बैठें, उसका क्या फल निकलेगा। यह स्वयं सोचा जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

जैसा कि मैंने आरम्भ में निवेदन किया, जितना आदरणीय सदन ने इस विवाद में भाग लिया है, जो कुछ इस विधेयक के सम्बन्ध में कहा गया है, अगर उस सब को जोड़ा जाय तो पांच मिनट से अधिक इस विधेयक के बारे में विवाद नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि केवल एक दो चीजें इसमें हैं। कहा तो यह जाता है कि सेकेंड अपील का अधिकार जो है.....

श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)---इतनी देर तक बोलने के बाद आप बतायेंगे कि आप किस चीज पर बोल रहे हैं। इतनी देर तक इस सदन में आपके व्याख्यान के बाद कोई सदस्य यह पूछ सकता है कि आप इस संशोधन विधेयक के बारे में क्या बोले हैं? (व्यवधान) आप जो दूसरों के लिये गैरजिम्मेदारी की बात करते हैं, खुद गैरजिम्मेदार हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य को अपील करने की गुंजाइश नहीं थी क्यों कि मैं तो स्वयं स्वीकार करता हूं इस बात को और इसीलिये माननीय कल्पनाथसिंह से मैं प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक में विवाद के लिये कोई चीज है ही नहीं। इसमें एक सेकेंड अपील का जो पहले प्राविजन था उसको भी पूर्ण रूप से वापस नहीं किया गया है। चकबन्दी के डाइरेक्टर महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि वह फैक्ट पर भी और ला पर भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की यदि कोई गलती पावें तो उस पर पूर्णरूपेण विचार कर सके। केवल एक आदरणीय सदस्य माननीय भीखालाल जी ने प्रयास किया था कि इसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाते और उन्होंने एक चीज की तरफ संकेत भी किया था। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय जो कि बिल को पाइलेट कर रहे हैं उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि उस चीज को ठीक कर दिया जायगा। तो इस आश्वासन के बाद यह और भी आवश्यक हो जाता है कि माननीय कल्पनाथसिंह और और लोगों के लिये कि इस संशोधन को वह वापस ले लें और हो सके तो खंडों पर विवाद होकर के जो एक दो संशोधन हैं उनको खत्म कर लें और उसके बाद कोई और काम हो तो करें नहीं तो अपने घर चलें।

श्री मैनेजरसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि किसानों के हित की बात उद्देश्य और कारण में लिब्धि की गयी है उसमें केवल एक बात ऐसी है जिसके लिये धन्यवाद देना चाहिये। वह यह है कि आप ऐसे काश्तकारों को लगान में छूट देंगे जिनकी जमीन का कुछ अंश सामूहिक उपयोग की भूमि में निकल जाता है। केवल यही एक हित की बात इस पूरे संशोधन विधेयक में है। अभी हमारे मित्र माननीय राय साहब ने कहा कि विवाद विषय पर नहीं चल रहा है। मैं सुनना चाहता था कि हमारे माननीय राय साहब प्रस्तावित संशोधनों की अहमियत की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी इस आदरणीय सदन में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करता और न आज तक अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी किसी क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत ही करने का आदी रहा हूं।

जहां तक चकबन्दी योजना का प्रश्न है मैं उन व्यक्तियों में हूं जिनका ऐसा ख्याल है कि सैद्धान्तिक रूप में चकबन्दी योजना बहुत ही सुन्दर है। जब चकबन्दी योजना बलिया में लागू हुई तो यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं ही केवल अकेला एक राजनीतिक कार्यकर्ता पूरे बलिया जिले में था जिसने इस योजना का स्वागत किया। केवल दफ्तर में बैठकर नहीं बलिया के केन्द्र पर बैठकर नहीं बल्कि मैंने कोशिश की अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को समझाने की कि यह योजना लाभप्रद योजना है इसका आप स्वागत करें। जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ उस अवसर पर कांग्रेस दल की तरफ से और कांग्रेस दल के जो उम्मीदवार थे सिटिंग मेम्बर उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ यह इल्जाम लगाया कि मैनेजरसिंह

ने इस योजना का स्वागत किया था और चकबन्दी लागू हुई है, इसका दोष इनके ऊपर है। मुझे आज भी खुशी है कि कांग्रेस दल के उस प्रचार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अपने दिल की सही बात को मैंने जनता के समक्ष रखने की कोशिश की थी। किन्तु आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई मुझसे आज पूछे कि चकबन्दी लागू की जाय या नहीं तो मैं इस संकोच में हूं कि उसके लिये अपनी राय दूं या नहीं। चकबन्दी के कार्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इससे जितना लाभ हुआ उससे अधिक नुकसान हुआ है। फिर भी जैसा मैंने पहले निवेदन किया मैं इस योजना को सिद्धान्तरूप में अच्छा समझता हूं। इसलिये चकबन्दी योजना हमारे क्षेत्र में चालू है उसको पूरा करने का मैं पक्षपाती हूं। मुझे बहुत ही निराशा हुई जब आज प्रातः यहां आने पर मैंने इस विधेयक में देखा कि किस तरह से यह बिल आया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं क्योंकि वही इस बिल को पाइलेट कर रहे हैं। राजस्व मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। राजस्व मंत्री के सभासचिव से मैं क्या कहूं। वह तो ब्राह्मण आदमी हैं। चाहे ब्राह्मण कम्युनिस्ट भी हो लेकिन उसके सामने सिर झुक जाता है। हमारे जिले में वे अधिक जाते रहते हैं। वहां पर उनकी जमींदारी रही है और उनका मुकदमा भी चल रहा था। ज्ञात नहीं सरकारी दौरा दिखलाते हैं, या नहीं ऐसे लोगों से क्या कहना है। मेरा निवेदन यह है कि जिन व्यक्तियों की वजह से यह संशोधन आया, चाहे सभासचिव की प्रेरणा से या माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से या हमारे जो नये संचालक नियुक्त हुये हैं उनकी प्रेरणा से या किसी सचिव महोदय की प्रेरणा से या अन्य किसी की प्रेरणा से मैं उसके इन्टेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता। मैं यह मानता हूं कि यह विधेयक किसानों के गले पर छुरी चलानेवाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय आप दलगत राजनीति से ऊपर हैं और एक उच्च आसन पर बैठे हुये हैं। मैं इस समय आपको कांग्रेस दल का सदस्य नहीं मानता हूं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९५३ के चकबन्दी अधिनियम में जो संशोधन १९५८ में किये गये जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन खराबियों को दूर करने के लिये उस पुराने संशोधित अधिनियम को परिष्कृत करने के नाम पर प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा अब भ्रष्ट किया जा रहा है। उस १९५८ के संशोधन अधिनियम में यह विनियम था कि कि सहायक चकबन्दी अधिकारी को मुकदमें देखने का अधिकार नहीं होगा। आज वह अधिकार आप देने जा रहे हैं। जो सेकेंड अपील की बात थी उसे आप समाप्त करने जा रहे हैं। आप देखें कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे। उधर तीन परमानेन्ट दरबारी हैं जो सदा ही सार्वजनिक हित का विरोध करने के लिये तैयार रहते हैं। जब कभी आवश्यकता होती है ये तीन महारथी सामने आ जाते हैं। मैं उनसे जानना चाहता था कि भ्रष्टाचार आखिर नीचे के कर्मचारियों में अधिक है या ऊपर के? मैं ऐसा मानता हूं कि चकबन्दी में नीचे के कर्मचारियों में अधिक भ्रष्टाचार है। और इसमें से ८० फीसदी भ्रष्टाचार ए० सी० ओ० स्तर पर है, ६० फी सदी भ्रष्टाचार सी० ओ० स्तर पर है, ५० फीसदी भ्रष्टाचार करप्शन एस० ओ० सी० स्तर पर है और २० फीसदी भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर है।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन यह तो करप्शन का बिल या संशोधन नहीं है। आपसे मैं यह बात कह सकता हूं।

श्री मैनेजरसिंह---मैं आपकी बात समझ गया। अब नहीं कहूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ए० सी० ओ० जो केवल छानबीन के उपरान्त रिपोर्ट करता था उसे आप न्याय करने के अधिकार दे रहे हैं और ऐसा करके आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त खंड ७(२) में जो आपने परिष्कार किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु इसके विपरीत ९क(२) में, जिसमें आप सहायक चकबन्दी अधिकार को अधिकारी देने जा रहे हैं, आप किसानों के गले पर छूरी चलाने जा रहे हैं। आप अपने १९५८ के संशोधन से पीछे जा रहे है। इससे

[श्री मैनेजरसिंह]

चकबन्दी योजना को धक्का पहुंचेगा। आप इस प्रकार चकबन्दी योजना को बदनाम कर रहे हैं। इस पर विचार करने के लिये ही मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय।

दूसरे, मूल अधिनियम को खंड ११ को आप संशोधित कर रहे हैं। उसमें आप उपसंचालक के अधिकार समाप्त कर रहे हैं। इससे किसान को अधिकांशतः निष्पक्ष न्याय मिलता था उससे किसान वंचित रह जायगा। जिस स्तर पर ५० फीसदी भ्रष्टाचार है उस स्तर पर किसान की हकतलफी होगी।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने कहा कि समय घटा कर हम कम खर्च कर रहे हैं। मैं नम्रता से निवेतन करना चाहता हूं कि चकबन्दी में गड़बड़ी के जो भी कारण हों, उन में सब से बड़ा कारण है आपकी यह जल्दीबाजी। इस बात को आप अपने दल के विधायकों से पूछ सकते हैं। काम का समय निश्चित करने से ही तमाम गड़बड़ी होती है। जान अनजान में भी गल्तियां होती हैं उन्हें इस प्रकार आप बढ़ावा दे रहे हैं। इस खतरे की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। २१ दिन की अपील की सीमा को घटा कर आप १५ दिन कर देना चाहते हैं और इस प्रकार किसान का गला दबा रहे हैं। इसके अलावा धारा २२ में जहां कालावधि समाप्त होने पर भी यदि अधिकारी को यह विश्वास हो जाता था कि किसान की हकतलफी हुई है तो उस मामले को फिर से सुनवाई करने का अधिकार था, उसे देखने का अधिकार था, और उससे किसान की हितो की रक्षा होती थी। आप कहते हैं कि उस धारा २२ को हटा दिया जाय। मैं समझता हूं कि आप ऐसा करके किसानों का गला घोंट रहे हैं। आपका ध्यान इस पर जाना चाहिये। इससे तो आपकी हमदर्दी और ममता प्रदेश के किसानों के प्रति नहीं जाहिर होती है। इस प्रकार से आप चकबन्दी के प्रति समाज में असंतोष, दुर्भावना और दुर्व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इसलिये आपको गंभीरता से सोचना चाहिये। इसमें जो रास्ता था किसानों के स्वतः अधिकार की रक्षा का और किसानों का अधिकार सुरक्षित था उसको आप समाप्त करने जा रहे हैं। उसी की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

आपने यह भी कहा है कि विवाद अन्य विधि न्यायालयों में नहीं जायेंगे। मैं आपकी कठिनाई को महसूस करता हूं। आपने जैसा कि उद्देश्य और कारण में दिया है। कहीं कहीं दफा ५२ की क्रिया समाप्ति के बाद हाईकोर्ट का निर्णय हुआ और उससे आगे बहुत कठिनाई बढ़ी। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपका उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में कहना है कि दफा ५२ की क्रिया समाप्त होने के बाद आदेश होता है। और इस तरह से एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है इस कठिनाई को दूर करने के लिये आप कोई अन्य रास्ता ढूंढ़े और उच्च न्यायालय की अधिकार सीमा न हटावें। अन्यथा वही कहावत होगी जो आपकी सरकार के जमाने में हो रही है कि यदि रेल गाड़ियों में चेन पुलिंग हो रही है तो चेन (रेलवे जंजीर) हटा दी जाय यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत (फेल होने वालों का) ज्यादा है तो परीक्षा की प्रणाली को बदल दो, यदि चोर घर में (चोरी) नकब लगाता है तो घर को जला दो। इसी तरह से आप हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में भी कहते हैं कि उसको हटा दो। परन्तु यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। ऐसा करके आप किसान के मौलिक अधिकारों का अपहरण करेंगे और प्रदेश की जनता के लिये जो न्याय का रास्ता है वह भी आप बन्द कर देना चाहते हैं। आपको कोई दूसरा मार्ग (रास्ता) निकालना चाहिये जिससे आपकी कठिनाई हल हो सके और न्यायालय में भी विशेष परिस्थिति में जाने का हक रहे।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने कहा खड़ी फसलों के संबंध में कि जिसका हक होगा वह प्रतिकर देगा। परन्तु यह कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, उचित संशोधन नहीं है। इस पर भी आप पुनर्विचार करें। कोई किसान फसल बोये हुए है वह प्रतिकर दें। मैं चाहता हूं कि आप इसको मानें। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। जो विधेयक दुर्भाग्य से इस आदरणीय सदन में आपकी तरफ से प्रस्तुत किये जाते हैं उन सभी में यह भी

रहता है कि सरकार के अधिकार और बढ़ा दिये जायं। परन्तु यह सरकार के अधिकार कौने बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं कि जो सचिव लोग हैं वही इसके कार्य स्तम्भ हैं और उनकी नकेल आपके हाथों में है। क्योंकि सचिवों की पोस्टिंग भी उनकी योग्यता और दक्षता के आधार पर नहीं होती है। एक व्यक्ति जब मुख्य मंत्री होता है तो कुछ लोगों को बदल दिया जाता है और उसकी इच्छा के व्यक्ति वहां पर लाकर बिठा दिये जाते हैं। अपने अपने मन के सचिव रखे जाते हैं। कुछ ऐसे ईमानदार सचिव हैं और निष्पक्षता तथा ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं किन्तु इस करण से उनको कष्ट भी भुगतना पड़ता है, उनके कान उमेठे जाते हैं और उनको ऐसे विभागों का कमिश्नर बना दिया जाता है जहां पर वे बेमौत मर जाते हैं और उनकी काब्लियत का कोई उपयोग नहीं हो पाता। दो चार मंत्री भी ऐसे हैं पूरे मंत्रिपरिषद् में जिनके ऊपर थोड़ा भरोसा विरोधी पक्ष को है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—इससे क्या मतलब ? उसी पर कहिये।

श्री मैनेजरसिंह—ठीक है। इसमें आप देखें कि तमाम अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है।

(इस समय ४ बज कर ४३ मिनट पर, श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए।)

पृष्ठ २३ पर १५/१६ ऐसी धारायें हैं जिनमें यह है कि सरकार को यह अधिकार होगा, वह अधिकार होगा। इन विशेषाधिकारों की जो मनोवृत्ति पैदा होती जा रही है यह बड़ी खतरनाक है और प्रजातंत्र के लिये घातक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपने अधिकारों में कमी करे। आप अधिकार चाहते हैं तो डाइरेक्टर चकबन्दी को दीजिये। लेकिन सरकार अपने हाथ में न ले। हालांकि वहां भी आप अपने हाथपांव फैलाते हैं। जिन संशोधन को जनहित के खिलाफ समझते हैं उनके ऊपर आपको विचार करना चाहिये। जिनकी ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है उस पर विचार कीजिये।

इस संशोधन विधेयक के अवसर पर जो चकबन्दी में काम करते हैं जैसे ए० सी० ओ० वगैरह, उनके कामों पर भी विचार कीजिये। उनके कामों का वितरण होना चाहिये और समय भी निर्धारित होना चाहिये। एक ही कर्मचारी आज जो कागज दुरुस्ती का काम करता है वही चक बनाता है। कागज दुरुस्ती का काम आप दूसरे कर्मचारी से लें और चक आदि का काम आप को दूसरे अधिकारी से लेना चाहिये। इससे अवश्य कुछ सहूलियत होगी और शिकायतें भी कम होंगी।

एक व्यवस्था आप यह करें कि चकबन्दी अधिकारी जब विवाद सुनें तभी उसी समय अपना फैसला भी दे दें। यद्यपि आपका ऐसा निर्देश है, किन्तु उस पर अमल नहीं किया जाता है। एक डिप्टी डाइरेक्टर शायद बाबूराम गुप्ता हैं, वे बहस सुनने के बाद तुरन्त फैसला देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हर अधिकारी तुरन्त फैसला करे तो इससे काफी राहत जनता को मिलेगी। एक शिकायत एक डिप्टी डाइरेक्टर के बारे में आयी कि उन्होंने बहस तो सुन ली, पर फैसला तुरन्त नहीं दिया। दोनों पार्टी लखनऊ पहुंच गईं। एक पार्टी ने कहा कि हम से तो एक आदमी ५०० रुपये मांग रहा था, डाइरेक्टर महोदय नहीं, कोई दलाल होगा, ऐसा हो सकता है। एक महन्त को उनके चेले ने मरवाया। वह ज्यादा दे रहा था और खानदान वाले कम दे रहे थे। सारा झगड़ा लखनऊ तक आया। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को लखनऊ न आना पड़े और आप चकबन्दी के अफसरों को हिदायत दें कि तुरन्त फैसला दे दिया करें। चाहे कागजात दुरुस्ती हो, परताल हो कोई भी कार्य हो, वे सब गांव के सामने हों।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि समय की बचत की वजह से आप ऐसे संशोधन को यहां न रखें जिससे चकबन्दी बदनाम हो और जल्दबाजी के कारण व्यभिचार फैले। इसलिये इस विधेयक को आप प्रवर समिति में जाने दें। इसमें कोई एमर्जेंसी का सवाल नहीं है : प्रवर समिति में हमारे आदरणीय साथी विचार करेंगे और आपको सुझाव दे देंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चकबन्दी कानून में संशोधन करने के लिये जो विधेयक आया है उस सम्बन्ध में मेरा तो पहले ही विचार था कि शायद यह विधेयक यहां विचार के लिये नहीं लाया जायगा। यह आपत्तिकालीन विधेयक नहीं है, और न कोई पैसा ही इससे आवेगा, जिससे सुरक्षा हो सके। यह भी सोचता था कि शायद सरकार अनावश्यक कामों को, जिनमें चकबन्दी भी एक है, रोक कर उसके स्टाफ से कुछ और काम लेगी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मैंने रोकनेवाली बात इसलिये कही कि जिस क्षेत्र में चकबन्दी होने की घोषणा हो जाती है या पहले से मालूम हो जाता है कि यहां चकबन्दी होगी, वहां किसान ३ साल पहले से खाद डालना बन्द कर देता है क्योंकि वह सोचता है कि न जाने उसका खत कहां चला जावे। ढाल भी बराबर करना छोड़ देते हैं। श्रीमन्, इस कारण यह पैदावार पर उल्टा असर डालनेवाले विधान है। चकबन्दी का कार्य इस समय स्थगित कर दिया जाता तो पैदावार में निश्चय ही लाभ होता।

इस विधेयक में ४ कारण दिये गये हैं। उनमें से २ का मैं स्वागत करता हूं। २ में एक बात यह कही गई है कि जो जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिये ली जाती है उसके बदले में किसानों के लगान में अब तक रिडक्शन नहीं हुआ करता था, तो जितनी जमीन ली जायगी उसके अनुपात में लगान में कमी कर दी जायगी। दूसरी यह है कि धारा ५२ के प्रकाशन के समय हाई कोर्ट में जो रिट्स पेंडिन्ग हुआ करती थीं, उनसे ५२ का प्रकाशन रुका रहता था और सक्सेशन वगैरह की कार्यवाहियां भी रूकी रहती थीं, चकबन्दी कार्यालय वहां से चला जाता था और किसानों को परेशानी होती थी। हाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन खत्म नहीं होगा जैसा कि मैनेजर-सिंह जी ने संकेत किया। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार संशोधन किये जा सकेंगे। इन कारणों का तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु श्रीमन्, जो और बातें इसमें कही गई हैं उनका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं। वे विरोध करने लायक तो, खैर हैं ही, साथ में इतनी अपूर्ण हैं कि मुझे इस विधेयक के प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है।

कहा गया कि यह प्रोसीज्योरल ला है इसमें थोड़े से परिवर्तन कर दिये गये हैं। जितने भी सदस्य बोले सबने एक स्वर से कहा कि चकबन्दी में करप्शन है। माल की प्रैक्टिस करने वालों का अनुभव ज्यादा है और वह जानते हैं कि उनके रूलिंग दिखाने पर और तर्क देने पर फैसले कहीं नहीं हो रहे हैं। सारी जनता में यह भावना बन गई है कि जब अदालत में बटवारे के, हदबन्दी के केसेज जाते हैं तो किसान ३ साल से पहले से चुपचाप बैठ जाता है चूंकि चकबन्दी में ये निर्णय बदले जा सकते हैं। यह भावना आज किसानों के अन्दर व्याप्त हो गई है कि यदि हम ए० सी० ओ० और सी० ओ० को पटा सकेंगे तो चाहे जैसे अपना चक बनवा लेंगे। मैं कम से कम फतेहपुर जिले की तो बताता हूं कि वहां किसानों में यह भावना और शिकायत है। सन् १९५३ में चकबन्दी की बात हुई, १९५४ में उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया गया, १९५८ में फिर परिवर्तन हुये और उनमें आर्बिट्रेशन और कई अन्य बातों को समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन भी छोटा या मासूम नहीं है। इसमें पहले ही दो-दो आपरेशनों का एक साथ प्रकाशन हो जायगा। सैटिलमेंट आफ प्रिंसिपल और करेक्शन आफ पेपर भी एक साथ हो जावेंगे। मेरा तो यह अनुभव है कि अधिकारी सरकार की घोषित नीति का सहारा लेकर पता नहीं क्या-क्या पाप करते हैं और किस-किस ढंग से पैसा लेने की योजना बनाते हैं। इसमें तो साफ-साफ कहा गया है कि जल्दी होनी चाहिये, जल्दी होनी चाहिये। जल्दी होने के पीछे चकबन्दी अधिकारी यह सोचता है कि १५ दिन की मियाद है तारीख परची पर नहीं डालता है, किसानों से बैक-डेटेड दस्तखत करा लेता है, और फिर कह देता है कि यह मियाद के बाहर है।

१९५८ में सरकार ने संशोधन किया था कि हमको लिमिटेशन ऐक्ट की धाराओं का फायदा होगा। लेकिन सरकार ने उस धारा २२ को भी साफ कर दिया। धारा ८ और सैटिलमेंट आफ प्रिंसिपल, इन दोनों बातों के लिये पहले अलग-अलग प्रकाशन था। पहले धारा ८, १२ और २० के अन्दर आब्जेक्शन होता था। किसान को आपत्ति करने पर मौका मिलता था और

हर बार उसकी अपील होती थी। परन्तु अब सब कनसालिडेट करके एक बार हो जाता है और दूसरी अपील भी खत्म कर दी है। आज हाईकोर्ट में जाना पड़ता है और उसके लिये रिवीजन की रोक न हो तो कोई भी रिवीजन दाखिल न हो क्योंकि डाइरेक्टर के यहां क्या होता है लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डाइरेक्टर साहब १ दिन के लिये दौरा करते हैं और २ घंटे में ५० मामलों का फैसला कर डालते हैं। कोई भी कानून से सम्बन्ध रखने वाला और कागज को जानने वाला समझ सकता है कि उसमें कितना इंसाफ होता होगा। तो यह प्रोसीज्योर की बात किसान को भ्रम में डालने वाली बात है। सी० ओ० और ए० सी० ओ० तरह-तरह की बातें करके किसान को बिलकुल धोखे में रखकर जल्दी करने की कोशिश करते हैं और अब अधिक भ्रम रखते हुये सैटिलमेंट आफ प्रिंसिपल के बारे में किसी को मौका ही नहीं रहेगा।

दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि यहां पर ए० सी० ओ० के अधिकार वाली जो बात कही गई है उसमें पहले तो यह था कि सेटिलमेंट में मूल्यांकन के लिये नियम बने हुए थे लेकिन अब ए० सी० ओ० को अधिकार दिया जा रहा है कि वह मूल्यांकन करे पहले ही जमीन के मामले में बहुत गड़बड़ हुआ करती थी, उसकी नवैयत कुछ की कुछ लिख दी जाया करती थी, कुएं के पास किसी मुराई की जमीन है और वह उसमें कुछ मिर्चा तरकारी वगैरा बो कर कुछ पैदा कर लेता था तो उसकी वह जमीन छिन जाती थी लेकिन अब तो ए० सी० ओ० को मूल्यांकन करने का अधिकार दिया जा रहा है। भगवान ही जाने कैसा मूल्यांकन होगा। इसके अलावा त्रिपाठी जी ने बताया कि इस कानून में क्योंकि कोई प्रिंसिपल नहीं है इसलिये इसको फिर से लाना होगा। इसके अलावा कुछ काश्त ऐसी भी होती है जिनमें आपरेशन करते-करते गलती हो जाती है। इसलिये अगर प्रवर समति में यह बिल चला जाता है तो वहां पर इस पर विचार होगा और रोज-रोज जो संशोधन इसमें लाने पड़ते हैं वे भी नहीं आयें और उसकी खराबियां भी दूर हो जायेंगी। इसलिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक का प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट दे।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बातें इसके विरुद्ध कही गयीं उनमें कोई ठोस आधार हमें नहीं दिखाई पड़ा। इसके उद्देश्य और कारणों में साफ लिखा हुआ है कि जनता की परेशानियों को कम करने के लिये इस संशोधन को लाया गया है। चकबन्दी का कम से कम खर्चा पड़े और सस्ता न्याय हो और थोड़ी परेशानी में ही किसान अपने कागजात को दुरुस्त करा सके इस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। यह अच्छा कदम है। अभी पैसे वाले छोटे-छोटे काश्तकारों को तंग करते थे। छोटे काश्तकार मुकदमों से परेशान हो जाते थे और मजबूर होकर उन्हें बड़े काश्तकारों से सुलह करनी पड़ती थी और बहुत सी जमीन खोनी पड़ती थी। चकबन्दी अधिकारी का सम्बन्ध सीधा गांव से होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहां की बातों को समझता है और उसी आधार पर फैसला करता है।

अभी हमारे जिले गोंडा में तरबगंज तहसील में जब चकबन्दी शुरू हुई तो काश्तकारों में घबराहट पैदा हो गई। लोग कहने लगे कि हम तो पिस जायेंगे। शादी की तरह रुपया इकट्ठा किया जाने लगा कि घूस देनी होगी लेकिन तीन साल के तजुरबे ने हमको दिया कि ये सब बातें निराधार हैं। सारी चकबन्दी सहूलियत के साथ खत्म हो गयी। वैसे शिकायतें तो छोटी-मोटी हुआ ही करती हैं और हम लोग अपने पैमाने पर जनता की शिकायतों को अधिकारियों के सामने रखते भी हैं लेकिन आजकल जो चक कट रहे हैं वे गांव वालों को बैठा कर उनके सामने ही काटे जाते हैं और जब उनको सन्तोष हो जाता है कि जो कुछ मिल रहा है वह ठीक है, तब उनको दिया जाता है। ऐसी हालत में किसानों को परेशान करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और इससे ८५ से ९० प्रतिशत तक किसान रहते हैं।

[श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल]

एक चीज यह है कि जो चकबन्दी समिति जिले में संगठित की जाती है उसकी मीटिंग तो होती है लेकिन जब यहां से डिप्टी डाइरेक्टर चकबन्दी जिले में जाते हैं तो इसके लिये उनको सरकार की तरफ से सख्त आदेश होने चाहिये कि जब वे गांवों में जायं तो चकबन्दी समिति के सदस्यों को भी अपने साथ ले जायं ताकि उन लोगों को भी सारी चीजें देखने को मिलें और चकबन्दी समिति के सामने या गैर सरकारी लोगों के सामने जनता को भी अपनी बात कहने में इससे किसी तरह की कोई हिचक नहीं होगी और वे बातें भी प्रकाश में आ जायेंगी कि जनता को सही न्याय मिल रहा है।

दूसरी बात यह है कि चकबन्दी जो होती है उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिये एक काश्तकार है जिसकी आराजी एक गांव में है और दूसरे गांव में भी उसकी आराजी पड़ती है, और उसी तरीके से बहुत से ऐसे काश्तकार होते हैं जिनकी आराजी एक ही व अन्य मौजे में इधर-उधर बिखरी होती है। तो इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर वे आपसी रजामन्दी से एक ही गांव में जहां चाहें उनको आराजी दे दी जाय और आपसी समझौते के मुताबिक एक ही जगह अन्य गांव की आराजी दे दी जाय। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा और इससे जनता को बड़ी सहूलियत मिल जायगी।

साथ ही हमें यह भी देखना है कि सी० ओ० के यहां अमूमन ज्यादातर मुकदमे होते हैं लेकिन सब से बड़ी परेशानी यह होती है कि जो मुकदमे सी० ओ० के यहां से चलते हैं उस के रिकार्ड देने में छोटे काश्तकारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उस रिकार्ड को उसे तहसील या जिले से लाना पड़ता है और उसको लेने में किसानों को जायज और नाजायज तरीके से पैसा भी खर्च करना पड़ता है और उसमें उसका समय भी लगता है। सी० ओ० को यह अधिकार होना चाहिये कि अगर काश्तकार दरख्वास्त दे कि हमारे रेकार्ड्स तहसील या जिले में मौजूद हैं तो वह उनको डाइरेक्ट वहां से तलब करा ले। इससे काश्तकारों का बहुत पैसा बच जायगा और उनको बड़ी सहूलियत भी हो जायगी। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो बड़ी अच्छी बात होगी।

इसके अलावा चकबन्दी के डाइरेक्टर जब जिले में मुकदमें का फैसला करने के लिये जाते हैं तो उन्हें इस बात की सख्त हिदायत होनी चाहिये कि वे किसी वकील के यहां न ठहरें और दावत आदि में किसी व्यक्ति के यहां जो किसी पार्टी विशेष का हो, न जाया करें। इससे जनता को किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा और वे समझेंगे कि उनके साथ न्याय हुआ है। जनता के साथ न्याय हो और इस तरह की शिकायतों के बारे में सरकार और तरीके से पता लगाये तो आशा है कि इस तरह की खराबी दूर हो जाय।

इसके अलावा जो उस वक्त चकबन्दी समिति बनायी गयी है जिला स्तर के ऊपर वह ो ठीक है ही लेकिन एक चकबन्दी समिति सी० ओ० स्तर पर भी बनायी जाय क्योंकि काश्तकारों का ज्यादातर काम पहले ए० सी० ओ० से और उसके बाद सी० ओ० से पड़ता है और सी० ओ० अमूमन रोजाना किसी न किसी गांव में जाते हैं और कागजात देखते हैं, वह किसानों को जानते हैं और वहां की जो असलि बातें होती हैं उनसे वह परिचित होते हैं कि किस का कौन सा हिस्सा है और कहां कागजात में गड़बड़ी है और वह उस को देखकर कागजात ठीक कर सकते हैं। अगर सी० ओ० स्तर पर चकबन्दी समिति हो तो वह सी० ओ० का ध्यान दिला सकते हैं और इस तरह से एग्जिक्यूटिव मामलों पर भी सही राय मिल सकेगी और जनता को सही मानों में सस्ता न्याय मिल सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा--अध्यक्ष महोदय, यह चकबन्दी संशोधन विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है उसके पक्ष और विपक्ष में मैंने दोनों ओर की बातें सुनीं। सबसे पहले तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस राय का हूं कि चकबन्दी लाने से पहले सरकार को हदबन्दी कराना चाहिये थी और जमीनों का सही बटवारा कराना चाहिये था और जब तक यह नहीं होता तब तक चकबन्दी का कानून गरीबों के लिये कतई गलत साबित होगा। और जो व्यवस्था हमने लाई है उसको ही अगर मानकर चला जाय तो मैं तो उसका भुक्तभोगी हूं, हम देहात में रहते हैं और वहां खेती के कामों को देखते हैं कि वहां यह सब किस तरह से होता है। मैं यह बताऊंगा कि वहां रिश्वत किस तरह से चलती है और कैसे वह ली जाती है।

सब सदस्यों ने यहां भ्रष्टाचार का जिक्र किया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। वहां बात ऐसी है कि अगर ईमानदार अधिकारी हैं तो वहां भ्रष्टाचार नहीं है और जहां ईमानदार अधिकारी नहीं हैं वहां वह चलता है। यह तो व्यक्तिगत चरित्र की बात है जब तक किसी का व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा नहीं होता इसको कोई सुधार नहीं सकता। इसको तो बुनियादी तरीके से ही सोचना होगा और जो सत्य बात है उसको मानना होगा। चकबन्दी कानून जिस हिसाब से सरकार लाई है उससे जमीन का सही बटवारा नहीं होता अगर ५ आदमियों क औसत परिवार में जिस में एक हल बैल की खेती होती है और अगर यह किया जाता है कि दस एकड़ से अधिक और ३३ एकड़ से ज्यादा किसी की खेती न हो तो गरीबों का इससे कुछ लाभ हो सकता था लेकिन वह तो एक जनतन्त्र की सरकार का काम होता, जनवादी सरकार ऐसा करती और वह अवश्य ही हदबन्दी पहले करती। यह इस सरकार की मौलिक भूल है। यह सरकार वह कर भी नहीं सकती है क्योंकि यह सरकार उन बुनियादी दृष्टिकोण में विश्वास ही नहीं करती। जिस तरह से यह चकबन्दी लाई गई है उसका मैं अगर आरम्भ से ही विश्लेषण करूं तो हमारे यहां अलग-अलग दो क्षेत्र हो गये, हमने केस भी लड़े और जो हमारा अनुभव है वह आरम्भ से यह है कि जैसे ही किसानों को मालूम होता है कि चकबन्दी हमारे यहां आ गई है तो उनके सामने एक भूत खड़ा होजाता है, वह समझने लगते हैं कि यह खेत हमारे पास से निकल जायेंगे और वह पेड़ काटने लगते हैं और जमीन में खाद देना और सिंचाई आदि करना बन्द कर देते हैं और उससे किसानों का नुकसान होता है पैदावार घटती है। सबसे पहले निरक्षरता में यह होता है। फिर लेखपाल पैमायश करता है, उसके बाद ए० सी० ओ० और कानूनगो को जो अधिकार प्राप्त हैं जब वह गांव में जाकर देखते हैं और सब से पहले कीमत लगाई जाती है तो आप कैसा ही कानून किताबों में बनाकर भेज दें लेकिन अमल उन पर नहीं होता है, वहां और ही कुछ होता है और जब अमल ही गलत हो तो फिर कैसा ही कानून हो वह बेकार हो जाता है। मैं यह नहीं मानता कि कोई भी सरकार योग्य या अयोग्य ऐसी हो सकती कि वह किसान जो ८० प्रतिशत हैं उनकी समस्या को सुलझाने की बात न सोचती हो क्योंकि वह उन्हीं पर आधारित है लेकिन पहले कीमत आंकने में वहां बड़ी गड़बड़ी होती है। सवाल इस बात का है कि जनतन्त्र में कुछ इम्तिहान किये जाते हैं। इसी तरह से हमारी सरकार परीक्षा कर रही है।

५३ से ५८ तक संशोधन विधेयक चला। उसमें यह हुआ कि कीमतें आंकी गयीं। सरकार यह चाहती थी कि एक दो जगह चक बनाये जायें लेकिन ७, ७ जगह बनाये गये। इसमें बड़े मुकदमें चले। सादाबाद तहसील में आवाज उठाई गयी कि यह गलत काम हो रहा है। सबसे पहले जब चकबन्दी अधिकारी किसानों के पास कानून को लेकर पहुंचता है तो जमीन की कीमत लगती है। जो समिति होती है उस काम के लिये उसको कोई अधिकार नहीं होता, उसके प्रधान को कोई पूछता तक नहीं। ए० सी० ओ० की चलती है। अगर अच्छी कमेटी बन जाती है तो वह उसके लिये लड़ती है। सबसे पहले जब कीमतें लगती हैं तो उसमें चालाक लोग फायदा उठाते हैं। किसी का एक रुपया, किसी का १२ आने बीघा दाम लगा दिया गया और कहीं बंजर के तीन रुपये लगा दिये गये। कीमत आंकने के बाद जमीन मिलती है यह किसान को समझाया जाता है। खैर, वह एक मारेल की बात है। उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमी है वह यह कि

[श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल]

एक ही जगह दो तीन आदमी चाहते हैं। उसके लिये दरख्वास्तें लगा दी जाती हैं। उस में विद्रोह पैदा हो जाता है। जब कोई चतुर अधिकारी होता है तो तीनों को थोड़ी-थोड़ी बाट देता है और सबसे पैसा ले लेता है। मेरा सुझाव यह है कि चकबन्दी कानून के लिये गांव-गांव कमेटियां बनी हुई हैं। उनको एडवायजरी कमेटी न मान कर पूरे अधिकार दिये जायं वर्ना चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार है वह खत्म नहीं होगा। जब तक ग्राम सभा के सभापति के सामने खातेदारों से आपस में गांव की चकबन्दी के बारे में डिसकशन न हो जाय तब तक कोई कदम न उठाया जाय। इससे हो सकता है कि कुछ सुधार की गुन्जायश हो सके। जब चक काटे जाते हैं तो अधिकारीगण शुरू से ही गड़बड़ी करते हैं। एक लिंक बना हुआ है। चक बाटते वक्त सेटिलमेंट आफिसर जो कर देता है वही फाइनल होता है। फिर सेकेंडरी अपील का अधिकार भी इसमें खत्म किया जा रहा है तो इससे बड़ा भारी नुकसान होगा। इसमें बड़ा विद्रोह हो सकता है। अदालत में लड़ाई नहीं होगी तो घरों में विद्रोह हो सकता है।

मेरे क्षेत्र में मरोड़ा ग्राम में गिरवर सिंह एक नाई था। उसे दो डिसमल का चक दिया गया और सारा चक छिन्न-भिन्न कर दिया गया। वहां एक सार्वजनिक सभा में मैंने कहा कि चकबन्दी अधिकारी ने गलत काम किया है। उसने दफा ५०४ के मातहत डिफेमेशन का नोटिस दे दिया। अदालत में मुकदमा चला। सी० ओ०, ए० सी० ओ०, सुपरवाइजर, कानूनगो, तहसीलदार सबने गवाही दी कि राधेश्याम ने कहा कि चकबन्दी अधिकारियों ने घूस खाई है। मैं वह मुकदमा लड़ा। वह मिसिल मौजूद है। १०४ गवाहान ने कहा कि ११,००० रुपये रिश्वत के लिये हैं। कानूनी सलाहकार ने मुझसे कहा कि इस बात को मत कहलाओ कि इतना रुपया लिया, वर्ना उन पर भी मुकदमा चलेगा। मैंने कहा कि कहलवाऊंगा। ए० डी० एम० ने १ साल की सजा तथा ५०० रुपये जुर्माना किया लेकिन ऊपर की कोर्ट से जज ने छोड़ दिया और कहा यह गलत है और उसमें लिखा कि चकबंदी के अधिकारी शुरू से आखिर तक भ्रष्टाचार और बेईमान हैं, इतने ज्यादा गवाहों को मैं झूठा साबित नहीं कर सकता। इसके बाद सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में रिवीजन हुआ। वहां से भी वह सी० ओ० हार गये। तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की ऊपर से सहज नीति है। जब चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ हम शिकायत करते हैं तो सरकारी पक्ष लिया जाता है। तो इस कानून को आप व्यापक बनाइये, इस संशोधन से ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हाई कोर्ट में रिट वगैरह से ज्यादा अच्छा काम हो पर किसानों में उतना ही विद्रोह हो जायगा। तो आप सबसे पहले जो चकबन्दी कमेटी बना रहे हैं उस पर बल दीजिये, वह केवल ऐडवाइजरी कमेटी न रहे, उस प्रारम्भिक कमेटी के द्वारा पूरा काम होना चाहिये और जो चक कटें उनका गांवों में डिस्कशन होना चाहिये और जब तक ९० फीसदी किसान सहमत न हो जायें तब तक वह फाइनल नहीं होने चाहिये। मेरे यहां डायरेक्टर को आप भेज दीजिये। एक नया पैसा भी कोई रिश्वत नहीं ले सकता। बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है। पंचायत करके सारा काम सुलझाया जाय।

भ्रष्टाचार की ज्यादा बात कहना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं होता। अपने-अपने क्षेत्र में जा कर लोग भ्रष्टाचार को रोकें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और जहां वे लोग गड़बड़ी करें वहां उनके खिलाफ जन प्रदर्शन करें। जबतक ऐसा नहीं होगा तब तक सब काम ठीक नहीं होगा। जितनी ही ज्यादा भ्रष्टाचार की बात हमने कही वह उतना ही ज्यादा बढ़ा क्योंकि यह तो नैतिक चरित्र की बात है। अगर सभी का चाल-चलन ठीक न हो तो सुधार नहीं हो सकता। अगर सरकार ने मुस्तैदी से काम किया और आदरणीय सदस्यों ने भी जिन क्षेत्रों में चकबन्दी प्रारम्भ हो रही हो उनमें मुस्तैदी से काम किया तो कोई वजह नहीं है कि चकबन्दी अधिकारी रिश्वत ले सकें। जहां पर जनता की ताकत कमजोर थी वहीं रिश्वतखोरी चली। हमारे जिले में सादाबाद तहसील के मुकाबले में सन् ५८ के बाद

सरकार जो अमेंडमेंट लाई उसके मातहत जो मथुरा और छाता तहसीलों में, जहां का लखीसिंह जी, ने जिक्र किया, चकबन्दी अच्छी हुई। गलत चकबन्दी जिन क्षेत्रों में हो चुकी है उसको आप बदलवा दीजिये क्योंकि उसमें बड़ा भारी विद्रोह हुआ है। इस संशोधन विधेयक से तो पहले ही अच्छा था। इस संशोधन से अदालती मामलों में थोड़ी सी सहूलियत हो सकती लेकिन और काम इससे ठीक नहीं होगा। प्रारम्भिक कमेटी को ज्यादा अधिकार दीजिये और सी० ओ० के चक काटने के बाद भी गांव में डिस्कशन हो। यदि आपने इन सब बातों को किया तो कोई वजह नहीं कि चकबन्दी का काम गलत हो सके।

इन सब शब्दों के साथ मैं फिर कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने जल्दी की तो काम बिगड़ेगा। इसको बुनियादी तरीके से करिये क्योंकि बन्दोबस्त करना है और बन्दोबस्त कभी हवा में नहीं होता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस गलत संशोधन को यहां पेश नहीं करेंगे। इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं श्रीमन्, देखता हूं कि जब से मैं यहां आया तब से एक भी विधेयक प्रवर समिति में नहीं भेजा गया है। फिर प्रवर समिति किसलिये है। वहां इसको जाना चाहिये इसलिये मैं कहता हूं कि प्रवर समिति में इसको भेज दें ताकि इसका सही विश्लेषण हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं जरूरी समझता हूं कि इस विधेयक पर कुछ निवेदन करूं। इस विधेयक के उद्देश्य को तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह स्पष्ट किया था। उन्होंने बताया था कि खर्च कम हो, समय कम लगे, मुकदमेबाजी न हो इनकी तो ताईद की जा सकती है। लेकिन जुडीशियरी को एकदम हाथ न लगाने दें इसकी ताईद करने से मैं समझता हूं कि नुकसानदेह साबित होगा। इस विधेयक को मैंने गौर से देखना शुरू किया तो आप देखें कि चकबन्दी का पहला कानून कितनी दफाओं का है। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो ५४/५५ धाराओं का अधिनियम है और शायद ४८ संशोधन हैं। १९५३ में यह कानून बना। उसके बाद से ५४, ५५, ५६, ५७ ५८ में इसमें संशोधन हुये और मैं भूल नहीं करता हूं तो १९६१ में भी संशोधन हुआ। इतने संशोधन होने के बावजूद भी इस चकबन्दी कानून में ५४ दफाओं में से ४८ दफाओं को बदलने की जरूरत समझी गई। इसके माने यह हैं कि इस संबंध में आज भी हमारे अधिकारियों का या सरकार का मत स्थिर नहीं है, न काम करने के ढंग में और न इसके उद्देश्य में और श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि अगले ६ महीने में न जाने कितने संशोधन आयेंगे और कितना समय आपका और इस सदन का लगेगा।

जो बताया गया है कि इससे खर्चा कम होगा तो पहली बात यह अर्ज करना है कि चकबन्दी के खर्चे के लिये क्या सरकार ने तय कर लिया है कि यह किसको बर्दाश्त करना चाहिये। मैं स्पष्ट मत का हूं कि चकबन्दी का खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। इस चकबन्दी के दो काम हैं। एक तो कागजात को दुरुस्त करना। अगर इसमें ज्यादा वक्त लगता है और खर्चा ज्यादा है तो इसलिये पड़ता है कि हमारे कागजात बहुत गलत हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह मेहरबानी करके और जगह के कागजों को छोड़ दें। जिन इलाकों में कंसालिडेशन की कार्यवाही हुई है तो वहां क्या ५० फीसदी से ज्यादा गलती पाई गई। जिन पुराने कागजात के आधार पर सरकार काश्तकारों से मालगुजारी वसूल करती है क्या गलतियां ५० फीसदी से ज्यादा नहीं पायी गयीं? मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। कुछ दिन पहले माल मंत्री जी ने एक जवाब यहां दिया था। एक कानूनगो सर्किल तरयासुजान है उसके संबंध में पूछा था। उसमें एक अधिकारी ने जो जांच की थी, उसने कहा कि किसी गांव में २५ फीसदी किसी गांव में ४० फीसदी और ५० फीसदी और कहीं कहीं ५० फीसदी से ज्यादा भी कागजात में गलतियां पायी गयीं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि खर्चे की कमी की बात तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

सरकार सोचती है लेकिन जो भी इस पर खर्चा पड़े उस खर्चे में कागजात दुरुस्ती का खर्चा क्यों जोड़ कर किसान से लिया जाय ? पहले तो सरकार को उस खर्चे को अपने ऊपर ही लेना चाहिये । क्या यह सही नहीं है कि बन्दोबस्त का करना इसलिये रोक दिया गया कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज की कार्यवाही होगी तो शायद वह समूचे सूबे में होगी इसलिये बन्दोबस्त नहीं होगा ।

हमारे सूबे में हर तीस वर्ष पर जमीन पर बन्दोबस्त हो जाता था ताकि नक्शे की या कागजात की जो भी, किसी प्रकार की गलतियां हों, वह सारी गलतियां समूची तौर पर दुरुस्त कर दी जायं । अगर उसके हक हुकूक का सवाल उठता है तो अदालत मजाज में जा कर फैसला करवा लें । वह काम बन्द हो गया । कागजात की दुरुस्ती की जिम्मेदारी किस पर है ? मैं समझता हूं कि जमींदारी अबालिशन के पहले कमोबेश सरकार को ७ करोड़ मालगुजारी मिलती थी और अब सवा २२ करोड़ है, इमर्जेंसी लेवी के पहले, मैं इसको मालगुजारी मानता ही नहीं । सवा २२ करोड़ किसान से लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि कागजात की दुरुस्ती करवाये । अगर उसके कारण मुकदमेबाजी होती है तो मैं माननीय श्रीवास्तव जी का ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि वह इस बात को सोचें । उनको हाईकोर्ट का तजुरबा है ।

श्री अध्यक्ष—अब आप कल बोलियेगा ।

सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में तथा कथित गलत कागजात तैयार कराने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में तथाकथित गलत कागजात तैयार कराने के विषय में सर्वश्री गेंदासिंह तथा कल्पनाथसिंह द्वारा दिनांक १९ अक्तूबर, १९६२ को नियम ५० के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद होगा ।

(इस समय ५ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए ।)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ध्यान १८ अक्तूबर, १९६२ के अजेंडा में जो नम्बर, ४६-४७-४८ पर प्रश्न हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । यह प्रश्न कुछ आधार पर किये गये थे सरकार का जो उत्तर आया वह इस प्रकार आया जो मैंने पहले सवाल किया था वह यह था क्या नियोजन मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को ऐसे आदेश भेजे गये कि वह इस प्रकार के कागजात तैयार करे जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कि वहां दो आने या चार आने मजदूरी पर बड़ी संख्या में काम करते हुए मिलते हों ?" दूसरा सवाल यह था—"क्या सरकार का ध्यान इधर गया कि अभी हाल में काशी से प्रकाशित होने वाले दैनिक "आज" ने अपने अग्रलेख में उक्त प्रकार के समाचार का जिक्र किया था और सरकार की भर्त्सना की थी ?" तीसरा सवाल यह था कि "उक्त प्रकार के आदेश भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?" सरकार ने इनका जवाब यह दिया था—४६ वें का उत्तर मुख्य मंत्री की तरफ से आया "जी नहीं ।" ४७ वें का उत्तर आया—"जी हां, सरकार ने कथित अग्रलेख को देखा है ।" और ४८ वें का उत्तर आया—"प्रश्न नहीं उठता ।",

श्रीमन्, "आज" एक ऐसा दैनिक पत्र है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा विश्वास है लोगों का और वह कितना पढ़ा जाता है मैं समझता हूं कि हमारे बीच में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बैठने वाले जो सरकारी पक्ष के हैं वह भी इसको जानते हैं माननीय नियोजन मंत्री स्वतः जानते हैं । (व्यवधान) मैं, श्रीमन्, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है और लोग यह समझते हैं कि वह सही खबर देता है । मैं यह समझता हूं कि माननीय नियोजन मंत्री को भी उसे पढ़ना चाहिये क्योंकि वह घर की खबर कुछ देता है । श्रीमन्, जल्दी में मैं उसके कुछ अंश पढ़ता हूं—"हमारे गाजीपुर के संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे गोपनीय आदेश का रहस्योद्घाटन करते हुए समाचार भेजा है जो यदि सत्य है तो उसे लज्जा-जनक कहने में तनिक भी हिचक नहीं होगी ।" यह लम्बा सा अग्रलेख है । मैं आगे पढ़ता हूं "नियोजन मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने इस स्थिति से द्रवित होकर कहा था कि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करूंगा । श्री नन्दा ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा था कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन्हीं तीन जिलों का चुनाव कर लें, जिनका सर्वेक्षण केन्द्र तथा राज्य सरकार के विशेषज्ञ करें और उनकी रिपोर्ट नियोजन मंत्री के अध्ययन का आधार बने । अब हमारे गाजीपुर के संवाददाता को इस आशय का समाचार मिला है कि "राज्य सरकार ने जिलाधीशों को ऐसे आंकड़े एकत्र करने का आदेश दिया है जिनसे प्रमाणित किया जा सके कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजदूरी की दर एक रुपये से कम नहीं है ।" समाचार में यह भी बताया गया कि समस्त विकास खंडों के अधिकारियों को गुप्त रूप से यह काम करने का आदेश दिया गया ।

श्रीमन्, अब मैं थोड़ा और छोड़कर आगे से पढ़ता हूं—"राज्य सरकार के इस आदेश से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं है । वह समझती है कि यदि केन्द्रीय नियोजन मंत्री के निर्देश पर केन्द्र के विशेषज्ञ पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का सर्वेक्षण करेंगे, तो अनायास ही भीषण स्थिति प्रकट हो जायगी । सरकार के पास सभी साधन हैं । उसके पास भारी संख्या में अधिकारी हैं जिनका विस्तार आज गांव गांव में हो गया है । उन अधिकारियों के पास बहुधा स्वार्थियों का एक समूह होता है । ये सरकारी आंकड़ों को तैयार करते हैं, ये अधिकारी और उनके समर्थन के लिये प्रस्तुत होते हैं उनके चाटुकार ।"

और आगे का मैं छोड़ता हूं । श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह अग्रलेख है "आज" का और इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि भारत सरकार की इच्छा जो गहमरी जी के अनुनय विनय और उनके रहस्योद्घाटन के बाद हुई थी कि इन जिलों की सच्ची स्थिति सामने आवे और उस पर कुछ किया जा सके, दुख की बात है और जैसा कि "आज" में कहा गया है उसी तरह से मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर सरकार ने ऐसा आदेश भेजा सरकारी अधि-कारियों को कि वहां की स्थिति छिपाने की चेष्टा की जाय तो मैं समझता हूं कि वह सचमुच लज्जाजनक है । श्रीमन्, आप तो बहुत दिनों से इस सदन में बैठते हैं, जानते हैं कि इस प्रदेश में यह परिपाटी रही है कि अपनी स्थिति को छिपाकर के रखा जाय और अपने को बड़ा कहने में कभी हम संकोच न करें । सारे देश भर के लोग हमें बड़ा समझ सकें इस बात की बड़ी चेष्टा हमारे यहां होती रही है जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमने अपनी सही स्थिति को नहीं जानने दिया । और प्लानिंग कमीशन के सामने हम गोता खा गए । उत्तर प्रदेश इस प्रकार गोता खा गया कि बड़े प्रोजेक्टस के नाम पर उसे कुछ नहीं मिला जिससे कि सिंचाई हो सके, बिजली बन सके और बाढ़ की भी रक्षा कर सकें, इसमें वह पूरी तरह से गोता खा गया । और इस वक्त आपसे हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय मन्त्री जी को जानकारी इसकी ज्यादा है । सारे देश में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है बिजली में । सबसे पिछड़ा हुआ बाढ़ के बचाव में है । सबसे पिछड़ा हुआ उद्योग में है । आज भी यदि उद्योगों को चलाने के लिये बिजली की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बिजली नहीं है कि हम उनको सस्ती बिजली दे सकें । उनको हम सस्ती बिजली नहीं दे सकते । पिछले २० वर्ष के जमाने से बराबर हम यह कहते आये हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत अगुवा है और अब भी यह कहा गया, मेरे पास इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई है कि आज वह अपनी जरूरतों को पूरा करके दूसरों की जरूरत पूरा कर

[श्री गेदासिंह]

सकता है इसके बाद अगर प्लानिंग कमीशन ने हमारे यहां कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं दिया तो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया । मैं समझता हूं कि उनकी ज्यादा खता नहीं है ।

इन सब बातों को कहते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का सरकार द्वारा प्रयास किया जाय कि इस तरह की बातों को रोकने का प्रयास किया जाय । अगर इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिये । मैं यह समझता हूं कि "आज" के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । इस स्थिति में इस पत्र से सरकार का कोई विरोध नहीं है । हमारा विरोध नहीं है । यह अग्रलेख उस पत्र ने लिखा तो उस अग्रलेख का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया । गाजीपुर में पढ़ा गया होगा । मैं समझता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर कलेक्टर ने इसको पढ़ा होगा और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट में भी पढ़ा गया होगा और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसने गलती की । मुनासिब यह था कि जिस वक्त यह समाचार इस तरह का अग्रलेख की शक्ल में आया तो इसका प्रतिवाद होना चाहिये था और कहा जाना चाहिये था कि यह बात गलत है और फिर जनता को मालूम होता कि यह बात गलत थी । मैं समझता हूं प्रतिवाद नहीं किया गया । तो यह समझना चाहिये कि लीगल हिसाब से यह सही है । मैं समझता हूं अब इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं है । अगर यह सही है तो सरकार को प्रायश्चित करना चाहिये और इसका इलाज करना चाहिये ताकि आइन्दा इस तरह की कोई हरकत न हो । इन बातों को कहते हुये मैं नियोजन मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इसको स्पष्ट करें ।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---श्रीमन्, यह बात सही है कि अगर अखबारों में कोई बात निकल जाती है तो लोग यह समझते हैं कि यह बात जरूर सच होगी । अगर अखबार में कल यह निकल जाय कि यहां इस माननीय सदन के सदस्य ८ फुट के हैं तो लोग देखने चले आयेंगे कि यह अखबार में निकला है इसलिये सच होगा । उनकी आस्था जो "आज" के ऊपर है उसको मैं कम नहीं करना चाहता लेकिन उसमें संवाददाता के ऊपर एक टिप्पणी लिख देना किसी जिम्मेदार अखबार का काम नहीं होना चाहिये और विशेषकर जब उसमें एक ऐसा आक्षेप लगाया गया हो । उन्होंने शुरू में यह कहा कि गाजीपुर के एक संवाददाता ने मेरे पास यह भेजा है और अगर यह बात सही है तो एक जिम्मेदार अखबार को यह चाहिये कि वह यहां से भी कुछ लेता कि सचमुच ऐसा कोई सरकुलर गया है या नहीं । तो इसमें कोई सरकुलर ऐसा नहीं गया और इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं । अगर गेदासिंह जी चाहें तो मैं उनको फाइल दिखा सकता हूं कि उसमें सरकार ने क्या किया । यह बात जरूर है कि जब यह सवाल आया तब उसमें कुछ देरी हुई है । वह देरी इसलिये हुई कि यहां पर प्लानिंग के ४ डिपार्टमेंट होते हैं । ए०, बी० सी०, डी० और उनके आपस में विभाजन हैं कार्य का । यहां लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से वह डिपार्टमेंट 'ए' में चला गया । 'ए' ने यह लिखा कि उससे इसका मतलब नहीं है । वह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में लौट कर आया कि 'ए' से इसका कोई कंसर्न नहीं है । लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने रूल्स कोट कर के भेज दिया और वह चला गया 'इकानामिक एंड स्टैटिस्टिक्स' डिपार्टमेंट को । उन्होंने, चूंकि कोई सर्कुलर नहीं गया था इसलिये जवाब लिख दिया कि कोई सर्कुलर नहीं गया है । फिर जब वह 'ए' डिपार्टमेंट में आया तो यह देखा गया कि वह कंसर्न है डिपार्टमेंट 'बी' से और इसकी निस्बत क्या हुआ था यह भी बतला दूं । जब गहमरी जी ने पार्लियामेंट में यह बात कही तो वहां से प्रधान मंत्री जी का एक खत आया । उसके बाद नियोजन मंत्री जी का भी खत आया । यहां से एक अफसर मुकर्रर हुआ । वह अफसर उन डिस्ट्रिक्ट्स में गया और उसने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि एक रुपये से कम दिया जाता है और उसके ऊपर फिर कार्यवाही की गयी और आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन हुए, ५, ७ रोज, कि यहां से तीन आदमी डेवलपमेंट कमिश्नर आदि जायेंगे और जौनपुर, देवरिया और गाजीपुर को प्रतीक जिले माना गया है, वहां जा कर देखेंगे कि क्या क्या वहां हो सकता है । तो मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें यह सब लिखा है । यह कोई मनचले संपादक महोदय होंगे कि उन्होंने लिख दिया । भला इसमें ऐसा करने में क्या अक्लमंदी थी । हम लोग तो इस पर

खुश हुए कि एक मौका मिला कि हम कुछ और प्लानिंग कमीशन से पायें इस्टर्न डिस्ट्रिक्टस की हालत दिखला कर। उसके लिये अगर आप चाहें तो देख सकते हैं । बल्कि मैंने तो पहले लिखा कि हाई अफिसर्स की कांफ्रेंस यहां कर दी जाय और रिपोर्ट को डिस्कस कर के देखा जाय कि हम क्या कर सकते हैं । उसके बाद हम प्लानिंग कमीशन को लिखें । तो साधारणतः केस बनाया जाता है, लेकिन हमारे पास तो रिपोर्ट ही ऐसी थी, उसमें कुछ बनाने का सवाल नहीं था । वास्तविकता है कि वहां कम मजदूरी दी जाती है और लोगों की दशा दयनीय है । तो मैं गेंदासिंह जी और दूसरे माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल्कुल मनगढंत बात थी । यह हां, यह बात जरूर है कि जब यह प्रश्न हुआ तो 'आज' मंगाया गया और उसका संपादकीय देखा गया । यह भी ठीक है कि संपादकीय एडीटर की राय होती है और गवर्नमेंट उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, लेकिन अगर पहले उस ओर ध्यान गया होता तो हम जरूर उसे कंट्रैडिक्ट करते । लेकिन यह नहीं हुआ यह अफसोस की बात है । अगर आप इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं । अब यह क्यों हुआ, कैसे हुआ इसके लिये जरूर दुख है । वह हमारे लिये और मुख्य मंत्री के लिये मार्क किया गया था, लेकिन यह संपादकीय जो मार्क था वह हमारी नजरों में आया नहीं, उस पर हम लोगों के दस्तखत नहीं है । अगर इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं । जिस समय यह सवाल सामने आया । तो उसके बाद कंट्रेडिक्ट करने की कोई बात नहीं उठती न उस समय उसका कोई समय था क्योंकि सवाल आ ही गया था । तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर संतोष-जनक होना चाहिये । इसमें कोई चीज छिपायी नहीं गयी और न किसी चीज को छिपाने का कोई प्रयोजन था, न वैसी कोई नीयत थी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब गहमरी साहब ने इस प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाया तो उसके बाद प्रधान-मंत्री जी ने एक पत्र लिखा और एक कमेटी कुछ आफिसर्स की जांच करने के लिये आई । आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि यहां से आपने किसी को जांच करने के लिये नहीं भेजा । तो उसने आपके वक्तव्य के मुताबिक कोई अपनी रिपोर्ट दी तो जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने लिखा कि कितनी मजदूरी मिलती है । कृपया इसको स्पष्ट करें ?

श्री अधिष्ठाता---इसका तो वह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, ४ आने मजदूरी के संबंध में जब वहां पर गहमरी साहब ने प्रश्न किया तो वहां से उसके संबंध में जांच के लिये कमीशन आने वाला था तो गवर्नमेंट ने कोई अपना सरक्यूलर निकाला । मैं यही जानना चाहता हूं उसके स्पष्टीकरण के लिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, मैंने कोई सरक्यूलर किसी स्टेज पर नहीं निकाला । यह वहां से ही आया था और कुछ आफिसर्स नियुक्त किये गये थे यह देखने के लिये कि कौन दोषी है यह उनको जाकर देखना था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्लियामेंट में जो गहमरी साहब ने वक्तव्य दिया उसमें किस तारीख के सरक्यूलर का हवाला दिया था जिसके मुताबिक आपके जांच करने की आवश्यकता आई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, सरक्यूलर की किसी स्टेज पर कोई बात नहीं है । आप बराबर उसकी ही बात कहते हैं । गहमरी जी ने जो स्पीच दी थी तो उस पर पंडित नेहरू ने यह लिखा कि यह स्पीच है कुछ करना चाहिये क्या हो सकता है । उसके बाद नन्दा जी को लिखा गया । उस पर हमने भेजा कि वहां जांच करके बतावें कि कौन दोषी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी का पत्र उनके पास कब आया और उन्होंने किस आफिसर को किस तारीख को नियुक्त किया और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, २१-६-६२ को या २३-६-६२ को यहां से यह कहा गया तो उसके दो रोज पहले यह लेटर आया होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का तो यह उत्तर हुआ ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता---रिपोर्ट की बात उसमें उत्पन्न नहीं होती । यह नहीं हो सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---सरक्यूलर के बारे में तो पूछने से मना कर दिया गया ?

श्री अधिष्ठाता---दफा ५० के अन्तर्गत आप कुछ और नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या सरकर यह बताने की कृपा करेगी कि इस सरकार ने जिस अधिकारी को गाजीपुर जांच के लिये भेजा, उस वक्त मौजा जयचंद में मजदूरी बढ़ाने के लिये, २ आने से ज्यादा करने के लिये एक हड़ताल चल रही थी और उसकी रिपोर्ट उन्होंने न देकर यह छिपाने की कोशिश की कि २ आने से अधिक मजदूरी मिलती है ?

श्री अधिष्ठाता---यह इससे कोई संबंध नहीं रखता है । मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस धारा में वही प्रश्न किये जा सकेंगे जो उस प्रश्न के स्पष्टीकरण से संबंधित हों । वह स्पष्ट उत्तर दे चुके हैं कि कोई सरक्यूलर नहीं गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, आधे घंटे का जब आपने यहां पर विवाद निश्चित किया तो केवल सरक्यूलर के बारे में सरकार डिनाई कर देती है । तो फिर वह सरकार माननीय गेंदासिंह जी के उत्तर में डिनाई कर चुकी है । उसके बाद यह आधे घंटे का समय मांगा गया । तो अब अगर यह सब प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तो क्या पूछें ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं तारीख बतलाये देता हूं । ११ जून, १९६२ को गहमरी जी बोले थे, पार्लियामेंट में, उसके बाद १२ को जवाहरलाल जी ने माननीय गुलजारीलाल नन्दा जी को लिखा, उसकी कापी यहां है, फिर नन्दा जी ने १५ को लिखा, उसपर चीफ मिनिस्टर का २१ तारीख को हुआ, और २३ को यह कि आफिसर वहां जाय और वहां की रिपोर्ट दे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का बयान अखबार में देंगे कि गहमरी जी ने जो बयान पूर्वी जिलों की स्थिति के बारे में दिया वह बिलकुल सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास जो आंकड़े हैं और वेज बोर्ड कमेटी जो रिपोर्ट छपी है उससे यह पता चलता है कि वहां उस क्षेत्र में २ आना और ४ आना मजदूरी मिलती है ?

श्री अधिष्ठाता---नियोजन मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अधिष्ठाता---(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आप इस नोटिस को पढ़ें जो गेंदासिंह जी ने दिया है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---मैंने अभी तो दिया है, आप उसे देख लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि कोई भीतरी आदेश जारी किया गया है जिलाधीश को, गोपनीय तरीके से कह दिया गया होगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—आप इसको देख लें । इन प्रश्नों के पूछने से कोई लाइट इस पर नहीं पड़ती कि सरक्यूलर जारी किया गया या नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—नियम ५० के उपबंध ५ को आप देख लें । उसमें यह है "...तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे....." तथ्य यह है कि पूर्वी जिलों के विकास तथा मजदूरी के संबंध में कोई सरक्यूलर गया या नहीं उसको उन्होंने डिनाई किया । अब प्रश्न उसी पर अगर न पूछे जायं तो क्या पूछा जाय ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह जी ने जो टिप्पणी दी है मैं उसे पढ़ दूं तो स्पष्ट हो जायेगा । उसमें यह लिखा है ।

"....एक प्रश्न बड़े महत्व का था । काशी के 'आज' जैसे प्रामाणिक और प्रतिष्ठित पत्र ने १७ अगस्त, १९६२ के अपने दूसरे अग्रलेख में लिखा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्वांचल के अधिकारियों को ऐसा आदेश भेजा है कि वह इस प्रकार का कागजात तैयार करें जिससे वहां के रहने वालों की दयनीय आर्थिक स्थिति पर प्रकाश न पड़ने पावे और वह इसी विपत्ति में पड़े रहें ।"

श्री कमलासिंह यादव—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि गाजीपुर में आफिसरों द्वारा इस तथ्य को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह बहुत जरूरी चीज है और माननीय मन्त्री जी को इसका जवाब देना चाहिये । तहसील में गरीब आदमियों को २-२ आना मजदूरी दी जा रही है । जो अधिकारी गाजीपुर जिले में गये उन्होंने देखा कि वहां हड़ताल हो रही है । इसलिये आप माननीय मन्त्री जी को आज्ञा दें कि वे इसका जवाब दें ।

श्री हरगोविन्दसिंह—न तो मेरे पास सत्याग्रह की कोई सूचना है और न हड़ताल की । जो हमारे पास रिपोर्ट आयी है उसमें यह है कि जमनिया में ६७ न० पै० और ९० न० पै० मजदूरी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है । उत्तर प्रदेश में कहीं भी मजदूरी नये पैसों में नहीं दी जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—वे रिपोर्ट पढ़ कर सुना रहे हैं, पहले उसको सुन लिया जाय ।

श्री हरगोविन्दसिंह—भदौरा देवकली में ६६ न० पै०, मोहम्मदाबाद, सराई बाई में ८० न०पै०, कासमाबाद जैनपुर सखनपुर में ७५ न०पै०, कासमाबाद हड़रही में एक रुपया, काजीपुर में ४३ न० पै०, मरदहा में ३१ न० पै० । इस प्रकार से इन गांवों में हलवाहे को मजदूरी मिल रही है ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जो मजदूरी बतलायी गयी है उससे कहीं कम मजदूरी है । तो क्या उन जिलों की परिस्थिति को ठीक से समझने के लिये सरकार कोई ऐसी कमेटी बिठायेगी जो उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक से मालूम कर सके और मालूम करके उसका कुछ इलाज किया जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने पहले ही कह दिया है कि ३ आदमियों का एक कमीशन बनाया गया है जिसमें एक आदमी सेंटर के हैं, दूसरे हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं और तीसरे एक और साहब हैं। गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया, ये तीन जिले इसके लिये छांट लिये गये हैं जहां ये लोग जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
११ दिसम्बर, १९६२।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर)

प्रश्न संख्या २ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

डिपो में आनेवाली गाड़ियों का विवरण

नाम डिपो	गाड़ी की संख्या
वर्डघाट	१
गोरखपुर	१
बस्ती	५
बलरामपुर	२
आजमगढ़	१
बलिया	५
गाजीपुर	२
योग ..	१७

वापस की जाने वाली गाड़ियों का विवरण

नाम डिपो जिसको गाड़ी वापस की गई	गाड़ी की संख्या	वापस करने का दिनांक
देवरिया	३	१ व १६ फरवरी, १९६२।
वर्डघाट	१	१ फरवरी, १९६२।
गोरखपुर	१	१२ अप्रैल, १९६२।
बस्ती	२	३ व ६ फरवरी, १९६२।
बस्ती	२	२० व २९ मार्च, १९६२।
बस्ती	३	५ व ११ अप्रैल, १९६२।
बलरामपुर	३	१, १० व २७ फरवरी, १९६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम डिपो जिसको गाड़ी वापस की गई	गाड़ी की संख्या	वापस करने का दिनांक
बलरामपुर	४	९, १० व ११ अप्रैल, १९६२।
गोंडा	२	१ व २ फरवरी, १९६२।
आजमगढ़	१	३ अप्रैल, १९६२।
बलिया	२	२० फरवरी, १९६२।
बलिया	१	१३ मार्च, १९६२।
बलिया	१	१२ अप्रैल, १९६२।
गाजीपुर	१	५ अप्रैल, १९६२।
योग ..	२७	..

विधान सभा प्रदेश गुप्त

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६६ पर)

प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में कथित सूची

१२ मार्च, १९५४ को पंजाब व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किये गये समझौते की मुख्य बातें।

१—समझौता १ अप्रैल, १९५० से चालू समझा जायगा।

२—पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहरों द्वारा लिये जाने वाले कुल पानी की मात्रा से नदी का डिस्चार्ज कम होने की दशा में ताजेवाला हेडवर्क्स पर उपलब्ध पानी का बटवारा इस प्रकार किया जायगा :

ताजेवाला पर कुल डिस्चार्ज—"स" क्यूसेक्स	पश्चिमी यमुना नहर द्वारा लिया जाने वाला पानी (क्यूसेक्स में)	पूर्वी यमुना नहर द्वारा लिया जाने वाला पानी (क्यूसेक्स में)
१—५,८९० क्यूसेक्स तक ..	.. २/३ "स"—४७	१/३ 'स'+४७
२—५,८९० से ८,७९० क्यूसेक्स तक	.. "स"—२० १०	२०१०
३—८,७९० से ९२८० क्यूसेक्स तक	.. ६७८०	.. "स"—६,७८०
४—९,२८० से १०, ९०० क्यूसेक्स तक	.. "स"—२,५००	२,५००

जब नदी का डिस्चार्ज १०,९०० क्यूसेक्स से अधिक होगा तो १०,९०० क्यूसेक्स से जितना अधिक होगा वह पानी पंजाब व उत्तर प्रदेश में २:१ की मात्रा में विभाजित किया जायगा।

३—ताजेवाला हेडवर्क्स तथा उससे सम्बद्ध Training Works की रखरखाव की जिम्मेदारी पंजाब की होगी किन्तु उस पर खर्च की जाने वाली धनराशि दोनों नहरों में साल में चले हुए cusec-days में discharge के अनुपात में पंजाब व उत्तर प्रदेश में विभाजित की जायगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६८ पर)

परिशिष्ट 'क'

कृषि एवं प्रसार परीक्षा के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सन् १९६०–६१ में लिये गये विद्यार्थियों का विवरण ।

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	प्रविष्ट विद्यार्थियों की कुल संख्या	परिगणित जाति के विद्यार्थियों की संख्या	पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या
	(अ) राजकीय कृषि विद्यालय—			
१	बुलन्दशहर	७७	३	७
२	गोरखपुर	७७	३	९
३	चिरगांव (झांसी)	६६	७	३३
	(ब) प्राइवेट कृषि विद्यालय—			
४	कृषि विद्यालय, मुजफ्फरनगर ..	६०	..	..
५	कृषि विद्यालय, गुरुगुल कांगड़ी, हरद्वार	८३	३	२
६	मुंशी लैंड इंस्टीट्यूट सरोजिनी नगर, लखनऊ	१०३	६	३१
७	कृषि विद्यालय, बलिया ..	३०	..	७
८	कृषि विद्यालय, बिसावर, मथुरा ..	४१	६	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

तालिका

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना प्रदेश की चार प्रमुख मत्स्य मंडियों में मत्स्य उत्पादकों को शीतागार सम्बन्धी सुविधायें देने की व्यवस्था की योजना पर किये गये व्यय का वितरण

	संयंत्र की स्थापना	भवन निर्माण	योग
	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—शीतागार संयंत्र, इलाहाबाद	६३,५५८.००	३१,१६२.७५	९४,७२०.७५
२—शीत प्रकोष्ठ, आगरा ..	२४,०००.००	८९८.९६	२४,८९८.९६
३—शीत प्रकोष्ठ, वाराणसी	२४,०००.००	८२०.००	२४,८२०.००
५—शीत प्रकोष्ठ, गोंडा ..	२४,०००.००	..	२४,०००.००
योग ..	१,३५,५५८.००	३२,८८१.७१	१,६८,४३९.७१

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

श्री बांकेलाल के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम-सं०	क्षेत्र का नाम	नलकूप जो बनाये गये (संख्या) प्रथम पंचवर्षीय योजना में	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
१	रुद्रपुर	१	२
२	पथेर देवा	१२	५
३	देसाई देवरिया	८	३
४	बेतालपुर	१०	४
५	देवरिया	११	३
६	रामपुर करखाना	११	..
७	कप्तानगंज	३	३
८	हाता	७	१
९	खाडा	१	..
१०	गौरी बाजार	५	४
११	रामकोला	१	..
१२	सुकरौली	३	२
१३	निबुवानरायन	..	..
१४	मोती चक	..	..
१५	कसीया	१५	२
१६	पडरौना	४	८
१७	तमकोही	५	५
१८	स्योरही	..	१
१९	विशुनपुर	..	..
२०	दुधई	१	१
२१	फाजील नगर	४	५
२२	सलीमपुर	१८	४
२३	भाटपार रानी	५	२
२४	भागलपुर	५	३
२५	बंकटा	..	४
२६	लार	९	२
२७	भलवानी	१८	१
२८	भटनी	१	७
२९	बरहज	७	२
	योग ..	१६५	७४

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८५ पर)

तालिका—क

नाम फसल	चन्दौली		
	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
(१) धान नं० २२	३३.९६	३१.३५	१९.६४
(२) धान नं० २६	..	..	२.५६
(३) तिल टा० १०	१.१४	०.१०	..
(४) ढैंचा	३.९५	६.९२	६.६२
(५) मूंग टा० १	०.६१	०.५५	०.६८
(६) काऊ पी०	१.३४	०.७५	..
(७) सनई के० १२	१.१५	..	२.१९
(८) मूंगफली	२.४९	..	..
(९) मक्का (हैब्रिड)	..	०.७५	..
(१०) ज्वार	३.५७	..	..
(११) अरहर टा० १०५	३४.८९	१५.९९	७.६०
(१२) गेहूं एन० पी० ७१० ..	३०.२३	४७.६४	२७.५३
(१३) जौ के० १२	..	..	३०.६६
(१४) जौ सी० २५१	४१.३७	१९.८४	७.८६
(१५) चना टा० ८७	१०.४६	१७.८५	४.७४
(१६) चना टा० १	..	..	०.३८
(१७) मटर टा० १६३	३३.७२	३१.९१	३९.४५
(१८) राई टा० ११	६.३४	१.९७	०.६१
(१९) आलू फुलवा	३.१६	..	..
(२०) आलू मिलिटरी	..	४.४७	७८.०४
(२१) अलसी टा० १२६	१.७५	..	..
(२२) बरसीम	०.७५	०.५६	०.५४
(२३) रेड़ी	..	०.९८	०.५४
(२४) गन्ना ५१०	१४९.४८	१५७.२४	२८०.३७

नाम फसल	कल्लीपुर फार्म (क्विंटल में)		
	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
(१) गेहूं ७१०	७.९२	२६.८८	३५.१०
(२) जौ के० १२	७.४६	..	..
(३) मटर १६३	७.५५	७.०९	९.००
(४) चना ८७	३.५४	६.५२	२.१५
(५) राई सरसों	१.५३	१.३०	१.८०
(६) धान नं० २२	१२.३२	१७.५४	१८.६६
(७) धान टा० २१	१२.५०	..	४.४८
(८) तिल टा० १०	०.०७	..	..
(९) ढैंचा	२.९९	२.३३	६.७१
(१०) गन्ना	२.३०	..	..
(११) मूंग टा० १	..	०.६५	०.४२
(१२) अलसी टा० १२६	..	..	०.२१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

सर्विसों का नाम	संख्या
१—सुल्तानपुर—मुसाफिर खाना	२
२—आम घाट—कानपुर—वाया—लखनऊ	२
३—वाराणसी—लखनऊ	२
४—सुल्तानपुर—लखीमपुर—वाया—लखनऊ	२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९३ पर)

ग्रामों की सूची

१—अबा
२—जगत
३—शहाबाद
४—मरोरा
५—कलवा बोझ
६—सिवा नगर
७—गोंटिया
८—मरिया
९—पिंडारिया
१०—रामपुर
११—गोगेपुर
१२—लोचन नगला
१३—कत्यापुर
१४—नयन गावो
१५—उमर संडा
१६—सब्बलपुर
१७—गुलाओ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर)

तालिका—'क'

श्री ऊदल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न ४५ के सम्बन्ध में तालिका "क"

सन्		आय	व्यय	ह्रास	व्याज
		रु०	रु०	रु०	रु०
१९४८–४९	..	१,४५,१०६	१,७८,२४९	२,४२७	३,३९२
१९४९–५०	..	१,८९,९६०	३,०२,५८७	६,३८५	५,९४०
१९५०–५१	..	६,९६,३६१	४,९५,६२६	१०,१८९	८,४८६
१९५१–५२	..	७,५३,१६७	८,४०,६७६	१७,७९२	२१,५६९
१९५२–५३	..	४,९७,२०१	६,८३,१२५	४२,९६६	३६,४०८
१९५३–५४	..	३,४४,२०३	६,१६,५४९	८६,३६७	५९,७०९
१९५४–५५	..	७,३२,४००	६,९६,१८२	८३,९०३	७१,५६३
१९५५–५६	..	७,५५,००८	८,२०,७३०	७५,५८०	६९,०५७
१९५६–५७	..	६,४०,५१३	८,३६,६६८	७६,३५३	७०,२५४
१९५७–५८	..	५,४९,७७२	७,४६,०३२	७८,७६०	७०,८६७
१९५८–५९	..	७,९९,७९४	९,१५,६८५	६९,६११	६९,९२६
१९५९–६०	..	८,९९,९५३	१०,५९,८७ ७	९९,६५९	७०,८२६
१९६०–६१	..	४,९९,०४९	५,८३,४९३	१,२२,२४०	७३,५५७

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर)

श्री ऊदल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के सम्बन्ध में तालिका—ख

वर्ष	मशीनें	मूल्य
		रु०
१९५०–५१	.. .. २५ ट्रैक्टर व उपकरण (इम्प्लीमेन्ट्स) ..	८,२०,५३४
१९५५–५६	.. .. ४ " "	६०,०००
१९५७–५८	.. .. २ " "	३१,४८५
१९५९–६०	.. .. १ " "	५७,२६३
१९६०–६१	.. .. ३ " "	५४,३५८
१९६१–६२	.. .. ३ " "	१,०४,०००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर)

श्री ऊदल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के सम्बन्ध में तालिका "ग"

तालिका—"ग"

क्रम-संख्या	मशीनों का विवरण	संख्या	वाह्य या अंकित मूल्य	उच्चतम बोली प्राप्त	उस आदमी का नाम जिसे सामान, नीलाम द्वारा बेचा गया
			रु०	रु०	
१	रामहीवी हैरो माडल बी ..	एक	२५०.००	२७०.००	श्री सफत हुसेन, २३२ अस्तबल, चारबाग, लखनऊ,
२	टू व्हील टैन्क २५० गैलन ..	दो	६००.००	७१०.००	श्री औतार सिंह, रेलवे रोड, काशीपुर ।
३	एम० एच० ५०९ वन वे डिस्क हैरो ..	दो	६००.००	६६५.००	श्री अब्दुल रसीद, कटघर, मुरादाबाद ।
४	" " "	दो	५५०.००	६१०.००	श्री श्रीराम मोती खां, १०२१७, नई दिल्ली ।
५	" " "	दो	४००.००	५३५.००	श्री मुहम्मद उमर घसियारी मंडी, लखनऊ ।
६	" " "	तीन	७००.००	९७०.००	श्री श्रीराम मोतिया खां, १०२१७, नई दिल्ली ।
७	" " "	एक	२५०.००	२२५.००	" " "
८	" " "	एक	२५०.००	२४५.००	श्री हसमत अली, घसियारी मंडी, लखनऊ ।
९	" " "	एक	२५०.००	२३५.००	" " "
१०	निब फिटर एसेम्बली	तीन	३०.००	३५.००	श्री अब्दुल रसीद, कटघर, मुरादाबाद ।
११	ट्रेलर टू व्हील ..	एक	४०.००	५९.००	श्री औतार सिंह, रेलवे रोड, काशीपुर ।
१२	एलीस चाल्मर एच० डी० ७ ट्रैक्टर ..	एक	१०००.००	२२००.००	मेसर्स इन्दार्सन कारपोरेशन, पी ४८, खैरास प्लेस, कलकत्ता १३ ।
१३	" "	एक	१०००.००	२२५०.००	" " "
१४	" "	एक	१०००.००	२२००.००	श्री अब्दुल रसीद, कटघर, मुरादाबाद ।
१५	" "	एक	९००.००	२१५०.००	मेसर्स इन्दार्सन कारपोरेशन पी० ४८, खैरास प्लेस कलकत्ता १३ ।

क्रम-संख्या	मशीनों का विवरण	संख्या	वाह्य या अंकित मूल्य	उच्चतम बोली प्राप्त	उस आदमी का नाम जिसे सामान, नीलाम द्वारा बेचा गया
१६	एलीस चाल्मर एच० डी० ७ ट्रैक्टर	एक	९००.००	२,१५०.००	मेसर्स इन्दार्सन कारपोरेशन पी०४८, खैरास प्लेस प्लेस, कलकत्ता १३ ।
१७	" "	एक	९००.००	२,१५०.००	" " "
१८	" " ..	एक	९००.००	२,१००.००	श्री श्रीराम मोतिया खां, १०२१७, नई, दिल्ली ।
१९	" "	दो	१,६००.००	४३००.००	श्री अब्दुल रसीद कटघर, मुरादाबाद ।
२०	फीर्डसन ट्रैक्टर	एक	१,०००.००	१०००.००	श्री वाली मुहम्मद खां, घसियारी मंडी, लखनऊ।
२१	एम० एच० ५५ के० ट्रैक्टर	एक	१,०००.००	१०७५००	श्री श्रीराम मोतिया खां, १०२१७, नई दिल्ली ।
२२	राम हीवी हैरो माडल बी ..	एक	३००.००	२४०.००	" " "
२३	एम० एच० ६०६ डिस्क प्लाऊ ..	एक	३५०.००	२६५.००	श्री महावीर प्रसाद, मोतिया खां नई, दिल्ली ।
२४	ओलिवर डिस्क प्लाऊ ..	एक	६००.००	५००.००	श्री कृपाल सिंह, इस्कार्ट फार्म, रामगढ़ काशीपुर ।
२५	कोलेप्सिबुल टैन्क २५०० गैलन ..	दो	१,३००.००	९५०.००	श्री महावीर प्रसाद, मोतिया खां, नई देहली ।
२६	" " ..	चार	६,९५०.००	५,०५०.००	श्री सफत हुसैन, २३२ अस्तबल चारबाग, लखनऊ।
२७	" " ..	एक	१,७५०.००	१,४००.००	मेसर्स इन्दार्सन कारपोरेशन, पी० ४८, खैरास प्लेस, कलकत्ता १३ ।
२८	एच० एच० कम्बाइन इन्जन ..२ फोर्ड ट्रक इन्जन ..१ ..	तीन	१८०.००	१९५.००	मेसर्स मुहम्मद ऊमर, घसियारी मंडी, लखनऊ।
२९	स्क्रैप आफ स्पेयर पार्ट्स—टायर, ट्यूब, बैटरी इत्यादि		३८९७.००	३,६६५.००	विभिन्न पटियां ।
			२९४४७.००	३८,३७९.००	

अनेर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९५ पर)

बोन डाइजेस्टरों के केन्द्रों की सूची

क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	जहां केन्द्र बनाये गये
१	२	३
वाराणसी ..	(१) वाराणसी ..	गांव गौर, पोस्ट मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी ।
	(२) मिर्जापुर ..	गांव तथा पोस्ट ट्रामलगंज, जिला मिर्जापुर ।
	(३) जौनपुर ..	गांव तथा पोस्ट केराकत बाजार, जिला जौनपुर ।
		गांव मैपुर, पोस्ट मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर।
	(४) गाजीपुर ..	टाउन एरिया बहादुरगंज, जिला गाजीपुर ।
		गांव तथा पोस्ट फुल्ली, जिला गाजीपुर ।
		गांव फतेहउल्लापुर, पोस्ट सदर, जिला गाजीपुर ।
	(५) बलिया ..	गांव नसीरपुर, मठ, पोस्ट कोटवा नारायनपुर, जिला बलिया ।
	(६) गोरखपुर ..	गांव तथा पोस्ट नीलनवा, जिला गोरखपुर
	(७) बस्ती ..	गांव तथा पोस्ट वासादरगाह, जिला बस्ती ।
	(८) देवरिया ..	गांव मटौना, पोस्ट गौरी बाजार, जिला देवरिया ।
	(९) आजमगढ़ ..	गांव तथा पोस्ट फतेहपुर लाल रेवती, जिला आजमगढ़ ।
फैजाबाद ..	(१०) फैजाबाद ..	गांव मदरसा, पोस्ट बीकापुर, जिला फैजाबाद ।
		गांव अमीनगंज, पोस्ट मिलकीपुर, जिला फैजाबाद।
	(११) गोंडा ..	गांव लालपुर, पोस्ट उतरौला, जिला गोन्डा । गांव चांदपुर खूरनपुर, पोस्ट तरबगंज, जिला गोन्डा ।
	(१२) बहराइच ..	गांव तथा पोस्ट एकोना, जिला बहराइच ।
		गांव तथा पोस्ट हजूरपुर, जिला बहराइच ।
	(१३) सुल्तानपुर ..	गांव तथा पोस्ट जनतानगर, जिला सुल्तानपुर ।
		गांव दोस्तपुर, पोस्ट कादीपुर, जिला सुल्तानपुर।
	(१४) प्रतापगढ़ ..	गांव गरीमानिकपुर, पोस्ट कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ ।
		गांव दन्डरौली, पोस्ट कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ ।
		गांव बरनपुर, पोस्ट सदर, जिला प्रतापगढ़ ।
इलाहाबाद ..	(१५) इलाहाबाद ..	गांव बीरापुर, पोस्ट हन्डिया, जिला इलाहाबाद
		गांव तथा पोस्ट मेजा रोड, जिला इलाहाबाद ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६८–६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६–६९७ पर)

तालिका 'अ'

मसौदा फार्म पर १९६० स १९६२ तक के आय व व्यय का ब्योरा

		५०–५१	५१–५२	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५९–६०	६०–६१
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
व्यय	..	५७,३२१	५६,८९९	४९,५०६	४१,१५१	४९,१७५	५७,७७५	६२,१२३	७८,२०३	८२,५५५	६६,२४४	५६,९०३
आय	..	७३,०९१	६४,८००	५७,४७०	५५,१९९	५३,५१२	५८,२५२	६४,००५	८०,८२९	७९,९६४	१८,८९५	४८,००८
लाभ–हानि	..	+१५,७७०	+७९,०१	+७९,६६	+१४०,४८	+४३,३७	+४७७	+१८,८२	+२६२६	+८५,९१	–४७,३४९	–८८९५

अ.वि.सं. विधान सभा

तालिका 'ब'

मसौदा फार्म पर कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी तथा मशीनों की सूची तथा उन पर खर्चे का ब्योरा

	संख्या	खर्च
		रु०
१—फार्म अधीक्षक	१	२५,८०.००
२—सहायक अधीक्षक	१	१८,६०.००
३—कलर्क	१	१६,४४.००
४—हलवाहे	१८	१४,११२.००
५—चौकीदार	२	१६,७४.००
६—फीलवान	१	८८,८.००
७—हाथी का चारा कटर	१	५९४.००
	२५	२३,३५२.००
८—ट्यूबवेल पम्पिंग सेट तथा आयल इंजन ..	१	६५,००.००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७२ एल० ए०—१९६३—८५० ।